2016 का वधेयक संख्यांक 214

मोटर यान (संशोधन) वधेयक, 2016

खंडों का क्रम

खंड

1. सं क्षप्त नाम और प्रारंभ ।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. नई धारा 2ख का अंत:स्थापन ।
4. धारा 8 का संशोधन ।
5. धारा 9 का संशोधन ।
6. धारा 10 का संशोधन ।
7. धारा 11 का संशोधन ।
8. धारा 12 का संशोधन ।
9. धारा 14 का संशोधन ।
10. धारा 15 का संशोधन ।
11. धारा 19 का संशोधन ।
12. नई धारा 25क का अंत:स्थापन ।
13. धारा 26 का संशोधन ।
14. धारा 27 का संशोधन ।
15. धारा 40 का संशोधन ।
16. धारा 41 का संशोधन ।
17. धारा 43 का संशोधन ।
18. धारा 44 का संशोधन ।
19. धारा 49 का संशोधन ।
20. धारा 52 का संशोधन ।
21. धारा 55 का संशोधन ।
22. धारा 56 का संशोधन ।
23. धारा 59 का संशोधन ।
24. नई धारा 62क और धारा 62ख का अंत:स्थापन ।
25. धारा 63 का संशोधन ।
26. धारा 64 का संशोधन ।
27. धारा 66 का संशोधन ।
28. नई धारा 66क और धारा 66ख का अंत:स्थापन ।
29. धारा 67 का संशोधन ।
30. धारा 72 का संशोधन ।

खंड

31. धारा 74 का संशोधन ।
32. नई धारा 88क का अंत:स्थापन ।
33. धारा 92 का संशोधन ।
34. धारा 93 का संशोधन ।
35. धारा 94 का संशोधन ।
36. धारा 96 का संशोधन ।
37. धारा 110 का संशोधन ।
38. नई धारा 110क और धारा 110ख का अंत:स्थापन ।
39. धारा 114 का संशोधन ।
40. धारा 116 का संशोधन ।
41. धारा 117 का संशोधन ।
42. धारा 129 का संशोधन ।
43. नई धारा 134क का अंत:स्थापन ।
44. धारा 135 का संशोधन ।
45. नई धारा 136क का अंत:स्थापन ।
46. धारा 137 का संशोधन ।
47. धारा 138 का संशोधन ।
48. अध्याय 10 का लोप ।
49. अध्याय 11 के स्थान पर नए अध्याय 11 का रखा जाना ।
50. धारा 165 का संशोधन ।
51. धारा 166 का संशोधन ।
52. धारा 168 का संशोधन ।
53. धारा 169 का संशोधन ।
54. धारा 170 का संशोधन ।
55. धारा 173 का संशोधन ।
56. धारा 177 का संशोधन ।
57. धारा 177क का संशोधन ।
58. धारा 178 का संशोधन ।
59. धारा 179 का संशोधन ।
60. धारा 180 का संशोधन ।
61. धारा 181 का संशोधन ।
62. धारा 182 का संशोधन ।
63. धारा 182क के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना ।
64. धारा 183 का संशोधन ।
65. धारा 184 का संशोधन ।
66. धारा 185 का संशोधन ।

खंड

67. धारा 186 का संशोधन ।

68. धारा 187 का संशोधन ।

69. धारा 189 का संशोधन ।

70. धारा 190 का संशोधन ।

71. धारा 191 का लोप ।

72. धारा 192 का संशोधन ।

73. धारा 192क का संशोधन ।

74. नई धारा 192ख का अंत:स्थापन ।

75. धारा 193 का संशोधन ।

76. धारा 194 का संशोधन ।

77. नई धारा 194क, 194ख, 194ग, 194घ, 194ङ., 194च का अंत:स्थापन ।

78. धारा 195 का लोप ।

79. धारा 196 का संशोधन ।

80. धारा 197 का संशोधन ।

81. धारा 198 का संशोधन ।

82. नई धारा 199क का अंत:स्थापन ।

83. धारा 200 का संशोधन ।

84. धारा 201 का संशोधन ।

85. धारा 206 का संशोधन ।

86. नई धारा 210क, 210ख का अंत:स्थापन ।

87. नई धारा 211क का अंत:स्थापन ।

88. धारा 212 का संशोधन ।

89. नई धारा 215क, धारा 215ख, धारा 215ग, धारा 215घ, धारा 215ङ., धारा 215च का अंत:स्थापन ।

2016 का वधेयक संख्यांक 214

[दि मोटर व्हिकल (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद**]**

मोटर यान (संशोधन) वधेयक, 2016

मोटर यान अ धनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लए
वधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्न ल खत रूप में यह अ धनिय मत हो :--

1. (1) इस अ धनियम का सं क्षप्त नाम मोटर यान (संशोधन) अ धनियम, 2016 है । सं क्षप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अ धसूचना द्वारा नियत करे और व भन्न राज्यों के लए व भन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अ धनियम में कसी राज्य के संबंध में इस अ धनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस राज्य में इस अ धनियम के प्रवृत्त होने के प्रति लगाया जाएगा ।

1988 का 59 2. मोटर यान अ धनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अ धनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- धारा 2 का संशोधन ।

(i) खंड (1) के स्थान पर निम्न ल खत खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(1) "रूपांतरित यान" से कोई मोटर यान अ भप्रेत है, जिसे या तो

वनिर्दिष्टतः डजाइन और वनि र्मत कया गया है या जिसमें कसी शारीरिक वकार या निःशक्तता से पी ड़त व्यक्ति के उपयोग के लए धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तन कए गए हैं और उसका ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लए एकमात्र रूप से उपयोग कया जाता है ;

(1क) "समूहक" से कोई डजीटल मध्यवर्ती या कसी यात्री के लए परिवहन के प्रयोजन के लए चालक से संयोजित होने के लए कोई बाजार स्थान अ भप्रेत है ;

(1ख) इस अ धनियम के कसी उपबंध के संबंध में "क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अ भप्रेत है जैसा राज्य सरकार उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अ धसूचना द्वारा वनिर्दिष्ट करे ;'

(ii) खंड (4) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

'(4क) "समुदाय सेवा" से कोई असंदत्त कार्य अ भप्रेत है जिसका कसी व्यक्ति द्वारा इस अ धनियम के अधीन कए गए कसी अपराध के लए दंड के रूप में कया जाना अपे क्षत है ;'

(iii) खंड (9) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

'(9क) "चालक पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम" से धारा 19 की उपधारा (2क) में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अ भप्रेत है ;'

(iv) खंड (12) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

'(12क) "स्व र्णम घंटा" से अ भघात, क्षति के पश्चात् एक घंटे तक रहने वाली कालाव ध अ भप्रेत है जिसके दौरान तुरंत च कत्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अ धकतम संभावना है ;'

(v) खंड (18) का लोप कया जाएगा ।

(vi) खंड (24) में, "अशक्त यात्री गाड़ी" शब्दों के स्थान पर, "रूपांतरित यान" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (26) में, "अशक्त यात्री गाड़ी" शब्दों के स्थान पर, "रूपांतरित यान" शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) खंड (38) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

'(38क) "स्कीम" से इस अ धनियम के अधीन वर चत स्कीम अ भप्रेत है ;'

(ix) खंड (42) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

'(43क) "परीक्षण अ भकरण" से धारा 110ख के अधीन परीक्षण अ भकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट निकाय अ भप्रेत है ;'

(x) खंड (49) में, "टिका हुआ है" शब्दों के पश्चात्, "या गतिमान होता है" शब्द

अंत:स्था पत कए जाएंगे ।

नई धारा 2ख का अंत:स्थापन ।

3. मूल अ धनियम की धारा 2क के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

नवपरिवर्तन का संवर्धन ।

"2ख. केंद्रीय सरकार, इस अ धनियम में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाएं, यानीय इंजीनियरी, यांत्रिक रूप से नोदित यानों और साधारणतया परिवहन के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन का और अनुसंधान तथा वकास का संवर्धन करने के लए यांत्रिक रूप से नोदित कतिपय कस्म के यानों को इस अ धनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अ धनियम की धारा 8 में,--

(i) उपधारा (1) में, "उस अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अ धकारिता ऐसे क्षेत्र पर है" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में कसी अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "तथा ऐसी फीस होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी फीस सहित और ऐसी रीति में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी साधन हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कए जाएं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में,--

(क) "प्रत्येक आवेदन" शब्दों के स्थान पर, "परिवहन यान चलाने के लए प्रत्येक आवेदन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप कया जाएगा ;

(iv) उपधारा (4) में, "अशक्त यात्री गाड़ी" शब्दों के स्थान पर, "रूपांतरित यान" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (5) में, "अनुज्ञापन प्रा धकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो जाता" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और क अनुज्ञापन प्रा धकारी शक्षार्थी अनुज्ञप्ति इलैक्ट्रानिकी रूप में और ऐसी रीति में जारी कर सकेगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

5. मूल अ धनियम की धारा 9 में,--

(i) उपधारा (1) में, "उस अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अ धकारिता ऐसे क्षेत्र पर है" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में कसी अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्न ल खत परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और क कसी रूपांतरित यान को चलाने के लए कसी आवेदन को चालन अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी यदि अनुज्ञापन प्रा धकारी का यह समाधान हो जाता है क वह ऐसे मोटर यान को चलाने के लए उपयुक्त है ।";

(iii) उपधारा (4) में, "ऐसी न्यूनतम शै क्षक अर्हताएं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाएं और" शब्दों का लोप कया जाएगा ;

(iv) उपधारा (5) में, परंतुक में, "अर्हित नहीं होगा" शब्दों के पश्चात्, "और ऐसे आवेदक से धारा 12 के अधीन कसी स्कूल या स्थापन से उपचारात्मक चालन प्र शक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा होगी" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

6. मूल अ धनियम की धारा 10 में खंड (2) में, खंड (ग) में, "अशक्त यात्री गाड़ी" शब्दों के स्थान पर, "रूपांतरित यान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन ।

7. मूल अ धनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में, "उस अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अ धकारिता ऐसे क्षेत्र पर है" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में कसी अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

8. मूल अ धनियम की धारा 12 में खंड (4) के पश्चात् निम्न ल खत उपधाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

"(5) कसी अन्य उपबंध में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी जहां कसी स्कूल या स्थापन को तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अ धसू चत निकाय द्वारा प्रत्यायन प्रदान कया गया है, कोई व्यक्ति, जिसने ऐसे स्कूल या स्थापन में सफलतापूर्वक कोई प्र शक्षण माड्यूल पूरा कर लया है, जिसके अंतर्गत कोई व शष्ट कस्म का मोटर यान आता है, वह ऐसी कस्म के मोटर यान के लए चालन अनुज्ञप्ति अ भप्राप्त करने के लए पात्र होगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्र शक्षण माड्यूल का पाठ्यक्रम वह होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए और केंद्रीय सरकार ऐसे स्कूलों या स्थापनों के वनियमन के लए नियम बना सकेगी ।"

धारा 14 का संशोधन ।

9. मूल अ धनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में,--

(i) खंड (क) में,--

(अ) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में, "एक वर्ष" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "प्रभावी रहेगी और" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "तीन वर्ष और उसका नवीकरण ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा केंद्रीय सरकार वहित करे ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्न ल खत खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) कसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो

केंद्रीय सरकार विहित करे, यदि अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप में या उसके नवीकरण पर,--

(i) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस तक ऐसा व्यक्ति चालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ; या

(ii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ; या

(iii) उसके जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ; या

(iv) उसने, यथास्थिति, जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।";

(iii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 में,-- धारा 15 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में पहले परंतुक में "तीस दिन के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "उसकी समाप्ति की तारीख से या तो छह मास पूर्व या छह मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में,--

(क) "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) दूसरे परंतुक में, "चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से पाँच वर्ष से अधिक के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से छह मास के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-- धारा 19 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1अ) जहां धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को कोई अनुज्ञप्ति अग्रेषित की गई है, अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के

धारक को सुने जाने का अवसर प्रदान कए जाने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है तो वह या तो चालन अनुज्ञप्ति के धारक को निर्मुक्त कर देगा या वह वस्तृत कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में वनिर्दिष्ट सभी यानों या यानों के कसी वर्ग या ववरण के लए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने या अ भप्राप्त करने से निरर्हित करने का,**--**

(क) पहले अपराध के लए तीन मास की अव ध के लए निरर्हित करने का आदेश करेगा ;

(ख) दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लए ऐसे व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने का आदेश करेगा :

परंतु जहां इस धारा के अधीन कसी चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर लया गया है वहां ऐसी चालन अनुज्ञप्ति के धारक के नाम को पब्लिक डोमेन में ऐसी रीति में रखा जा सकेगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।";

(ii) उपधारा (2) में,--

(क) "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्था पत कए जाएंगे ;

(ख) परंतुक के स्थान पर निम्न ल खत परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु चालन अनुज्ञप्ति को धारक को निरर्हता की अव ध की समाप्ति पर केवल तभी लौटाया जाएगा जब वह सफलतापूर्वक चालक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूरा करता है ।";

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्न ल खत धाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

"(2क) अनुज्ञप्तिधारक, जिसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है वह धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्त और वनिय मत स्कूल या स्थापन से या कसी अन्य अ भकरण से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अ धसू चत कया जाए, चालक पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम करेगा ।

(2ख) चालक पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति पाठ्य ववरण और अव ध वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए ।"।

(iv) "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्था पत कए जाएंगे ।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन ।

12. मूल अ धनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय

"25क. (1) केंद्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्तियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा वहित कया जाए ।

रजिस्टर ।

(2) चालन अनुज्ञप्तियों के सभी राज्य रजिस्टरों को चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अ धसू चत की जाने वाली तारीख तक सम्मि लत कर लया जाएगा ।

(3) इस अ धनियम के अधीन जारी या नवीकृत कोई चालन अनुज्ञप्ति तब तक व धमान्य नहीं होगी जब तक उसे चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक व शष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी गई हो ।

(4) इस अ धनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्रा धकारी सभी सूचना, जिसके अंतर्गत चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर में अंत र्वष्ट डाटा भी है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में पारे षत करेंगे जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।

(5) राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लए हकदार होगी और अपने अ भलेखों को ऐसी रीति में अद्यतन करेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा वहित कया जाए ।"।

13. मूल अ धनियम की धारा 26 में,-- धारा 26 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, "निम्न ल खत व शष्टियां अंत र्वष्ट होंगी" शब्दों के स्थान पर, " व शष्टियां, जिसके अंतर्गत निम्न ल खत होंगी अर्थात्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) का लोप कया जाएगा ।

14. मूल अ धनियम की धारा 27 में,-- धारा 27 का संशोधन ।

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(घक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें अनुज्ञापन प्रा धकारी धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन शक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा ;"

(ii) खंड (ञ) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(ञक) प्र शक्षण माड्यूलों की पाठ्यचर्या और धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन स्कूलों और स्थापनों का वनियमन ;

(ञख) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के मालों के वहन के लए परिवहन यानों और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन अन्य मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए शर्तें ;"

(iii) खंड (ढ) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(ढक) धारा 19 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारक के नाम को पब्लिक डोमेन में रखने की रीति ;

(ढख) धारा 19 की उपधारा (2ख) में निर्दिष्ट चालक पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्य ववरण और अव ध के लए उपबंध करना ;"

(iv) खंड (ण) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(णक) धारा 25क में निर्दिष्ट सभी या कोई वषय ;"

(v) खंड (त) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्था पत कए जाएंगे ।

धारा 40 का संशोधन ।

15. मूल अ धनियम की धारा 40 में, "रजिस्ट्रीकर्ता" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी" शब्द अंतःस्था पत कए जाएंगे ।

धारा 41 का संशोधन ।

16. मूल अ धनियम की धारा 41 में,--

(i) उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात् निम्न ल खत परंतुक अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और क नए मोटर यान की दशा में राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन ऐसे मोटर यान के डीलर द्वारा कया जाएगा, यदि नए मोटर यान को उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत कया जा रहा है जिसमें डीलर अवस्थित है ।";

(ii) उपधारा (3) में,--

(क) "उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर कया हो, स्वामी को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर, "स्वामी के नाम से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (6) में निम्न ल खत परंतुक अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु नए मोटर यान की दशा में, जिसके लए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कया गया था, ऐसे मोटर यान का उसके स्वामी को तब तक परिदान नहीं कया जाएगा जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण चहन मोटर यान पर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए, प्रद र्शत नहीं कर दिया जाता है ।";

(iv) उपधारा (7) में,--

(क) "परिवहन यान से भन्न" शब्दों का लोप कया जाएगा ; और

(ख) "ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी अव ध के लए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए" शब्द अंतःस्था पत कए जाएंगे ;

(v) उपधारा (8) में, "परिवहन यान से भन्न" शब्दों का लोप कया जाएगा ;

(vi) उपधारा (10) में,--

(क) "पाँच वर्ष की अव ध के लए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी अव ध, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्न ल खत परंतुक अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु केंद्रीय सरकार व भन्न कस्म के यानों के लए नवीकरण की व भन्न अव ध वहित कर सकेगी ।";

(vii) उपधारा (11) में,--

(क) "धारा 177 के अधीन उसके वरुद्ध की जाए, एक सौ रुपए से अन धक उतनी रकम" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 192ख की उपधारा (1) के अधीन उसके वरुद्ध की जाए, पाँच हजार रुपए से अन धक उतनी रकम" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; और

(ख) परंतुक में "धारा 177" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 192ख की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(viii) उपधारा 11 के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(11क) यदि कोई डीलर उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कोई आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीलर से धारा 192ख की उपधारा के अधीन उसके वरुद्ध की जा सकने वाली कसी कार्रवाई के स्थान पर ऐसी रकम, जो पन्द्रह हजार रुपए से अ धक नहीं होगी, जैसा उपधारा (13) के अधीन वहित कया जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु धारा 192ख की उपधारा (2) के अधीन कोई कार्रवाई डीलर के वरुद्ध वहां की जाएगी जहां डीलर उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है ।";

(ix) उपधारा (12) के स्थान पर निम्न ल खत उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(12) जहां स्वामी या डीलर, यथास्थिति, उपधारा (11) या उपधारा (11क) के अधीन रकम का संदाय कर देता है तो उसके वरुद्ध, यथास्थिति, धारा 192ख की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।";

(x) उपधारा (13) के स्थान पर निम्न ल खत उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(13) उपधारा (11) और उपधारा (11क) के प्रयोजनों के लए राज्य सरकार ऐसे स्वामी या डीलर द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन कोई आवेदन करने में वलंब की अव ध को ध्यान में रखते हुए व भन्न रकम वहित कर सकेगी"।

धारा 43 का संशोधन ।

17. मूल अ धनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्न ल खत धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"43. धारा 40 में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी कसी मोटर यान का स्वामी रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी या अन्य प्रा धकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा वहित कया जाए, को मोटर यान को अस्थायी रूप से रजिस्टर करने के लए आवेदन कर सकेगा और प्रा धकारी रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चहन ऐसे नियमों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, जारी करेगा ।"।

धारा 44 का संशोधन ।

18. मूल अ धनियम की धारा 44 के स्थान पर निम्न ल खत धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"44. (1) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस नि मत्त केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाएं, कसी प्रा धकृत डीलर द्वारा वक्रय कए गए मोटर यान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लए रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(2) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा वहित की जाएं, कोई व्यक्ति, जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कया गया है, से रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।"

धारा 49 का संशोधन ।

19. मूल अ धनियम की धारा 49 में,--

(i) उपधारा (1) में, "यदि नया पता कसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी की अ धकारिता के भीतर है, तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को देगा" शब्दों के स्थान पर, "यदि नया पता कसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी की अ धकारिता के भीतर है, तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को देगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) उपधारा (1) के अधीन संसूचना समु चत रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी को ऐसे दस्तावेजों के इलैक्ट्रानिकी प्ररूप के साथ इलैक्ट्रानिक प्ररूप में, जिसके अंतर्गत ऐसी रीति में अ धप्रमाणन का सबूत भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए, भेजी जा सकेगी ।";

(iii) उपधारा (1) में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 52 का संशोधन ।

20. मूल अ धनियम की धारा 52 में,--

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्न ल खत परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और क केंद्रीय सरकार मोटर यानो में परिवर्तन के लए वनिर्देश, अनुमोदन और पुन: संयोजन के लए शर्तें तथा अन्य संबद्ध वषय वहित कर सकेगी और ऐसे मामलों में, वनिर्माता द्वारा दी गई वारंटी को ऐसे परिवर्तन या पुन: संयोजन के प्रयोजनों के लए शून्य नहीं समझा जाएगा ।";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) कसी मोटर यान का वनिर्माता केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेश पर केंद्रीय सरकार द्वारा वनिर्दिष्ट ऐसे मानकों और वनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा उपस्करों या कसी अन्य उपस्कर में परिवर्तन या पुन: संयोजन करेगा ।"

(iii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्न ल खत उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति,

रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी के पश्चातवर्ती अनुमोदन से उसके स्वा मत्वाधीन कसी यान में परिवर्तन कर सकेगा या उसे कसी रूपांतरित यान में बदलना कारित कर सकेगा :

परंतु ऐसा परिवर्तन ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अ धरो पत की जाए ।";

(iv) उपधारा (3) में, "या उपधारा (2) के अधीन कसी ऐसे अनुमोदन के बिना उसका इंजन बदलने के कारण कया गया है" शब्दों का लोप कया जाएगा ।

21. मूल अ धनियम की धारा 55 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 55 का संशोधन ।

"(5क) यदि कसी रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी या अन्य वहित प्रा धकारी के पास यह वश्वास करने के कारण हैं क उसकी अ धकारिता के भीतर कसी मोटर यान का उपयोग धारा 199क के अधीन दंडनीय कसी अपराध को करने के लए कया गया है तो प्रा धकारी स्वामी को ल खत में अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक वर्ष की अव ध के लए यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा :

परंतु यान का स्वामी धारा 40 और धारा 41 के उपबंधों के अनुसार नए रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन कर सकेगा ।"।

22. मूल अ धनियम की धारा 56 में,-- धारा 56 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और क 1 अक्तूबर, 2018 के पश्चात् कसी यान को तब तक उपयुक्तता प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कया जाएगा जब तक ऐसे यान का स्वचा लत परीक्षण केंद्र पर परीक्षण न कर लया गया हो ।" ;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्न ल खत उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट 'प्रा धकृत परीक्षण केंद्र' से कोई प्रसु वधा अ भप्रेत है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रा धकृत स्वचा लत परीक्षण प्रसु वधा है, जहां ऐसे केंद्रों की मान्यता, वनियमन और नियंत्रण के लए बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्तता परीक्षण संचा लत कया जा सकेगा ।";

(iii) उपधारा (4) में परंतुक के स्थान पर निम्न ल खत परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु वहित प्रा धकारी द्वारा ऐसा रद्दकरण तब तक नहीं कया जाएगा जब तक,--

(क) ऐसा वहित प्रा धकारी ऐसी तकनीकी अर्हता न रखता हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए और जहां वहित प्रा धकारी तकनीकी अर्हता नहीं रखता है, ऐसा रद्दकरण ऐसी अर्हता रखने वाले कसी अ धकारी की रिपोर्ट पर कया जाएगा, और

(ख) कसी उपयुक्तता प्रमाणपत्र को रद्द करने के लेखबद्ध कारणों की यान के स्वामी, जिसके उपयुक्तता प्रमाणपत्र को रद्द करने की वांछा की जा रही है, द्वारा चुने गए प्रा धकृत परीक्षण केंद्र में पुष्टि की जाएगी :

परंतु यह और क यदि रद्दकरण की प्रा धकृत परीक्षण केंद्र द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो परीक्षण करने की लागत को परीक्षण कए जा रहे यान के स्वामी द्वारा और अन्यथा वहित प्रा धकारी द्वारा वहन कया जाएगा ।";

(iv) उपधारा (5) के पश्चात् निम्न ल खत उपधाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

"(6) इस धारा के अधीन व धमान्य उपयुक्तता प्रमाणपत्र रखने वाले सभी परिवहन यान उनकी बाडी पर स्पष्ट और सहज दृश्य रीति में ऐसा सु भन्न चह्न लगाएंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।

(7) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाएं, इस धारा के उपबंधों का गैर-परिवहन यानों पर वस्तार हो सकेगा ।"

धारा 59 का संशोधन ।

23. मूल अ धनियम की धारा 59 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) केंद्रीय सरकार लोक सुरक्षा, सु वधा, पर्यावरण के संरक्षण और इस अ धनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मोटर यानों और उनके भागों, जिनका जीवन पूरा हो चुका है, के पुन: चक्रण के लए रीति वहित करने के लए नियम बना सकेगी ।"

नई धारा 62क और धारा 62ख का अंत:स्थापन ।

24. मूल अ धनियम की धारा 62 के पश्चात् निम्न ल खत धाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध ।

"62क. (1) कोई रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी कसी मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगी जिसने धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बनाए गए कसी नियम का उल्लंघन कया है ।

(2) कोई वहित प्रा धकारी या प्रा धकृत परीक्षण केंद्र धारा 56 के अधीन कसी मोटर यान को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा जिसने धारा 110 के अधीन बनाए गए कसी नियम का उल्लंघन कया है ।

मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ।

62ख. (1) केंद्रीय सरकार मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा उसके द्वारा वहित कया जाए :

परंतु मोटर यानों के सभी राज्य रजिस्टरों को राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के अधीन उस तारीख तक सम्मि लत कर लया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अ धसू चत की जाए ।

(2) इस अ धनियम के अधीन जारी या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक व धमान्य नहीं होगा जब तक मोटर यानों को राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक व शष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या उसे जारी न कर दी गई हो ।

(3) मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यानों के राज्य रजिस्टर में सभी सूचना और डाटा को केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में पारेषित करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) राज्य सरकारें मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होंगी और अभिलेखों को इस अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अद्यतन करेंगी ।"

25. मूल अधिनियम की धारा 63 में,-- धारा 63 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, "निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्" शब्दों के स्थान पर, "निम्नलिखित विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं" शब्द रखें जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) प्रत्येक राज्य सरकार मोटर यानों के राज्य रजिस्टर के अद्यतन ब्यौरों की केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में आपूर्ति करेगी जैसा केंद्रीय सरकार विहित करे" ;

(iii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) मोटर यानों के सभी राज्य रजिस्टरों को मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन उस तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।"

26. मूल अधिनियम की धारा 64 में,-- धारा 64 का संशोधन ।

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घक) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के लिए उपबंध करने के लिए ;"

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङक) धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन विभिन्न किस्म के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की अवधि ;"

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(चक) धारा 43 के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी करने के लिए ;

(चख) वह निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए किसी मोटर यान के धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ;"

(iv) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ञक) पते में परिवर्तन की इलैक्ट्रानिकी रूप में संसूचना प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति, ऐसी संसूचना के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, जिसके

अंतर्गत धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अ धप्रमाणन का सबूत भी है ;"

(v) खंड (ठ) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंत:स्था पत कए जाएंगे, अर्थात् :--

"(ठक) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन, पुन: संयोजन और मोटर यानों में परिवर्तन से संबं धत अन्य वषयों के वनिर्देश, अनुमोदन की शर्तें ;

(ठख) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन कसी मोटर यान को रूपांतरित यान में परिवर्तित करने की शर्तें ;"

(vi) खंड (ढ) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंत:स्था पत कए जाएंगे, अर्थात् :--

"(ढक) धारा 56 की उपधारा (6) के अधीन परिवहन यानों की बाडी पर लगाया जाने वाला सु भन्न चह्न ;

(ढख) वह शर्तें, जिनके अधीन धारा 56 के लागू होने का धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन गैर परिवहन यानों पर वस्तार कया जा सकेगा ;

(ढग) मोटर यानों और उनके भागों का, जिनका धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन उपयोगी जीवन समाप्त हो गया है, पुन:चक्रण ;"

(vii) खंड (ण) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंत:स्था पत कए जाएंगे, अर्थात् :--

"(णक) धारा 62ख के अधीन सभी या कोई वषय ;

(णख) धारा 63 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन सभी या कोई वषय ;" ।

धारा 66 का संशोधन ।

27. मूल अ धनियम की धारा 66 में,--

(i) उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी क जहां कसी परिवहन यान को पर मट के साथ-साथ इस अ धनियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, ऐसे यान का उपयोग यान के स्वामी के ववेका धकार पर या तो जारी पर मट या पर मटों के अधीन या ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन कया जा सकेगा ।";

(ii) उपधारा (3) में, खंड (त) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(थ) कसी परिवहन यान को, जिसे धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन, कसी स्कीम के अधीन या धारा 88क की उपधारा (1) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है या वह ऐसे आदेशों के अधीन चल रहा है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी कए जाएं ।" ।

नई धारा 66क और धारा 66ख का अंत:स्थापन ।

28. मूल अ धनियम की धारा 66 के पश्चात् निम्न ल खत धाराएं अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

राष्ट्रीय परिवहन नीति ।

"66क. (1) केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों और अन्य अ भकरणों के परामर्श से इस अ धनियम के उद्देश्यों से संगत राष्ट्रीय नीति निम्न ल खत को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगी--

(i) यात्री और माल परिवहन के लिए योजना फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसके भीतर परिवहन निकाय प्रचालन करेंगे ;

(ii) एकीकृत मल्टी माडल परिवहन प्रणाली के परिदान के लिए सड़क परिवहन के सभी रूपों के लिए मध्यम और दीर्घ अव ध योजना ढांचा स्था पत करना, पत्तनों, रेल और वमानन से संबं धत प्रा धकारियों और अ भकरणों के साथ स्थानीय और राज्य स्तर योजना, भू म धृति और वनियामक प्रा धकारियों के साथ परामर्श से परिवहन सुधार अवसंरचना वकास के क्षेत्रों की पहचान करना ;

(iii) पर मटों और स्कीमों को अनुदत्त करने के लिए ढांचा स्था पत करना ;

(iv) सड़क द्वारा परिवहन के लिए सामरिक नीति स्था पत करना और परिवहन के अन्य साधनों के साथ एक संपर्क के रूप में उसकी भू मका ;

(v) परिवहन प्रणाली के लिए सामरिक नीतियों की पहचान करना और पू र्वकताओं को वनिर्दिष्ट करना, जो वर्तमान तथा भावी चुनौतियों पर ध्यान देती हैं ;

(vi) मध्यम से दीर्घाव ध सामरिक निदेश, पू र्वकताओं और कार्रवाईयों का उपबंध करने ;

(vii) प्रतिस्पर्धा, नवपरिवर्तन, सक्षमता में वृ द्ध, बेरोकटोक सचलता और माल या पशु धन या यात्रियों के परिवहन में बृहत्तर दक्षता और संसाधनों का मतव्ययी उपयोग ;

(viii) परिवहन क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाते हुए जनता के हितों के सुरक्षोपाय और साम्या का संवर्धन ;

(ix) परिवहन और भू-उपयोग योजना के लिए एक एकीकृत अप्रोच का प्रदर्शन ;

(x) उन चुनौतियों की पहचान करना, जिनको राष्ट्रीय परिवहन नीति दूर करना चाहती है ;

(xi) कोई अन्य वषय पर ध्यान देना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा सुसंगत समझा जाए ।

66ख. कोई व्यक्ति, जो इस अ धनियम के अधीन जारी पर मट धारण करता है— पर मट धारकों के वरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के वरुद्ध कोई वर्जन न होना ।

(क) धारा 67 की उपधारा (3) या धारा 88क की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से ऐसा पर मट धारण करने के कारण निरर्हित नहीं होगा ; और

(ख) से इस अ धनियम के अधीन बनाई गई कसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने पर ऐसे पर मट को रद्द करने की अपेक्षा नहीं होगी ।" ।

29. मूल अ धनियम की धारा 67 में,-- धारा 67 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्न ल खत उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) कोई राज्य सरकार निम्न ल खत को ध्यान में रखते हुए,--

(क) पब्लिक, व्यापार और उद्योग को मोटर परिवहन के वकास द्वारा प्रस्ता वत फायदों,

(ख) सड़क और रेल परिवहन को समन्वित करने की वांछनीयता,

(ग) सड़क प्रणाली की अवनति को निवारित करने की वांछनीयता, और

(घ) परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लए,

समय-समय पर राजपत्र में अ धसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्रा धकरण और प्रादे शक परिवहन प्रा धकरण दोनों को यात्रियों की सु वधा, आ र्थक रूप से प्रतिस्पर्धी करारों, भीड़भाड़ को रोकने और सड़क सुरक्षा के लए निदेश जारी कर सकेगी ।"

(ii) उपधारा (2) में निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उ चत समझे और उपधारा (1) के खंड (घ) में वनिर्दिष्ट उद्देश्यों को हा सल करने के लए इस अध्याय के अधीन सभी या कन्हीं उपबंधों को श थल कर सकेगी ।"

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्न ल खत उपधाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

"(3) इस अ धनियम में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अ धसूचना द्वारा इस अ धनियम के अधीन जारी कसी पर मट को उपांतरित कर सकेगी या मालों और यात्रियों के परिवहन के लए स्कीमें बना सकेगी और ऐसी स्कीमों के अधीन परिवहन के वकास और दक्षता के संवर्धन के लए अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी—

(क) अंतिम स्थान को संपर्क ;

(ख) ग्रामीण परिवहन ;

(ग) ट्रै फक की भीड़भाड़ को कम करना ;

(घ) शहरी परिवहन में सुधार ;

(ङ) सड़क के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा ;

(च) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग ;

(छ) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आ र्थक ओजस्विता का वर्धन ;

(ज) लोगों की पहुंच और सचलता में वृ द्ध ;

(झ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन ;

(ञ) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन ;

(ट) जीवन की क्वा लटी में सुधार ;

(ठ) परिवहन के तरीकों में और उनमें परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क का वर्धन ; और

(ड) ऐसे अन्य वषय, जिन्हें केंद्रीय सरकार उ चत समझे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन वर चत स्कीम प्रभारित की जाने वाली फीसों, आवेदन के प्ररूप और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने को, जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण, निलंबन, रद्द करना या उपांतरण है, को वनिर्दिष्ट करेगी ।" ।

धारा 72 का संशोधन ।

30. मूल अ धनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु प्रादे शक परिवहन प्रा धकारी मंजली गाड़ी के पर मट से, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालन कर रही है, ऐसी कन्हीं शर्तों का अ धत्यजन कर सकेगा ।" ।

धारा 74 का संशोधन ।

31. मूल अ धनियम की धारा 74 में,--

(i) उपधारा (2) में निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु प्रादे शक परिवहन प्रा धकारी अंतिम स्थान संपर्कता के हित में ऐसे कस्म के कन्हीं यानों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वनिर्दिष्ट कए जाएं, के संबंध में ऐसी कसी शर्त का अ धत्यजन कर सकेगा ।"

(ii) उपधारा (3) में, खंड (ख) के परंतुक में उपखंड (vi) के पश्चात् निम्न ल खत उपखंड अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(vii) स्वयं सहायता समूह ।"

नई धारा 88क का अंत:स्थापन ।

32. मूल अ धनियम की धारा 88 के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लए स्कीमें बनाने की शक्ति ।

"88क. (1) इस अ धनियम में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार राजपत्र में अ धसूचना द्वारा इस अ धनियम के अधीन जारी कसी पर मट को उपांतरित कर सकेगी या राष्ट्रीय, मल्टीमाडल और माल या यात्रियों के अंतर्राज्य परिवहन के लए स्कीमें बना सकेगी तथा निम्न ल खत प्रयोजनों के लए ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) अंतिम स्थान को संपर्क ;

(ख) ग्रामीण परिवहन ;

(ग) माल और लाजिस्टिक के संचलन में सुधार ;

(घ) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग ;

(ङ) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आ र्थक ओजस्विता का वर्धन ;

(च) लोगों की पहुंच और सचलता में वृ द्ध ;

(छ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन ;

(ज) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन ;

(झ) जीवन की क्वा लटी में सुधार ;

(ञ) परिवहन के तरीकों में और उनमें परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क का वर्धन ; और

(ट) ऐसे अन्य वषय, जिन्हें केंद्रीय सरकार उ चत समझे :

परंतु केंद्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करेगी ।

(2) उपधारा (1) में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी दो या अ धक राज्य मालों या परिवहन के ऐसे राज्यों में प्रचालन के लए स्कीमें बना सकेंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों और दो या अ धक राज्यों द्वारा इस उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीम में प्रतिकूलता की दशा में उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमें अ भभावी होंगी ।";

धारा 92 का संशोधन ।

33. मूल अ धनियम की धारा 92 में, "मंजली गाड़ी या ठेका गाड़ी में, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन पर मट दिया गया है" शब्दों के स्थान पर "परिवहन यान, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन पर मट या अनुज्ञप्ति दी गई है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 93 का संशोधन ।

34. मूल अ धनियम की धारा 93 में,--

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्न ल खत शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अ भकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति अ भप्राप्त करना ।"

(ii) उपधारा (1) में,--

(क) खंड (ii) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) एक समूहक के रूप में,";

(ख) निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु कसी समूहक को अनुज्ञप्ति जारी करते समय राज्य सरकार ऐसे मार्गदर्शक सद्धांतों का अनुपालन करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कए जाएं :

परंतु यह और क प्रत्येक समूहक सूचना प्रौद्यो गकी अ धनियम, 2000 2000 का 21

और तदधीन बनाए गए नियमों और वनियमों का अनुपालन करेगा ।"

35. मूल अ धनियम की धारा 94 में दोनों स्थानों पर आने वाले, "इस अ धनियम के अधीन पर मट" शब्दों के पश्चात् "या कसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे । धारा 94 का संशोधन ।

36. मूल अ धनियम की धारा 96 में उपधारा (2) में खंड (xxxii) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंत:स्था पत कए जाएंगे, अर्थात् :-- धारा 96 का संशोधन ।

"(xxxiiक) धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों की वरचना ;

(xxxiiख) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सु वधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी कराये का संवर्धन तथा भीड़भाड़ को निवारित करना,"।

37. मूल अ धनियम की धारा 110 में,-- धारा 110 का संशोधन ।

(i) "संघटकों के मानक" शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर है" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में " व शष्ट परिस्थितियों में" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे नियम अन्वेषण की प्र क्रया, ऐसा अन्वेषण संचा लत करने के लए सशक्त अ धकारी ऐसे वषयों की सुनवाई के लए प्र क्रया तथा उनके तदधीन उदगृहित की जाने वाली शास्तियां" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्वेषणों के संचालन के लए उपधारा (2) के
1908 का 5 अधीन सशक्त व्यक्तियों को स वल प्र क्रया संहिता, 1908 के अधीन निम्न ल खत
वषयों के संबंध में स वल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(क) कसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा ;

(ख) कसी दस्तावेज की मांग और प्रस्तुत करने की अपेक्षा ;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; और

(घ) कोई अन्य वषय, जो वहित कया जाए ।

38. मूल अ धनियम की धारा 110 के पश्चात् निम्न ल खत धाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :-- नई धारा 110क और धारा 110ख का अंत:स्थापन ।

''110क (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा वनिर्माता को यह निदेश दे सकेगी क वह कसी व शष्ट कस्म के मोटर यानों या उसके परिवर्तियों को तब वापस बुलाएगी, यदि-- मोटर यानों का वापस बुलाना ।

(क) उस व शष्ट कस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष है जो पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का

उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है ; और

(ख) उस व शष्ट कस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष निम्न ल खत द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट कया गया है,--

(i) स्वा मयों के ऐसे प्रतिशत द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अ धसूचना द्वारा वनिर्दिष्ट करे ; या

(ii) कसी परीक्षण अ भकरण ; या

(iii) कसी अन्य स्रोत ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट दोष मोटर यान के कसी संघटक में है, वहां केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा वनिर्माता को ऐसे सभी मोटर यानों को, ऐसे मोटर यानों की कस्म या उसके परिवर्तियों पर ध्यान न देते हुए, जिनमें ऐसा संघटक लगा हुआ है, वापस बुलाने का निदेश दे सकेगी ।

(3) ऐसा कोई वनिर्माता, जिसके यानों को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वापस बुलाया जाता है,--

(क) क्रेताओं को कसी अवक्रय या प ा-आडमान करार के अधीन रहते हुए मोटर यान की संपूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति करेगा ; या

(ख) दोषपूर्ण मोटर यान को समान या बेहतर वनिर्देशों वाले कसी ऐसे अन्य मोटर यान से प्रतिस्था पत करेगा, जो इस अ धनियम के अधीन वनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करता है या उसकी मरम्मत करेगा ; और

(ग) ऐसे जुर्माने और अन्य शोध्यों का संदाय करेगा, जो उपधारा (6) के अनुसार हों ।

(4) जहां वनिर्माता द्वारा व नि र्मत कसी मोटर यान में कोई दोष उसकी सूचना में आता है तो वह ऐसे दोष की जानकारी केंद्रीय सरकार को देगा और यानों को वापस बुलाए जाने की प्र क्रयाएं आरंभ करेगा और ऐसी दशा में वनिर्माता उपधारा (3) के अधीन जुर्माने का संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

(5) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन कसी अ धकारी को अन्वेषण करने के लए प्रा धकृत कर सकेगी, जिसके पास निम्न ल खत वषयों के संबंध में स वल प्र क्रया संहिता, 1908 के अधीन कसी वाद का वचारण करने वाले कसी स वल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(1908 का 5)

(क) कसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने ;

(ख) कसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने ; और

(घ) ऐसा कोई अन्य वषय, जो वहित कया जाए ।

(6) केंद्रीय सरकार, कसी ऐसे दोष के लए, जो केंद्रीय सरकार की राय में पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का

उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है, मोटर यानों की कसी व शष्ट कस्म या उसके परिवर्तियों को वापस बुलाने का वनियमन करने के लए नियम बना सकेगी ।

कस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अ भकरण ।

110ख (1) कसी भी मोटर यान का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाइड्रो लक ट्रेलर या साइड कार भी है, तब तक भारत में वक्रय या परिदान या कसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग नहीं कया जाएगा, जब तक क उपधारा (2) में ऐसे यान के संबंध में निर्दिष्ट कस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा कसी मोटर यान द्वारा खींचे जाने वाले या खींचे जाने के लए आशयित अन्य यानों के कस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र की अपेक्षा को वस्तारित कर सकेगी :

परंतु यह और क ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे यानों के लए अपे क्षत नहीं होगा,--

(क) जो निर्यात के लए अथवा प्रदर्शन या निदर्शन या संप्रदर्शन के लए आशयित हैं ; या

(ख) जिनका उपयोग मोटर यानों या मोटर यान संघटकों के कसी वनिर्माता या कसी अनुसंधान और वकास केंद्र द्वारा कया जाता है या जिनकी परीक्षा कसी परीक्षण और व धमान्यकरण अ भकरण द्वारा या कसी डाटा संग्रहण के लए कन्हीं कारखाना परिसरों के भीतर कसी गैर-सार्वजनिक स्थान पर कया जाता है ; या

(ग) जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त है ।

(2) ऐसे मोटर यानों का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाइड्रो लक ट्रेलर या साइड कार भी है, वनिर्माता या आयातकर्ता कस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र अ भप्राप्त करने के लए कसी परीक्षण अ भकरण को वनि र्मत या आयातित कए जाने वाले यान की प्रोटो कस्म परीक्षण के लए प्रस्तुत करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, परीक्षण अ भकरणों के प्रत्यायन, रजिस्ट्रीकरण और वनियमन के लए नियम बनाएगी ।

(4) परीक्षण अ भकरण, वनिर्माता की उत्पादन पंक्ति से लए गए यानों या अन्यथा अ भप्राप्त कए गए यानों का यह सत्यापन करने के लए परीक्षण करेंगे क ऐसे यान इस अध्याय और तद्धीन बनाए गए नियमों और वनियमों के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

(5) जहां कस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र धारण करने वाले कसी मोटर यान को धारा 110क के अधीन वापस बुलाया जाता है, वहां ऐसा परीक्षण अ भकरण, जिसने ऐसे मोटर यान को प्रमाणपत्र मंजूर कया था, उसके प्रत्यायन और रजिस्ट्रीकरण को रद्द कए जाने के लए दायी होगा ।"।

धारा 114 का संशोधन ।

39. मूल अ धनियम की धारा 114 की उपधारा 1 में, ''यदि राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत मोटर यान वभाग के कसी अ धकारी के पास" शब्दों के स्थान पर ''यदि

राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत मोटर यान वभाग के कसी अ धकारी या कसी अन्य व्यक्ति के पास" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 116 का संशोधन ।

40. मूल अ धनियम की धारा 116 में,--

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंतःस्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

''(1क) उपधारा (1) में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा धकरण अ धनियम, 1988 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा धकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्रा धकृत कोई अन्य अ भकरण, पहली अनुसूची में उपबं धत कए गए अनुसार मोटर यान यातायात वनियमन के प्रयोजन के लए राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात चहनों को लगवा या स्था पत या हटवा सकेगा या ऐसा करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसे कसी चहन या वज्ञापन को हटाए जाने का आदेश दे सकेगी, जो उसकी राय में इस प्रकार लगाया गया है, जो कसी यातायात चहन को दिखाई देने से रोकता है या कसी यातायात चहन के समान दिखाई देता है, जिससे क चालक के भ्र मत होने या उसकी सावधानी हटने या ध्यान भंग होने की संभावना है ।'; 1988 का 68

(ii) उपधारा (3) में, ''उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, ''या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्था पत कए जाएंगे ।

धारा 117 का संशोधन ।

41. मूल अ धनियम की धारा 117 में निम्न ल खत परंतुक अंतःस्था पत कए जाएंगे, अर्थात् :--

''परंतु राज्य सरकार या प्रा धकृत प्रा धकरण ऐसे स्थलों का अवधारण करते समय सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध संचलन को पू र्वकता प्रदान करेगा :

परंतु यह और क इस धारा के प्रयोजनों के लए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा धकरण अ धनियम, 1988 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा धकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्रा धकृत कोई अन्य अ भकरण भी ऐसे स्थानों को वनिर्दिष्ट कर सकेगा ।''। 1988 का 68

धारा 129 का संशोधन ।

42. मूल अ धनियम की धारा 129 के स्थान पर निम्न ल खत धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

सुरक्षात्मक सर के पहनावे का पहना जाना ।

''129. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु चार वर्ष से अ धक है और जो कसी वर्ग या ववरण की मोटर साइ कल का चालन या उसकी सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसे मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक सर के पहनावे को पहनेगा, जैसा क केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए :

परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे कसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो क सख है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइ कल का चालन या उस पर सवारी कर रहा हो, तो पगड़ी धारण कर रहा है :

परंतु यह और क केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा मोटर साइ कल का चालन या उस पर सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु की बालकों की सुरक्षा के लए उपायों का उपबंध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—''सुरक्षात्मक सर के पहनावे" से ऐसा कोई हेलमेट अ भप्रेत है,--

(क) जिससे उसके आकार, सामग्री और संरचना के कारण युक्तियुक्त रूप से यह आशा की जा सकती है क वह कसी दुर्घटना की दशा में कसी मोटर साइ कल का चालन या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को शारीरिक क्षति से कसी हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा ; और

(ख) जिसे उसको पहनने वाले व्यक्ति के सर पर सुर क्षत रूप से, सर के पहनावे में लगे हुए स्ट्रैप या अन्य बंधकों के द्वारा कस कर बांधा जाता है ।''।

43. मूल अ धनियम की धारा 134 के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 134क का अंत:स्थापन ।

''134क. (1) कोई नेक व्यक्ति उस समय कसी मोटर यान को सं लप्त करने वाले कसी दुर्घटना के पी ड़त व्यक्ति को कसी क्षति या उसकी मृत्यु के लए कसी स वल या दां डक कार्रवाई के लए दायी नहीं होगा, जहां ऐसी क्षति या मृत्यु नेक व्यक्ति की आपातकाल च कत्सीय या गैर च कत्सीय देखरेख या सहायता करते समय कोई कार्रवाई करने या कारवाई करने में असफल रहने संबंधी अनावधानता के परिणामस्वरूप हुई है : बेहतर समारियों की संरक्षा ।

(2) केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा, नेक व्यक्ति से पूछताछ या उसकी परीक्षा करने, नेक व्यक्ति से संबं धत निजी जानकारी के प्रकटन और ऐसे अन्य संबं धत वषयों हेतु प्र क्रया के लए उपबंध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लए, ''नेक व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अ भप्रेत है, जो सद्भावपूर्वक, स्वैच्छिक रूप से और बिना कसी परितोष या अनुतोष की आशा के दुर्घटना स्थल पर कसी पी ड़त व्यक्ति को आपातकाल च कत्सीय या गैर च कत्सीय देखरेख या सहायता उपलब्ध कराता है या ऐसे पी ड़त व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है ।''।

44. मूल अ धनियम की धारा 135 में,-- धारा 135 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,--

(क) खंड (ग) में, ''और" शब्द का लोप कया जाएगा ;

(ख) खंड (घ) में, "प्रक्षेत्र" शब्द के स्थान पर, "प्रक्षेत्र ; और" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"(ड.) जनता की सुरक्षा और सु वधा के हितों में कोई अन्य सु वधाएं ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी,

अर्थात् :--

''(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और वश्लेषण के संबंध में गहन अध्ययन करने के लए एक या अ धक स्कीमें बना सकेगी ।''।

नई धारा 136क का अंतःस्थापन ।

45. मूल अ धनियम की धारा 136 के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंतःस्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन ।

''136क. (1) राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, राज्य के भीतर ऐसी सड़कों या ऐसे कसी शहरी नगर में, जिसकी जनसंख्या ऐसी सीमाओं तक है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए, सड़कों पर उपधारा (2) के अधीन उपबं धत रीति में सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन के लए नियम बनाएगी, जिसके अंतर्गत गति मापक कैमरा, क्लोज्ड स र्कट टेली वजन कैमरा, गति मापक गन, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा और कोई अन्य प्रौद्यो गकी भी है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लए, ''शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा'' पद से राज्य सरकार द्वारा प्रा धकृत कसी व्यक्ति के शरीर या वर्दी पर पहनी जाने वाली मोबाइल श्रव्य और दृश्य रिकार्ड करने वाली युक्ति अ भप्रेत है ।''।

धारा 137 का संशोधन ।

46. मूल अ धनियम की धारा 137 में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

''(कक) धारा 129 के अधीन सुरक्षात्मक सर के पहनावे के मानकों और सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा हेतु उपायों का उपबंध करने ;''

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्न ल खत खंड अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

''(ग) राज्य सरकारों द्वारा ऐसे नगरों के चयन हेतु मानदंड के लए उपबंध करना, जहां धारा 136क की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन का कार्यान्वयन कया जाना है ; और

(घ) धारा 136क की उपधारा (2) के अधीन इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन के लए उपबंध करना ।''।

धारा 138 का संशोधन ।

47. मूल अ धनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंतःस्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

''(1क) राज्य सरकार कसी सार्वजनिक स्थान पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों और यातायात के ऐसे साधनों, जो या तो मानवों या जानवरों की मांसपेशीय शक्ति द्वारा खींचे जाते हैं या चा लत होते हैं, से संबं धत क्रयाकलापों का वनियमन करने के प्रयोजन के लए नियम बना सकेगी ।''।

अध्याय 10 का लोप ।

48. मूल अधिनियम के अध्याय 10 का लोप किया जाएगा ।

49. मूल अधिनियम के अध्याय 11 के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :-- अध्याय 11 के स्थान पर नए अध्याय 11 का रखा जाना ।

''अध्याय 11

मोटर यानों का पर-व्यक्ति जोखिमों के विरुद्ध बीमा

145. इस अध्याय में,-- परिभाषाएं ।

(क) ''प्राधिकृत बीमाकर्ता'' से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो भारत में तत्समय साधारण बीमा कारबार कर रहा है और जिसे बीमा विनियामक और
1999 का 41 विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा
1972 का 57 विनियामक और विकास प्राधिकरण और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन साधारण बीमा कारबार करने के लिए प्राधिकृत किसी सरकारी बीमा निधि द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है ;

(ख) ''बीमा प्रमाणपत्र'' से धारा 147 के अनुसरण में किसी प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अपेक्षाओं का, जो विहित की जाएं, अनुपालन करने वाला कवर नोट भी है, और जहां किसी पालिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं या जहां किसी प्रमाणपत्र की प्रति जारी की गई है, वहां यथास्थिति, ऐसे सभी प्रमाणपत्र या वह प्रति भी है ;

1860 का 45 (ग) ''घोर उपहति'' का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में उसका है ;

(घ) ''हिट एंड रन मोटर दुर्घटना'' से ऐसी कोई दुर्घटना अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से कारित हुई है, जिनकी पहचान इस प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त प्रयास करने के बावजूद भी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती ;

(ङ.) ''बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण'' से बीमा विनियामक और
1999 का 41 विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(च) ''बीमा पालिसी'' के अंतर्गत बीमा प्रमाणपत्र भी है ;

(छ) ''संपत्ति'' के अंतर्गत सड़कें, पुल, पुलिया, सेतुक, स्तंभ, पेड़, मील के पत्थर और किसी मोटर यान में वहन किए जाने वाले यात्रियों का सामान तथा माल भी हैं ;

(ज) ''व्यतिकारी देश'' से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है, जो व्यतिकारिता के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए

व्यतिकारी देश के रूप में अ धसू चत कया जाए ;

(झ) ''पर-पक्षकार" के अंतर्गत सरकार भी है ।

पर-पक्षकार जो खमों के वरुद्ध बीमा की आवश्यकता ।

146 (1) कोई भी व्यक्ति, सवाय कसी यात्री के रूप में, तब तक कसी सार्वजनिक स्थान पर कसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या कसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक क, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा यान के उपयोग के संबंध में, इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पा लसी प्रवृत्त न हो :

परंतु कसी ऐसे यान की दशा में, जो खतरनाक या परिसंकटमय मालों का वहन कर रहा है या उनका वहन करने के लए है, लोक दायित्व बीमा अ धनियम, 1991 के अधीन बीमा की पा लसी भी होगी । 1991 का 6

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लए, कसी मोटर यान का, संदाय प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में चालन करने वाले कसी व्यक्ति के, जब यान के उपयोग के संबंध में इस उपधारा द्वारा यथापे क्षत कोई पा लसी प्रवृत्त नहीं है, बारे में तब तक यह नहीं समझा जाएगा क उसने इस उपधारा के उल्लंघन में कोई कार्य कया है, जब तक क वह यह न जानता हो या उसके पास यह वश्वास करने का कारण न हो क ऐसी कोई पा लसी प्रवृत्त है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध केंद्रीय सरकार के स्वा मत्व वाले ऐसे मोटर यानों को लागू नहीं होंगे, जिनका उपयोग देश की रक्षा से संबं धत प्रयोजनों के लए कया जाता है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कए जाने वाले ल खत आदेश के अधीन रहते हुए कसी वा णज्यिक उद्देश्य से संबं धत नहीं हैं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं कया जाएगा, जब तक क अ धनियम के अधीन उस उपधारा में वनिर्दिष्ट मोटर यानों के उपयोग से उद्भूत होने वाले पर-पक्षकार से संबं धत कसी दायित्व की पूर्ति के लए बनाए गए नियमों के अनुसरण में कोई नि ध स्था पत न कर दी गई हो और उसे बनाए न रखा गया हो ।

नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाएं ।

147. (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लए कोई बीमा पा लसी ऐसी पा लसी होनी चाहिए,--

(क) जो कसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की गई है, जो कोई प्रा धकृत बीमाकर्ता है ; और

(ख) जो उपधारा (2) में वनिर्दिष्ट सीमा तक पा लसी में वनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का बीमा निम्न ल खत के वरुद्ध करता है,--

(i) कसी ऐसे दायित्व के, जो उसके द्वारा कसी मोटर यान में सवारी करने वाले कसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत मालों का स्वामी या उसका प्रा धकृत प्रतिनि ध भी है, मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में या सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत होने वाले कसी पर-पक्षकार की संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में उपगत कया जाए ;

(ii) कसी परिवहन यान के कसी यात्री, कसी माल यान के नि:शुल्क यात्री

को छोड़कर, की मृत्यु या शारीरिक क्षति के, जो सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत हुई है ।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लए, यह स्पष्ट कया जाता है क कसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या कसी पर-पक्षकार की कसी संपत्ति को नुकसान कसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से, इस बात पर ध्यान न देते हुए क ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हुई है या जिसे शारीरिक क्षति पहुंची है या संपत्ति, जिसका नुकसान हुआ है, दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थे, कारित हुआ या उद्भूत हुआ समझा जाएगा, यदि ऐसा कारण या लोप, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, सार्वजनिक स्थान में कारित कया गया था ।

(2) तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी, कसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे घोर उपहति से संबं धत पर-पक्षकार बीमा के प्रयोजनों के लए केंद्रीय सरकार एक आधारित वनियम वहित करेगी और बीमा वनियामक और वकास प्रा धकरण के परामर्श से उपधारा (1) के अधीन कसी बीमा पा लसी के कारण ऐसे प्री मयम के संबंध में कसी बीमाकर्ता का दायित्व भी वहित करेगी :

परंतु पर-पक्षकार बीमा पा लसी के अधीन कसी बीमाकर्ता द्वारा कसी व्यक्ति को कया जाने वाला संदाय, मृत्यु की दशा में दस लाख रुपए की रा श और घोर उपहति की दशा में पांच लाख रुपए से अन धक की रा श, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर वहित की जाए ।

(3) कोई पा लसी इस अध्याय के प्रयोजनों के लए तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक क बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति के, जिसके द्वारा पा लसी ली गई है, पक्ष में वहित प्ररूप में ऐसा बीमा प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो, जिसमें कसी ऐसी शर्त के संबंध में वहित व शष्टियां अंत र्वष्ट हों, जिनके अधीन पा लसी जारी की गई है और उसमें अन्य वहित वषय भी अंत र्वष्ट होंगे ; और भन्न- भन्न मामलों में भन्न- भन्न प्ररूप, व शष्टियां और वषय वहित कए जा सकेंगे ।

(4) जहां मोटर यान (संशोधन) अ धनियम, 2016 के प्रारंभ से पूर्व जारी कोई बीमा पा लसी इस अ धनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो उसे मोटर यान (संशोधन) अ धनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अव ध के भीतर इस प्रकार संशो धत कया जाएगा, जिससे वह इस अ धनियम के उपबंधों के अनुरूप हो जाए ।

(5) जहां इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों या वनियमों के उपबंधों के अधीन कसी बीमाकर्ता द्वारा कवर नोट जारी कए जाने के पश्चात् वनिर्दिष्ट समय के भीतर बीमा पा लसी जारी नहीं की जाती है, वहां बीमाकर्ता कवर नोट की व धमान्यता की अव ध के अवसान के सात दिन के भीतर इस तथ्य को रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी या ऐसे अन्य प्रा धकारी को, जिसे केंद्रीय सरकार वहित करे, अ धसू चत करेगा ।

(6) तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन बीमा पा लसी जारी करने वाला कोई बीमाकर्ता, कसी ऐसे दायित्व के संबंध में, जो कसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों की दशा में पा लसी के अंतर्गत आना

तात्पर्यित है, पा लसी में वनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की क्षतिपूर्ति करेगा ।

व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पा लसी की व धमान्यता

148. जहां भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर यान कसी मार्ग या दो देशों के कसी सामान्य क्षेत्र के भीतर प्रचा लत होता है और व्यतिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध में प्रवृत्त बीमा की पा लसी उस देश में प्रवृत्त बीमा व ध की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तब धारा 147 में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी ले कन कन्हीं नियमों, जो धारा 164ख के अधीन बनाए जा सकते हैं के अध्यधीन रहते हुए ऐसी बीमा की पा लसी सर्वत्र मार्ग या क्षेत्र जिसके संबंध में ठहराव कया गया है, यदि बीमा की पा लसी इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, पर प्रभावी होगी ।

बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लए प्र क्रया ।

149. (1) बीमा कंपनी, दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लए एक अ धकारी पदा भहित करेगी ।

(2) प्रतिकर के दावों के निपटारे की प्र क्रया के लए बीमा कंपनी द्वारा पदा भहित अ धकारी ऐसी समय सीमा के भीतर, ऐसे ब्यौरे देते हुए और ऐसी प्र क्रयाओं, जैसा वहित कया जाए का अनुसरण करने के पश्चात् दावा अ धकरण के समक्ष निपटारा करने के लए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव कर सकेगा ।

(3) यदि दावाकर्ता जिसको उपधारा (2) के अधीन प्रस्ताव कया गया है,--

(क) ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो,--

(i) दावा अ धकरण ऐसे निपटारे का एक अ भलेख तैयार करेगा, और ऐसा दावा सहमति द्वारा निपटाया गया समझा जाएगा, और

(ii) बीमा कंपनी द्वारा ऐसा अ भलेख प्राप्त होने की तारीख से अ धकतम तीस दिनों की अव ध के भीतर संदाय कया जाएगा ।

(ख) ऐसा प्रस्ताव नामंजूर करता है, तो ऐसे दावे का गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन करने के लए दावा अ धकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी ।

पर-पक्षकार जो खमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के वरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य ।

150. (1) धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पा लसी प्रभावी की गई है के पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ऐसे दायित्व (जो पा लसी के निबंधनों द्वारा समा वष्ट दायित्व के होते हुए) जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 164 के उपबंधों के अधीन पा लसी द्वारा समा वष्ट कया जाना अपे क्षत है, की बाबत निर्णय या पंचाट, पा लसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के वरुद्ध अ भप्राप्त कया जाता है, तब इस बात के होते हुए भी क बीमाकर्ता पा लसी को परिवर्जित या रद्द करने अथवा परिवर्तित या रद्द कए जा सकने का हकदार हो सकेगा, बीमाकर्ता इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पंचाट के अधीन फायदे के हकदार व्यक्ति को इसके अधीन देय बीमाकृत रा श से अन धक रा श का तो दायित्व की बाबत, लागतों के संबंध में देय रकम के साथ और ऐसी रा श पर निर्णयों पर ब्याज से संब धत

कसी अ धनिय मतियों के आधार पर देय ब्याज के साथ कसी रा श का इस प्रकार मानो वह व्यक्ति निर्णीतऋणी था, करेगा ।

(2) ऐसे निर्णय या पंचाट की बाबत उपधारा (1) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा कोई रा श तब तक देय नहीं होगी, जब तक उन कार्यवाहियों, जिनमें निर्णय या पंचाट दिया गया है, में कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पहले बीमाकर्ता न्यायालय या, यथास्थिति, दावा अ भकरण द्वारा ऐसे निर्णय या पंचाट के संबंध में कार्यवाहियां लाने और जब तक कसी अपील के लंबित रहने के दौरान उसके निष्पादन को आस्थ गत कया जाता है, सू चत कया गया था; और बीमाकर्ता जिसको ऐसी कार्यवाहियां लाने की सूचना इस प्रकार दी गई है, उसका पक्षकार बनाए जाने और निम्न ल खत आधारों पर कार्रवाई में प्रतिरक्षा का हकदार होगा अर्थात् :-

(क) यदि पा लसी की कसी व निर्दिष्ट शर्त का, जो निम्न ल खत में से कसी शर्त का उल्लंघन कया गया हो, अर्थात् :--

(i) कोई शर्त जो यान के उपयोग को निम्न ल खत के लए, अपवर्जित करती है ;--

(अ) भाड़े पर लेने या पारिश्र मक के लए, जहां बीमा की सं वदा की तारीख को यान भाड़े पर या पारिश्र मक के लए इस्तेमाल करने की अनुज्ञा समा वष्ट नहीं थी ; या

(आ) दौड़ प्रतियो गता या गति परीक्षण आयोजित करने के लए; या

(इ) जहां यान एक परिवहन यान है वहां यान उस प्रयोजन के लए उपयोग में लया जाता है जो उस अनुज्ञा द्वारा, जिसके अधीन उसका उपयोग कया जाता है, अनुज्ञात नहीं कया गया है ;

(ई) साइड कार संलग्न नहीं की गई है जहां यान एक दो पहिया यान है ;

(ii) ना मत व्यक्ति या कसी व्यक्ति जो सम्यक रूप से अनुज्ञप्त नहीं है द्वारा या कोई व्यक्ति जो निर्हरता की अव ध के दौरान चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अ भप्राप्त करने के लए निरर्हित कर दिया गया है, द्वारा चालन को अपवर्जित करने वाली कोई शर्त ;

(iii) युद्ध गृह युद्ध, बल्वे या स वल अशांति की परिस्थितियों द्वारा क्षति कारित होने या उनके कारण क्षति कारित होने के लए दायित्व अपवर्जित करने वाली कोई शर्त ;

(ख) पा लसी इस आधार पर शून्य है क वह तात्विक तथ्यों को प्रकट न करके प्राप्त की गई थी या ऐसे तथ्यों जो कुछ तात्विक व शष्टियों में मथ्या थे, के व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी ;

(ग) बीमा अ धनियम, 1938 की धारा 64फब के अधीन यथाअपे क्षत प्री मयम की अप्राप्ति । 1938 का 4

(3) जहां कोई ऐसा निर्णय जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है व्यतिकारी देश के न्यायालय से प्राप्त कया जाता है और वदेशी निर्णय की दशा में, स वल प्र क्रया संहिता 1908 की धारा 13 के उपबंधों के कारण उसमें कए गए न्यायनिर्णयन के आधार पर 1908 का 5 कसी मामले में निश्चायक है, बीमाकर्ता (जो बीमा अ धनियम, 1938 के अधीन 1938 का 4 रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता है और चाहे ऐसा व्यक्ति व्यतिकारी देश की तत्स्थानी व ध के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) डक्री के अधीन फायदा प्राप्त करने के लए हकदार व्यक्ति के प्रति ऐसी रीति से और उस वस्तार तक जो उपधारा (1) में वनिर्दिष्ट है जैसे क निर्णय या पंचाट भारत के न्यायालय द्वारा दिया गया था, दायी होगा :

परंतु कसी ऐसे निर्णय या पंचाट की बाबत बीमाकर्ता कोई रा श देने के लए दायी नहीं होगा जब तक कार्यवाहियां जिनसे निर्णय या पंचाट दिया जाता है, प्रारंभ होने से पहले बीमाकर्ता को संबद्ध न्यायालय जिसमें कार्यवाहियां प्रारंभ की गई है, के माध्यम से सूचना नहीं प्राप्त होती और बीमाकर्ता जिसे ऐसी सूचना दी गई है व्यतिकारी राज्य की तत्स्थानी व ध के अधीन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने और उपधारा (2) में वनिर्दिष्ट समान आधारों पर कार्रवाई में प्रतिरक्षा करने के लए पक्षकार बनाए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(4) जहां धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पा लसी प्रभावी की गई है, को जारी कया जाता है, बीमाकृत व्यक्तियों के बीमा को निर्ब धत करने के लए तात्पर्यित पा लसी के अ धकांश भाग का, जो उपधारा (2) में है, से भन्न अन्य शर्तों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे दायित्वों के संबंध में जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पा लसी द्वारा समा वष्ट कए जाने अपे क्षत है, का कोई प्रभाव नहीं होगा :

परंतु बीमाकर्ता द्वारा कसी व्यक्ति के दायित्व के निर्वहन में या संदत्त कोई रा श, जो पा लसी के अधीन इस उपधारा के कारण समा वष्ट है उस व्यक्ति से बीमाकर्ता द्वारा वसूलनीय होगी ।

(5) पा लसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत दायित्व की बाबत इस धारा के अधीन संदत्त रकम, जिसके लए बीमाकर्ता दायित्वाधीन है उस रकम से जिसके लए बीमाकर्ता इस धारा के उपबंधों के अलावा उस दायित्व की बाबत पा लस के अधीन दायित्वाधीन होगा, अ धक है, बीमाकर्ता उस व्यक्ति से अ धक रकम की वसूली करने का हकदार होगा ।

(6) कोई बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दी गई है, कसी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कसी ऐसे निर्णय या पंचाट या, यथास्थिति, उपधारा (2) या व्यतिकारी देश की तत्स्थानी व ध में उपब धत रीति से अन्यथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे निर्णय के अधीन फायदे का हकदार है के प्रति अपने दायित्व के परिवर्जन का हकदार नहीं होगा ।

(7) यदि दावा दा खल करने की तारीख पर, दावाकर्ता को, बीमा कंपनी जिसके साथ यान बीमाकृत कया गया है, की जानकारी नहीं है, तो यान के स्वामी का यह कर्तव्य होगा क अ धकरण या न्यायालय को यह सूचना दे क क्या दुर्घटना की तारीख को यान बीमाकृत था या नहीं और यदि हां, तो उस बीमा कंपनी का नाम जिसके साथ

वह बीमाकृत है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ--

(क) "पंचाट" से दावा अ धकरण द्वारा धारा 168 के अधीन कया गया पंचाट अ भप्रेत है;

(ख) "दावा अ धकरण" से धारा 165 के अधीन गठित दावा अ धकरण अ भप्रेत है ;

(ग) "पा लसी के निबंधनों द्वारा समा वष्ट दायित्व" से ऐसा दायित्व अ भप्रेत है, जो पा लसी द्वारा समा वष्ट कया जाता है या जो इस प्रकार समा वष्ट कया जाता है, ले कन इस तथ्य के कारण समा वष्ट नहीं है क बीमाकर्ता पा लसी को परिवर्जित या रद्द करने या परिवर्जित या रद्द कए जाने के लए हकदार है या उसने पा लसी को परिवर्जित या रद्द कर दिया है ; और

(घ) "तात्विक तथ्य और तात्विक व शष्टि" से क्रमश: एक तथ्य या व शष्टि अ भप्रेत है, जो ऐसी प्रकृति की है क एक प्रज्ञावान बीमाकर्ता के यह अवधारित करना क क्या वह जो खम लेगा, यदि हां तो कस प्री मयम दर और कन शर्तों पर, के निर्णय को प्रभा वत करते हैं ।

151. (1) जहां बीमा की कसी सं वदा के, जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रभावी होती है, कसी व्यक्ति का ऐसे दायित्वों के वरुद्ध, जो वह पर-पक्षकार के प्रति उपगत कर सकता है, बीमाकृत कया जाता है तब-- बीमाकृत के दिवा लया होने पर बीमाकर्ता के वरुद्ध पर-पक्षकार के अ धकार ।

(क) व्यक्ति के दिवा लया होने या अपने लेनदारों के साथ प्रतिकर या ठहराव कए जाने की दशा में ; या

(ख) जहां बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, कंपनी की बाबत परिसमापन के आदेश कए जाने या स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प पारित कए जाने या कंपनी के कारबार के रिसीवर या प्रबंधक की सम्यक रूप से नियुक्ति कए जाने या प्रभार के अधीन या समा वष्ट संपत्ति के प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूति डंबचरों के धारकों द्वारा या उनकी की ओर से कब्जे में लए गए, की दशा में,

यदि उस घटना के पहले या पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत कये गए ऐसे दायित्व, दायित्व की बाबत सं वदा के अधीन बीमाकर्ता के वरुद्ध उसके अ धकार, व ध के उपबंध के प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पर-पक्षकार जिसके द्वारा दायित्व इस प्रकार उपगत कया गया था को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी ।

(2) जहां दिवाला वषयक व ध के अधीन मृतक दावेदार की संपदा के प्रशासन के लए आदेश कया जाता है तब पर-पक्षकार, जिसके वरुद्ध वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा की सं वदा के अधीन बीमाकृत था, के दायित्व की बाबत मृतक द्वारा धारित कोई दिवाला साध्य ऋण मृतक देनदार के उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के वरुद्ध अ धकार, व ध के कन्हीं उपबंधों में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा ऋण धारित कया जाता है, को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लए जारी की गई पा लसी की कसी ऐसे शर्त का, जो पा लसी को प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्ष: परिवर्जित या पक्षकारों के अ धकारों को परिवर्तित

करने के लए तात्पर्यित है इसके अधीन उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में वनिर्दिष्ट घटना बीमाकृत व्यक्ति के साथ घटित होने पर या दिवाला वषयक व ध के अनुसार मृतक देनदार की संपदा के प्रशासन के लए आदेश करने पर, कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(4) धारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अंतरण पर बीमाकर्ता का पर-पक्षकारके प्रति वही दायित्व होगा जो उसका बीमाकृत व्यक्ति के प्रति होता, ले कन -

(क) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के पर-पक्षकार के प्रति दायित्व से अ धक है, तो ऐसी अतिशेष रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के वरुद्ध कसी अ धकार का इस अध्याय के अधीन कोई प्रभाव नहीं होगा ;

(ख) यदि बीमाकृत का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के पर-पक्षकार के प्रति दायित्व से कम है, तो ऐसी अ धक रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के वरुद्ध कसी अ धकार का इस अध्याय के अधीन कोई प्रभावी नहीं होगा ।

बीमा के संबंध में सूचना देने का कर्तव्य ।

152. (1) कोई व्यक्ति जिसके वरुद्ध धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कसी दायित्व की बाबत दावा कया गया है, दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से मांग कए जाने पर, वह यह कथन करने से इंकार नहीं कर सकेगा क क्या वह इस अध्याय के अधीन जारी की गई कसी पा लसी द्वारा दायित्व की बाबत बीमाकृत था या नहीं था वह इस प्रकार बीमाकृत होता यदि बीमाकर्ता ने पा लसी इस प्रकार परिवर्जित या रद्द नहीं की होती ; न ही वह तब इस संबंध में जारी कए गए बीमा प्रमाणपत्र में इसके संबंध में यथा वनिर्दिष्ट की गई पा लसी की बाबत ऐसी व शष्टियां देने से इंकार करेगा यदि वह इस प्रकार बीमाकृत था या होता ।

(2) कसी व्यक्ति द्वारा दिवाला होने की दशा में या उसके देनदारों के साथ ठहराव कए जाने की दशा में या दिवाला वषयक व ध के अनुसार मृतक व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लए कए गए आदेश की दशा में या कसी कंपनी की बाबत परिसमापन के आदेश कए जाने या स्वेच्छया परिसमापन का संकल्प पारित कए जाने या कंपनी के कारबार या उपक्रम के रिसीवर या प्रबंधक या सम्यक् रूप से नियुक्त कए जाने या प्रभार के अधीन या समा वष्ट संपत्ति के प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूत डबंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से कब्जा लए जाने की दशा में, दिवाला लेनदार मृतक लेनदार के, यथास्थिति, निजी प्रतिनि ध या कंपनी या दिवाला के शासकीय समनुदे शती या रिसीवर, न्यासी, परिसमापक, रिसीवर या प्रबंधक या संपत्ति के कब्जाधारी व्यक्ति का दायित्व होगा क कसी दावाकर्ता व्यक्ति के निवेदन पर सूचना दे क दिवाला लेनदार, मृतक लेनदार या कंपनी इस अध्याय के उपबंधों द्वारा समा वष्ट ऐसे दायित्व के अधीन है ऐसी सूचना यह अ भनिश्चित करने क क्या उसमें धारा 151 द्वारा कोई अ धकार अन्तरित या निहित कए गए हैं, के प्रयोजन के लए उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपे क्षत है और ऐसे अ धकारों के प्रवर्तन के लए, यदि कोई हो, ऐसे बीमा सं वदा, तात्पर्यित है क्या, उपरोक्त दशा में ऐसी सूचना दिए जाने पर इसके अधीन प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षतः सं वदा को परिवर्जित या पक्षकार के अ धकारों को परिवर्तित

करती है या अन्यथा उक्त दशाओं में उसके कए जाने को प्रति षद्ध करती है या निवारित करने के लए तात्पर्यित है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(3) उपधारा (2) के अनुसरण में या अन्यथा कसी को दी गई सूचना से, उसके पास समर्थन के लए युक्तियुक्त आधार है क व शष्ट बीमाकर्ता के वरुद्ध अ धकार उसे इस अध्याय के अधीन अंतरित कया गया है या कया जा सकता है क बीमाकर्ता ऐसे कर्तव्य के अध्यधीन होगा जैसा उक्त उपधारा के द्वारा इसमें उल्लि खत व्यक्तियों पर अ धरो पत कया गया है ।

(4) इस धारा द्वारा अ धरो पत सूचना देने के कर्तव्य के अंतर्गत सभी बीमा की सं वदाओं के प्री मयमों के लए प्राप्तियों और अन्य सुसंगत दस्तावेज जो ऐसे व्यक्ति के कब्जे और शक्ति में हैं जिन पर निरीक्षण करने और प्रतियां प्राप्त करने का कर्तव्य अ धरो पत कया गया हैं भी है ।

बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता ।

153. (1) बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के कसी दायित्व के संबंध में पर-पक्षकारद्वारा कए जा सकने वाले दावे की बाबत कया गया समझौता व धमान्य नहीं होगा जब तक क पर-पक्षकार समझौता का एक पक्षकार न हो ।

(2) दावा अ धकरण यह सुनिश्चित करेगा क समझौता सद्भा वक है और असम्यक प्रभाव के अधीन नहीं कया गया था तथा प्रतिकर धारा 164 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अनुसूची के अनुसार दिया गया है ।

(3) जहां एक व्यक्ति, जो इस अध्याय के प्रयोजन के लए जारी की गई पा लसी के अधीन बीमाकृत है दिवा लया हो जाता है या जहां ऐसा बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, कंपनी के संबंध में परिसमापन आदेश कया गया है या स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प पारित कया गया है, बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच कोई भी ठहराव पर-पक्षकार द्वारा दायित्व उपगत कए जाने के पश्चात् नहीं कया जाएगा और, यथास्थिति, दिवाला या परिसमापन, जैसा भी मामला हो, के प्रारंभ होने के पश्चात् कया गया कोई अ धत्यजन, समनुदेशन या अन्य व्ययन या उपरोक्त प्रारंभ के पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति को कया गया संदाय इस अध्याय के अधीन पर-पक्षकार को अंतरित कए गए अ धकारों को वफल करने के लए प्रभावी नहीं होगा, ले कन वे अ धकार वैसे ही रहेंगे मानो ऐसा ठहराव, अ धत्यजन, समनुदेशन या व्ययन नहीं कया गया है ।

धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के संबंध में व्यावृति ।

154. (1) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के प्रयोजन के लए बीमा की कसी पा लसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में "पर-पक्षकारों के दायित्वों" के प्रतिनिर्देश में उस व्यक्ति की कसी अन्य बीमा की पा लसी के अधीन बीमाकर्ता की है सयत में कोई दायित्व सम्मि लत नहीं होगा ।

(2) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जों कंपनी पुर्निर्माण या अन्य कंपनी के साथ केवल समामेलन के प्रयोजन के लए परिसमाप्त की जाती है ।

कतिपय वाद हेतुको पर मृत्यु का प्रभाव ।

1925 का 36 155. भारतीय उत्तरा धकार अ धनियम, 1925 की धारा 306 में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति जिसके पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी कया गया है की मृत्यु

पर यदि ऐसी घटना जिसमें इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दावों को उठाया गया है होने के पश्चात् यह घटित होता है उसकी संपदा या बीमाकर्ता के वरुद्ध उक्त घटना से उद्भूत कसी वाद हेतुक की उत्तरजी वका को वर्जित नहीं करेगा ।

बीमा प्रमाणपत्र का प्रभाव ।

156. जब बीमाकर्ता ने बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच बीमा की सं वदा की बाबत बीमा प्रमाणपत्र जारी कया है तब,--

(क) यदि और जहां तक प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को जारी नहीं की गई है, बीमाकर्ता द्वारा स्वयं और बीमाकृत के सवाय कसी अन्य व्यक्ति के बीच ऐसे प्रमाणपत्र में क थत वर्णन और सभी व शष्टियों के अनुरूप बीमाकृत व्यक्ति को बीमा पा लसी जारी की गई समझी जाएगी ;

(ख) यदि बीमाकर्ता ने बीमाकृत को प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी जारी की है, ले कन पा लसी की वास्त वक निबंधन, बीमाकर्ता के वरुद्ध प्रत्यक्षत: या बीमाकृत व्यक्ति के माध्यम से पा लसी के अधीन या के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति के लए कम अनुकूल हैं तब पा लसी की व शष्टियां जैसा प्रमाणपत्र में क थत है, पा लसी जैसी बीमाकर्ता और बीमाकृत के सवाय कसी अन्य व्यक्ति के बीच है उक्त प्रमाणपत्र में क थत व शष्टियों की सभी बातों में निबंधनों के अनुरूप समझी जाएगी ।

बीमा के प्रमाणपत्र का अंतरण ।

157. (1) जहां व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी कया गया है, ऐसे मोटर यान का स्वा मत्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा उससे संबं धत बीमा पा लसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी ऐसे व्यक्ति, जिसको मोटरयान अंतरित कया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गई समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लए यह घो षत कया जाता है क ऐसा समझा गया अंतरण उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पा लसी के अ धकारों और दायित्वों को सम्मि लत करेगा ।

(2) अंतरिती, अंतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर वहित प्ररूप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाणपत्र और उसके पक्ष में प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी में अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लए आवेदन कर सकेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पा लसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

कतिपय मामलों में कतिपय प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का पेश कया जाना ।

158. (1) ऐसा व्यक्ति जो कसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चला रहा है, वर्दीधारी पु लस अ धकारी जो इस नि मत्त राज्य सरकार द्वारा प्रा धकृत कया गया है, द्वारा अपेक्षा कए जाने पर वाहन के उपयोग के संबंध में निम्न ल खत पेश करेगा--

(क) बीमा प्रमाणपत्र ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ग) प्रदूषण नियंत्रण के अधीन होने का प्रमाणपत्र ;

(घ) चालन अनुज्ञप्ति ;

(ङ) परिवहन यान की दशा में, धारा 56 में निर्दिष्ट उपयुक्तता प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्र भी ; और

(च) इस अ धनियम के अधीन प्रदत्त कया जा सकने वाला कोई भी प्रमाणपत्र या छूट का प्रा धकार ।

(2) जहां सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान की उपस्थिति के कारण दुर्घटना घटित होती है जिसके कारण कसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होती है, यदि यान का चालक उस समय अपे क्षत प्रमाणपत्र, चालन अनुज्ञप्ति और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञापत्र पु लस अ धकारी को पेश नहीं करता तो वह या स्वामी उक्त प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र पु लस थाने में जिसमें चालक रिपोर्ट करता है, पेश करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपे क्षत प्रमाणपत्र पेश कए जाने में असफलता के कारण, अपराधों के लए दोष सद्ध कए जाने के दायी नहीं होगा यदि, वह, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन पेश कए जाने के लए अपे क्षत या तारीख, दुर्घटना के घटित होने से सात दिनों के भीतर यथास्थिति, पु लस अ धकारी जिसके द्वारा उसका पेश कया जाना अपे क्षत है, द्वारा उसको वनिर्दिष्ट कए गये पु लस थाने में या जैसा भी मामला हो, दुर्घटना के स्थान पर पु लस अ धकारी से या उस पु लस थाने के प्रभारी अ धकारी को जहां उसने दुर्घटना की रिपोर्ट की है, प्रमाणपत्र पेश करता है :

परंतु ऐसे वस्तार के साथ और ऐसे उपांतरण के साथ जैसा वहित कया जाए इस उपधारा के उपबंध कसी परिवहन यान के चालक को लागू नहीं होंगे ।

(4) मोटरयान का स्वामी, राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त सशक्त कये गए पु लस अ धकारी द्वारा या उसकी ओर से अपे क्षत सूचना यह अवधारित करने के प्रयोजन के लए क क्या यान धारा 146 के उल्लंघन में चलाया या नहीं चलाया जा रहा था और कसी अन्य अवसर पर जब चालक से इस खंड के अधीन बीमा प्रमाणपत्र पेश कए जाने की अपेक्षा की जाए, देगा ।

(5) इस धारा में अ भव्यक्ति "बीमा के प्रमाणपत्र को पेश करना" से बीमा का सुसंगत प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य साक्ष्य जो इस बात की परीक्षा करने के लए वहित करे कया जाए, यान धारा 146 के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा था की परीक्षा के लए पेश कया जाता है अ भप्रेत है ।

दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना ।

159. पु लस अ धकारी, अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लए ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर और ऐसी व शष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अ धकरण और ऐसे अन्य अ भकरण जो वहित कया जा सकेगा, को प्रस्तुत करेगा ।

दुर्घटना में सं लप्त यान की व शष्टियां प्रस्तुत करने का कर्तव्य ।

160. रजिस्ट्रीकरण प्रा धकारी या पु लस थाने का भारसाधक अ धकारी, यदि कसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो यह अ भक थत करता है क वह मोटर कार के उपयोग से उदभूत दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है, ऐसा अपे क्षत कया जाए या बीमाकर्ता द्वारा जिसके वरुद्ध कसी मोटरयान की बाबत दावा कया गया है, ऐसा अपे क्षत कया जाए तो, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस बीमाकर्ता को, जैसा भी मामला हो, वहित फीस के संदाय पर, उक्त प्रा धकारी या उक्त पु लस अ धकारी को यान के

पहचान चिन्हों या अन्य विशिष्टियों और उस व्यक्ति, जो यान का उपयोग दुर्घटना के समय कर रहा था या उसके द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ था का नाम और पता और संपत्ति, यदि कोई हो, जिसका नुकसान हुआ है, की सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, देगा ।

हिट एंड रन मोटरयान दुघर्टना में प्रतिकर के विशेष उपबंध ।

161. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित भारतीय साधारण बीमा परिषद् और भारत में उस समय साधारण बीमा कारबार चलाने वाली बीमा कंपनियां इस अधिनियम और उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु, घोर उपहति की बाबत, स्कीम, प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करेगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों और उपधारा (3) के अधीन बनायी गई स्कीम के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिकर संदत्त किया जाएगा,--

(क) हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु की बाबत, दो लाख रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर राशि जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(ख) हिट एंड रन दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति की बाबत, पचास हजार रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर राशि, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम, ऐसी रीति विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें केन्द्रीय सरकार या साधारण बीमा परिषद्नि द्वारा स्कीम प्रशासित की जाएगी, प्ररूप , रीति और समय जिसमें प्रतिकर के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, अधिकारी या प्राधिकारी जिसको ऐसे आवेदन किए जा सकते हैं ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदनों पर विचार करने और आदेश पारित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और स्कीम के प्रशासन और इस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय से संबंधित या अनुषंगिक अन्य मामले में, बना सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन बनायी गई स्कीम यह उपबंध कर सकेगी, कि--

(क) ऐसी किसी स्कीम के अधीन किसी दावाकर्ता को अंतरिम अनुतोष के रूप में ऐसी राशि का संदाय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) उसके किसी उपबंध का उल्लंघन करना ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से अधिक दंडनीय होगा ;

(ग) ऐसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियां, कृत्य या कर्तव्य केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे ;

(घ) ऐसी स्कीम के कोई उपबंध भूतलक्षी प्रभाव से मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन तोषण निधि के स्थापन की तारीख से पूर्व प्रवर्तित नहीं हो सकेगा 1939 का 4

जैसा क वह इस अ धनियम के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व वद्यमान या लागू हो :

परंतु ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जो कसी व्यक्ति, जो ऐसे उपबंधों से शा सत है, के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभा वत करे ।

1972 का 57 162. (1) साधारण बीमा कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अ धनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध या व ध का बल रखने वाली कसी लखत में कसी बात के होते हुए भी भारत में तत्समय कारबार कर रही साधारण बीमा कंपनियां इसे अ धनियम के उपबंधों के अनुसार और धारा (2) के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार स्व र्णम काल के दौरान सड़क दुघर्टना पी ड़तों के उपचार के लए उपबंध करेंगी । स्व र्णम काल के लए स्कीम ।

(2) केन्द्रीय सरकार स्व र्णम काल के दौरान सड़क दुघर्टना के पी ड़तों के नकदी रहित उपचार के लए स्कीम बनाएगी और ऐसी स्कीम में ऐसे उपचार के लए नि ध के सृजन संबंधी उपबंध अंत र्वष्ट हो सकेंगे ।

163. (1) धारा 161 के अधीन कसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको हुई घोर उपहति की बाबत प्रतिकर का संदाय इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा क यदि कोई प्रतिकर जिसे इस उपधारा में इसमें आगे अन्य प्रतिकर कहा गया है या प्रतिकर के लए दावे के बदले में या इस के चुकाए जाने के रूप में अन्य इस अ धनियम या कसी अन्य व ध या अन्यथा के अधीन ऐसी मृत्यु या घोर उपहति की बाबत अ धनिर्णीत की जाती है या संदत्त की जाती हैं, तो अन्य उतनी प्रतिकर या अन्य पूर्वोक्त रकम का जितनी धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के बराबर है बीमाकर्ता को वापस लौटा दी जाएगी । धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय ।

(2) इस अ धनियम के कसी उपबंध के अधीन (धारा 161 या तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध से भन्न) मोटरयान के उपयोग के कारण हुई कसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति को अन्तर्व लत करने वाली दुर्घटना के संबंध में प्रतिकर अ धनिर्णीत करने से पूर्व दावा अ धकरण, न्यायालय या अन्य ऐसा प्रतिकर अ धनिर्णीत करने वाला प्रा धकारी इस बारे में क क्या ऐसी मृत्यु या शारीरिक क्षति की बाबत प्रतिकर का संदाय धारा 161 के अधीन पहले ही कर दिया गया है या प्रतिकर के संदाय के लए आवेदन उस धारा के अधीन लंबित है और ऐसा अ धकरण, न्यायालय या अन्य प्रा धकारी--

(क) यदि प्रतिकर धारा 161 के अधीन पहले संदत्त ही कर दिया गया है, उसके द्वारा अ धनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने के लए दायी व्यक्ति को यह निदेश देगा क वह बीमाकर्ता को उसके उतने भाग का प्रतिदाय करे जितना उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार वापस कया जाना अपे क्षत है ;

(ख) यदि प्रतिकर के संदाय के लए आवेदन धारा 161 के अधीन लंबित है तो वह बीमाकर्ता को उसके द्वारा अ धनिर्णीत प्रतिकर के बारे में व शष्टियां अग्रे षत करेगा ;

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लए धारा 161 के अधीन प्रतिकर के लए आवेदन तब लंबित समझा जाएगा,

(i) यदि ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया गया है तो आवेदन की नामंजूरी की तारीख तक ; और

(ii) कसी अन्य मामले में आवेदन के अनुसरण में प्रतिकर के संदाय की तारीख तक ।

सरं चत फार्मूला आधार पर प्रतिकर के संदाय के बारे में वशेष उपबंध ।

164. (1) इस अ धनियम या तत्समय प्रवृत कसी अन्य व ध में या व ध का बल रखने वाली लखत में कसी बात के होते हुए, मोटर यान का स्वामी या प्रा धकृत बीमाकर्ता मोटरयान के उपयोग के कारण उद्भूत दुघर्टना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, व धक वारिसों या पी ड़त को ऐसी संदाय अनुसूची के अनुसार प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा जो केन्द्रीय सरकार वहित करे :

परन्तु कसी व्यक्ति को संदेय न्यूनतम प्रतिकर की रा श वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर वहित की जाए और जो मृत्यु की दशा में दस लाख रुपए और घोर उपहति की दशा में पांच लाख रुपए से अ धक नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लए कसी दावे में, दावाकर्ता से यह अ भवाक या सद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी क मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा कया गया है यान के स्थायी या संबद्ध यान के या कसी अन्य व्यक्ति के कसी सदोष कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(3) जहां मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुघर्टना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की बाबत तत्समय प्रवृत कसी अन्य व ध के अधीन प्रतिकर का संदाय कया गया है, वहां प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटा दी जाएगी ।

दावाकर्ताओं के लए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम ।

164क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लए स्कीमें बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई स्कीम, उस दशा में, जहां कसी मोटर यान के उपयोग से या अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कए जाएं, दावा उद्भूत होता है, वहां ऐसे मोटर यान के स्वामी से ऐसी स्कीम के अधीन सं वतरित नि धयों की वसूली की प्र क्रया के लए भी उपबंध होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कसी स्कीम में निम्न ल खत के लए उपबंध हो सकेगा,--

(क) उसके कसी उपबंध का उल्लंघन, ऐसी अव ध के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा कन्तु जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ; और

(ख) ऐसी स्कीम द्वारा कसी अ धकारी या प्रा धकारी की शक्तियों, कृत्यों या प्रदत्त अथवा अ धरो पत कर्तव्यों को, केंद्रीय सरकार के पूर्व ल खत अनुमोदन के साथ कसी अन्य अ धकारी या प्रा धकारी को प्रत्यायोजित कया जा सकेगा ।

मोटरयान दुघर्टना नि ध ।

164ख. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटरयान दुघर्टना नामक नि ध का गठन कया जाएगा, जिसमें निम्न ल खत जमा कया जाएगा--

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अ धसू चत तथा अनुमोदित प्रकृति का उपकर या

कर या संदाय ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नि ध में कए गए कोई अनुदान या ऋण;

(ग) आय का कोई अन्य स्रोत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में सभी सड़क उपयोक्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के प्रयोजन के लए नि ध गठित की जाएगी ।

(3) नि ध का निम्न ल खत के लए उपयोग कया जाएगा--

(क) ऐसे व्यक्ति का उपचार, जिसको सड़क दुर्घटना में घोर उपहति हुई है उस समय तक जब तक उसका स्वास्थ्य स्थिर नहीं हो जाए ;

(ख) ऐसे कसी व्यक्ति के प्रतिनि धयों को, प्रतिकर जिनकी मृत्यु हिट एंड रन में हुई जो उस मृतक द्वारा कारित नहीं कया गया था जिनकी ओर से दावा कया जा रहा है और जिस सड़क दुर्घटना के लए कसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ;

(ग) कसी सड़क दुर्घटना में कसी व्यक्ति को हुई घोर उपहति के लए वहां प्रतिकर जहां या तो उस व्यक्ति पर या कसी अन्य व्यक्ति पर जो दुर्घटना में शा मल है, कोई दोष नहीं मढ़ा जा सकता ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कए जाएं ।

(4) अ धकतम दायित्व रकम जिसे प्रत्येक मामले में संदत्त कया जा सकता है वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।

(5) उपधारा (3) के खंड (क) में वनिर्दिष्ट सभी मामलों में, जब ऐसे व्यक्तियों का दावा संदेय हो जाता है, जहां कसी व्यक्ति को रकम का संदाय इस नि ध में से कया गया है वहां वही रकम बीमा कंपनी से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त दावे से कटौती योग्य होगी ।

(6) नि ध का प्रबंध ऐसे प्रा धकारी या अ भकरण द्वारा कया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार निम्न ल खत को ध्यान में रखते हुए वनिर्दिष्ट करे--

(क) अ भकरण के बीमा कारबार की जानकारी ;

(ख) नि धयों का प्रबंध करने की अ भकरण की क्षमता ;

(ग) कोई अन्य मापदंड जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।

(7) केंद्रीय सरकार, समु चत लेखा और अन्य सुसंगत अ भलेख रखेगी और केंद्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से वहित कए जाने वाले प्ररूप में लेखाओं की एक वा षक ववरणी तैयार करेगी ।

(8) नि ध के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा वनिर्दिष्ट कए जाएं ।

(9) भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अ धनियम के अधीन नि ध के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त कसी अन्य व्यक्ति के पास सरकारी लेखाओं की ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अ धकार, वशेषा धकार और प्रा धकार होगा और व शष्ट रूप से उनके पास बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को पेश करने की मांग करने और प्रा धकरण के कसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अ धकार होगा ।

(10) भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अ धनियम के अधीन इस नि मत्त नियुक्त कसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमा णत नि ध के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वा र्षक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रे षत कया जाएगा और केंद्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

164ग. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न ल खत के लए उपबंध कर सकेंगे :--

(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लए प्रयोग कए जाने वाले प्ररूप,--

(i) बीमा पा लसी का प्ररूप और वे व शष्टियां, जो धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट रूप में उसमें अंत र्वष्ट होंगी ;

(ii) धारा 157 की उपधारा (2) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र में अंतरण के तथ्य के संबंध में परिवर्तन करने के लए प्ररूप ;

(iii) वह प्ररूप, जिसमें दुर्घटना की जानकारी संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी, वे व शष्टियां, जो उनमें अंत र्वष्ट होंगी, धारा 159 की उपधारा (1) के अधीन उस रिपोर्ट को दावा अ धकरण या कसी अन्य अ भकरण के सामने प्रस्तुत करने की रीति और समय ;

(iv) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लए प्ररूप ;

(v) धारा 164ख की उपधारा (7) में यथा निर्दिष्ट मोटर यान क्रैश नि ध के लए लेखाओं के वा र्षक ववरण का प्ररूप ;

(ख) बीमा प्रमाणपत्रों के लए आवेदन करना तथा उन्हें जारी करना ;

(ग) गुमशुदा, वनष्ट या वकृत बीमा प्रमाणपत्रों को बदलने के लए दूसरी प्रति जारी करना ;

(घ) बीमा प्रमाणपत्रों की अ भरक्षा, प्रस्तुतिकरण और अभ्यर्पण ;

(ङ.) इस अध्याय के अधीन जारी बीमा पा ल सयों के बीमाकर्ताओं द्वारा अ भलेखों का रखा जाना ;

(च) इस अध्याय के उपबंधों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों या अन्यथा द्वारा पहचान ;

(छ) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा की पा ल सयों के संबंध में जानकारी देना ;

(ज) केवल अस्थायी रूप से रूकने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में लाए गए यानों को व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत यानों के लए और वहित उपातंरणों सहित इन उपबंधों को लागू करके भारत में कसी मार्ग पर या कसी क्षेत्र में प्रचा लत करने के लए इस अध्याय के उपबंधों को अंगीकार करना ;

(झ) वे अपेक्षाएं, जिनके संबंध में कसी बीमा प्रमाणपत्र से धारा 145 के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट कए गए अनुसार अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है ;

(ञ) धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन न्यूनतम प्री मयम और बीमाकर्ता का अ धकतम दायित्व ;

(ट) ऐसी अन्य रकम, जिसका संदाय बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन कसी व्यक्ति को कया जाना है ;

(ठ) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई बीमा पा लसी जारी की जाएगी और धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट उससे संबं धत अन्य वषय ;

(ड) धारा 149 की उपधारा (2) के अधीन समझौते के ब्यौरे, ऐसे समझौते की समय-सीमा और उसकी प्र क्रया ;

(ढ) धारा 158 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन छूटों और उपांतरणों का वस्तार ;

(ण) धारा 158 की उपधारा (5) के अधीन अन्य साक्ष्य ;

(त) ऐसा अन्य अ भकरण, जिसको धारा 159 में यथानिर्दिष्ट दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी ;

(थ) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लए समय-सीमा और फीस ;

(द) धारा 161 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन मृत्यु के संबंध में प्रतिकर की उच्चतर रकम ;

(ध) धारा 161 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन घोर उपहति के संबंध में प्रतिकर के रूप में संदत्त की जाने वाली नियत रा श ;

(न) धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट अंतरिम अनुतोष के रूप में संदत्त की जाने वाली रा श ।

(प) धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन संदाय सूची;

(फ) धारा 164 की उपधारा (1) के पंरतुक के अधीन मृत्यु की दशा में न्यूनतम प्रतिकर;

(ब) ऐसे अन्य स्रोत जिनसे धारा 164क में निर्दिष्ट स्कीम के लए नि धयां

वसूल की जा सकेंगी;

(भ) आय का कोई अन्य स्रोत जो धारा 164ख की उपधारा (1) के अधीन मोटर यान दुर्घटना नि ध में जमा कया जाएगा;

(म) वे व्यक्ति जिनको धारा 164ख की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन प्रतिकर का संदाय कया जा सकेगा ;

(य) धारा 164ख की उपधारा (4) के अधीन अ धकतम दायित्व रकम;

(यक) धारा 164ख की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन अन्य मानदंड;

(यख) कोई अन्य वषय जो वहित कया जाना है या वहित कया जाए या जिसके संबंध में उपबंध नियमों द्वारा बनाए जाना है ।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

164घ. (1) राज्य सरकार धारा 164ग में वनिर्दिष्ट वषयों से भन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रयान्वित करने के प्रयोजन के लए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम---

(क) धारा 147 की उपधारा (5) के अधीन अन्य प्रा धकारी,

के लए उपबंध कर सकेंगे ।"।

धारा 165 का संशोधन ।

50. मूल अ धनियम की धारा 165 के स्पष्टीकरण में "धारा 140 और धारा 163क" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 164" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 166 का संशोधन ।

51. मूल अ धनियम की धारा 166 में,--

(i) उपधारा (2) में परंतुक का लोप कया जाएगा ।

(ii) उपधारा (4) में "धारा 158 की उपधारा (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 159" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(iii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात :--

"(5) इस अ धनियम या तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध में कसी बात के होते हुए, दुर्घटना में क्षति के लए प्रतिकर का दावा करने वाला व्यक्ति का अ धकार जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है की मृत्यु होने पर उसके व धक प्रतिनि धयों के लए, इस बात को ध्यान में न रखते हुए क मृत्यु का कारण क्षति से संबं धत है या इसका उसके साथ कोई संबंध था, वद्यमान होगा ।" ।

धारा 168 का संशोधन ।

52. मूल अ धनियम की धारा 168 की उपधारा (1) में,--

(i) "धारा 162" शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 163" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक का लोप कया जाएगा ।

धारा 169 का संशोधन ।

53. मूल अ धनियम की धारा 169 की उपधारा (3) में निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत

की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) इसके अ धनिर्णय के प्रावर्तन प्रयोजन के लए, दावा अ धकरण को भी स वल प्र क्रया संहिता, 1908 के अधीन डक्री के निष्पादन में स वल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी मानो अ धनिर्णय कसी स वल वाद में ऐसे न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय के लए डक्री थी ।" । 1908का 5

54. मूल अ धनियम की धारा 170 में "धारा 149" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 150" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 170 का संशोधन ।

55. मूल अ धनियम की धारा 173 की उपधारा (2) में, "दस हजार " शब्द के स्थान पर "एक लाख " शब्द रखे जाएंगे । धारा 173 का संशोधन ।

56. मूल अ धनियम की धारा 177 में, "एक सौ रुपए" और "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ रुपए" और "एक हजार पांच सौ रुपए" शब्द क्रमश: रखे जाएंगे । धारा 177 का संशोधन ।

57. मूल अ धनियम की धारा 177 के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 177क का संशोधन ।

"177क जो कोई धारा 118 के अधीन वनियमों का उल्लंघन करता है वह ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा कंतु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा ।"। धारा 118 के अधीन वनिनियमों के उल्लंघन के लए शास्ति ।

58. मूल अ धनियम की धारा 178 की उपधारा (3) में "दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे । धारा 178 का संशोधन ।

59. मूल अ धनियम की धारा 179 में,-- धारा 179 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

60. मूल अ धनियम की धारा 180 में "एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द: रखे जाएंगे । धारा 180 का संशोधन ।

61. मूल अ धनियम की धारा 181 में "पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द: रखे जाएंगे । धारा 181 का संशोधन ।

62. मूल अ धनियम की धारा 182 में,-- धारा 182 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में "पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 182क के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना ।

63. मूल अधिनियम की धारा 182क के स्थान पर निम्नलिखत धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

मोटर यानों और उनके अवयवों के पुर्जों के संनिर्माण, रखरखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड ।

"182क(1) जो कोई मोटर यानों का विनिर्माता, आयातकर्ता या ब्यौहारी होने के कारण, मोटर यान का विक्रय करता है या परिदान करता है या उसका परिवर्तन करता है या विक्रय करने या परिदान करने या परिवर्तन करने की प्रस्थापना करता है जो अध्याय सात या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन में है, ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा :

परंतु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सद्बदोष नहीं ठहराया जाएगा यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसे मोटर यान के विक्रय या परिदान या परिवर्तन के समय उसने उस रीति, जिसमें ऐसा मोटर यान अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में था, के अन्य पक्षकारों को प्रकट किया था ।

(2) जो कोई मोटर यान का विनिर्माता होते हुए, अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक सौ करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई किसी मोटर यान के किसी संघटक का विक्रय करता है या विक्रय करने की प्रस्थापना करता है या उसके विक्रय को अनुज्ञात करता है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया है और जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से ऐसे प्रत्येक संघटक के लिए एक लाख रुपए का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए, मोटर यान जिसके अंतर्गत ऐसी रीति में मोटर यान के पुर्जों का पश्च फिटिंग के रूप में मोटर यान का परिवर्तन भी है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए अधिनियमों या नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है, ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे परिवर्तन के लिए एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा ।

धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड ।

182ख. जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।"।

धारा 183 का संशोधन ।

64. मूल अधिनियम की धारा 183 में,–

(i) उपधारा (1) में–

(क) "जो कोई मोटर यान चलाएगा" शब्दों के पश्चात्, "या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसके द्वारा नियोजित है या उसके नियंत्रण के अधीन या किसी को उसके नियंत्रणाधीन है, चलवाएगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "जो चार सौ रुपए तक का हो सकेगा, या यदि इस उपधारा के अधीन अपराध के लए पहले ही दोष सद्ध हो चुकने पर इस अपराध के लए पुनः दोष सद्ध होने की दशा में जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा", शब्दों के स्थान पर निम्न ल खत शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(i) निम्न ल खत रीति में जहां कोई ऐसा मोटर यान हल्का मोटर यान है वहां ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा कन्तु दो हजार रुपए तक हो सकेगा ।

(ii) जहां ऐसा मोटर यान मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान या भारी माल यान या भारी यात्री यान है वहां ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा कन्तु चार हजार रुपए तक को हो सकेगा ; और

(iii) इस उपधारा के अधीन दूसरे या कसी पश्चातवर्ती अपराध के लए ऐसे चालक की चालन अनुज्ञप्ति धारा 206 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध कर ली जाएगी ।"।

(ii) उपधारा (2) का लोप कया जाएगा ।

(iii) उपधारा (3) में "यांत्रिक" शब्द के पश्चात् "इलेक्ट्रोनिक" शब्द अंत:स्था पत कया जाएगा ।

(iv) उपधारा (4) में "उपधारा (2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "उपधारा (1)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

65. मूल अ धनियम की धारा 184 में,– धारा 184 का संशोधन ।

(i) "साधारण जनता के लए खतरनाक है" शब्दों के पश्चात् "या जो यान के अ धभो गयों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और सड़कों के निकट व्यक्तियों को चेतावनी या करस्थम का बोध कराता है" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे ;

(ii) "जिसकी अव ध छह मास तक की हो सकेगी या या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जिसकी अव ध एक वर्ष तक की हो सकेगी कंतु छह मास से कम की नहीं होगी या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा कन्तु पांच हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) "स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लए,--

(क) लाल बत्ती को पार करना ;

(ख) ठहरो के चह्न का उल्लंघन करना ;

(ग) गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्तियों का प्रयोग ;

(घ) व ध के वरुद्ध कसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना ;

(ङ) यातायात के प्रा धकृत प्रवाह के वरुद्ध चालन करना ;

(च) कसी ऐसी रीति में गाड़ी चालाना जो उससे बहुत कम है जिसकी कसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाएगी और जहां कसी सक्षम और सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा क उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा,

से ऐसी रीति में चलान जो पब्लिक के लए खतरनाक हैं, अ भप्रेत होगा ।"।

धारा 185 का संशोधन ।

66. मूल अ धनियम की धारा 185 में,–

(i) खंड (क) में, "श्वास वश्लेषक" शब्दों के पश्चात्, "या कसी अन्य परीक्षण जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी है, में", शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे ;

(ii) "जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) यदि पूर्व वैसे ही अपराध के कए जाने के तीन वर्ष के भीतर कया गया है शब्दों का लोप कया जाएगा ।

(iv) "जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्न ल खत स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लए, "मादक द्रव्य" पद से "अल्कोहल प्राकृतिक या कृत्रिम से भन्न कोई मद्दे या कोई अन्य सामग्री या कोई लवण या ऐसे पदार्थ या सामग्री की नि र्मति अ भप्रेत है जो इस अ धनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अ धसू चत की जाए और इसके अंतर्गत स्वापक ओष ध और मन:प्रभावी पदार्थ अ धनियम, 1985 की धारा 2 के खंड **(xiv)** और 1985 का 61
खंड **(xxiii)** में यथा परिभा षत स्वापक ओष ध और मन:प्रभावी पदार्थ भी हैं"

धारा 186 का संशोधन ।

67. मूल अ धनियम की धारा 186 में, "दो सौ रुपए" और "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" और "दो हजार रुपए" शब्द क्रमश: रखे जाएंगे ।

धारा 187 का संशोधन ।

68. मूल अ धनियम की धारा 187 में, –

रख "(ग)" अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर "(क)" अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) "छह मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) "जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 189 का संशोधन ।

69. मूल अ धनियम की धारा 189 में,–

(i) "एक मास" शब्दों के स्थान पर "तीन मास" शब्द रखे जाएंगे

(ii) "जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे

(iii) "दोनों से" शब्दों के पश्चात् "और पश्चातवर्ती अपराध के लए ऐसी अव ध के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

70. मूल अ धनियम की धारा 190 में,– धारा 190 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, –

(क) "जो दो सौ पचास रुपए तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ख) "जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ग) "दोनों से" शब्दों के पश्चात् "और पश्चातवर्ती अपराध के लए ऐसी अव ध के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लए दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा" शब्द अंतःस्था पत कए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,–

(क) "एक हजार रुपए तक के जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर "ऐसे कारावास जिसकी अव ध तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और वह तीन मास की अव ध के लए अनुज्ञप्ति धारण करने के लए निरर्हित हो जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "दो हजार रुपए तक के जुर्माने से" शब्दों के स्थान पर "ऐसे कारावास जिसकी अव ध तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ; और

(iii) उपधारा (3) में, –

(क) "जो तीन हजार रुपए तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए तक का और वह तीन मास की अव ध के लए अनुज्ञप्ति धारण करने के लए निरर्हित होगा" और

(ख) "जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

71. मूल अ धनियम की धारा 191 का लोप कया जाएगा । धारा 191 का लोप ।

72. मूल अ धनियम की धारा 192 में निम्न ल खत स्पष्टीकरण अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात्:- धारा 192 का संशोधन ।

"स्पष्टीकरण--धारा 56 के उपबंधों के उल्लंघन में मोटर यान का उपयोग धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन होना समझा जाएगा और उपधारा (1) में यथा उपबं धत वैसी ही रीति में दंडनीय होगा ।"।

धारा 192क का संशोधन ।

73. मूल अ धनियम की धारा 192क की उपधारा (1) में, --

(i) "प्रथम अपराध के लए ऐसे जुर्माने से" शब्दों के पश्चात् "ऐसे कारावास से जिसकी अव ध एक वर्ष तक की हो सकेगी और" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे;

(ii) "जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा कंतु दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) "जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा कंतु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

नई धारा 192ख का अंत:स्थापन ।

74. मूल अ धनियम की धारा 192क के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

रजिस्ट्रीकरण से संबं धत अपराध ।

"192ख. (1) जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन करने में असफल रहता है, तो मोटर यान के वा र्षक सड़क कर का पांच गुना या आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माने से, जो भी अ धक हो, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई व्यौहारी होते हुए धारा 41 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह मोटर यान के वा र्षक सड़क या आजीवन कर के पंद्रह गुना जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अ भप्राप्त करता है जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा कसी तात्विक व शष्टि में मथ्या थे या मथ्या था या उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या या चे सस संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्र वष्ट ऐसी संख्या से भन्न हैं तो मोटर यान के वा र्षक सड़क कर का दस गुना या आजीवन कर के दो तिहाई जुर्माने से, जो भी अ धक हो, दंडनीय होगा ।

(4) जो कोई ऐसा व्यौहारी होते हुए ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा कसी तात्विक व शष्टि में मथ्या थे या मथ्या था या उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या या चे सस संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्र वष्ट ऐसी संख्या से भन्न हैं तो मोटर यान के वा र्षक सड़क कर का तीस गुना या आजीवन कर के दुगुने के, जुर्माने से जो भी अ धक हो, दंडनीय होगा ।"।

धारा 193 का संशोधन ।

75. मूल अ धनियम में,--

(क) धारा 193 के पार्श्व शीर्षक में "अ भकर्ताओं और प्रचारकों" शब्दों के स्थान पर "अ भकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 193 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यां कत कया जाएगा और--

(i) इस प्रकार संख्यां कत उपधारा (1) में, –

(क) "जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए तक का", शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) "जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए का", शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) इस प्रकार संख्यां कत उपधारा (1) के पश्चात् निम्न ल खत उपधाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

"(2) जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करता है तो वह ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक कंतु पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा ।

(3) जो कोई एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते समय, धारा 93 की उपधारा (4) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है जो राज्य सरकार द्वारा तात्विक शर्त के रूप में पदा वहित नहीं है, पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।" ।

76. मूल अ धनियम की धारा 194 में,– धारा 194 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,–

(क) "न्यूनतम" शब्द का लोप कया जाएगा ;

(ख) दो हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से और लदान सीमा से अ धक भार को उतरवाने के लए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अ धक भार के लए एक हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से और लदान सीमा से अ धक भार को उतरवाने के लए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अ धक भार के लए दो हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) निम्न ल खत परंतुक अंत:स्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे अ धक भार के हटाए जाने से या ऐसे मोटर यान के नियंत्रण में व्यक्ति द्वारा हटवाए जाने या हटवाए जाने के लए अनुज्ञात कए जाने से पूर्व चलने के लए अनुज्ञात नहीं कया जाएगा ।"

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) जो कोई कसी मोटर यान को उस समय चलाता है या मोटर यान को चलवाता है या चलवाने के लए अनुज्ञात करता है जब ऐसा मोटर यान ऐसी रीति में लदा हुआ है क भार या उसका कोई भाग या कोई चीज शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से

बाहर निकल जाती है ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे भार के उतराई के लए प्रभार संदाय करने के दायित्व सहित बीस हजार रुपए से अ धक नहीं होगा :

परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे भार को ऐसी रीति में व्यवस्थित कए जाने से पूर्व चलने के लए अनुज्ञात नहीं कया जाएगा क शरीर की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर नहीं निकला हुआ है :

परंतु यह और क इस उपधारा की कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसे मोटर यान को व शष्ट भार के वहन को अनुज्ञात करते हुए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा इस नि मत्त सक्षम प्रा धकारी द्वारा छूट दे दी गई है ।

(iii) उपधारा (2) में "जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 194क, 194ख, 194ग, 194घ, 194ङ., 194च का अंत:स्थापन ।

77. मूल अ धनियम की धारा 194 के पश्चात् निम्न ल खत धाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

अ धक यात्रियों का वहन ।

"194क. जो कोई कसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों प्रा धकृत यात्रियों से अ धक यात्रियों का वहन कया जाता है तो वह एक हजार रुपए प्रति अ धक व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु ऐसे मोटर यान को चलने के लए तब तक अनुज्ञात नहीं कया जाएगा जब तक क अ धक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता है और ऐसे यात्रियों के लए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है ।"

सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना ।

194ख. (1) जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु राज्य सरकार ऐसे परिवहन यानों को, जिन्हें खड़े हुए यात्रियों को वहन करना अनुज्ञात है या परिवहन यानों के अन्य व शष्ट वर्गों को राजपत्र में अ धसूचना द्वारा इस उपधारा के लागू होने से अपवर्जित कर सकेगी ।

(2) जो कोई कसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या कसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुर क्षत नहीं है, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

मोटर साइ कल ड्राइवरों और पछली सवारियों के लए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लए

194ग. जो कोई धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमोंऔर वनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइ कल चलाता है या मोटर साइ कल को चलवाता है चलाने के लए अनुज्ञात करता है तो वह दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अव ध के लए अनुज्ञप्ति धारण करने के लए निरर्हित होगा ।

शास्ति ।

सर के सुरक्षा पहनवे को न पहनने के लए शास्ति ।

194घ. जो कोई धारा 129 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या वनियमों के उललंघन में मोटर साइ कल चलाता है या मोटर साइ कल चलवाता है या चलवाना अनुज्ञात करता है तो वह दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अव ध के लए अनुज्ञप्ति धारण करने के लए निरर्हित होगा ।

आपातकालीन यानों को आबाध रूप गुजरने देने में असफलता ।

194ङ. जो कोई कसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बूलेंस या अन्य आपातकालीन यान जो राज्य सरकार द्वारा वनिर्दिष्ट कया जाए के आ जाने पर सड़क की एक ओर ले जाने में असफल रहता है, ऐसे कारावास जिसकी अव ध अछह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र ।

194च. जो कोई, --

(क) मोटर यान चलाते समय-

(i) सुरक्षा सुर क्षत करने के लए अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुर क्षत करने के लए आवश्यकता से अ धक हार्न बजाना, या

(ii) हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाना, या

(ख) ऐसा मोटर यान चलाना जो ऐसे कट आउट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा नि:शेष गैसों को अवमंदक से भन्न कसी माध्यम से छोड़ा जाता है एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लए दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।

78. मूल अ धनियम की धारा 195 का लोप कया जाएगा । धारा 195 का लोप ।

79. मूल अ धनियम की धारा 196 में,-- धारा 196 का संशोधन ।

(i) "दंडनीय होगा" शब्दों के पश्चात् "प्रथम अपराध के लए" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे ।

(ii) "एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) "दोनों" शब्द के पश्चात् "और पश्चातवर्ती अपराध के लए ऐसे कारावास जिसकी अव ध तीन मास तक की हो सकेगी या चार हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा" शब्द अंत:स्था पत कए जाएंगे ।

80. मूल अ धनियम की धारा 197 में,- धारा 197 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में "जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) में "जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे ।

81. मूल अ धनियम की धारा 198 में, "जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा" धारा 198 का संशोधन ।

शब्द के स्थान “पांच हजार रुपए के” शब्द रखे जाएंगे ।

82. मूल अ धनियम की धारा 199 के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 199क का अंत:स्थापन ।

कशोर द्वारा अपराध ।

“199क. (1) जहां कोई अपराध इस अ धनियम के अधीन कसी कशोर द्वारा कया गया है ऐसे कशोर संरक्षक या मोटर यान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उसके वरुद्ध कार्रवाई का दायी होगा तथा तदनुसार दं डत कया जाएगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे संरक्षक या स्वामी को इस अ धनियम में उपबं धत कसी दंड के लए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है क अपराध उसकी जानकारी के बिना कया गया था या उसने ऐसे अपराध के कए जाने को रोकने के लए सम्यक तत्परता बरती थी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लए न्यायालय यह उपधारणा करेगा क कशोर द्वारा मोटर यान का प्रयोग यथास्थिति ऐसे कशोर के संरक्षक था या स्वामी की सहमति से कया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त ऐसा संरक्षक या स्वामी ऐसे कारावास से जिसकी अव ध तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसे संरक्षक या स्वामी को लागू नहीं होंगे यदि अपराध करने वाला कशोर को धारा 8 के अधीन शक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी और ऐसा मोटर यान प्रचा लत कर रहा था जिसे ऐसा कशोर चलाने के लए अनुज्ञप्त कया गया था ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध कसी कशोर द्वारा कया गया है वहां अपराध कए जाने में प्रयुक्त मोटर यान बारह मास की अव ध के लए रद्द कया जाएगा ।

(5) जहां इस अ धनियम के अधीन कोई अपराध कसी कशोर द्वारा कया गया है वहां धारा 4 या धारा 7 के होते हुए भी ऐसा कशोर धारा 9 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति या धारा 8के अधीन शक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान कए जाने के लए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक क ऐसे कशोर ने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी न की ली हो ।

(6) जहां इस अपराध के अधीन कोई अपराध कसी कशोर द्वारा कया गया है वहां ऐसा कशोर इस अ धनियम में यथा उपबं धत जुर्मानों से दं डत कए जाने का पात्र होगा जब क कोई अ भरक्षक अ भरक्षा, दंडादेश कशोर न्याय अ धनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन उपांतरित कया जा सकेगा ।”। 2000 का 56

धारा 200 का संशोधन ।

83. मूल अ धनियम की धारा 200 में,--

(i) उपनियम (1) में,–

(क) “धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), हस्तधारित संसूचना युक्तियों के

उपयोग के निस्तार तक ही धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196 या धारा 198 के अधीन दंडनीय" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), धारा 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192क, धारा 194, धारा 194क, 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ., धारा 194च, धारा 196, धारा 198" शब्द अंतःस्था पत कए जाएंगे ।

(ख) निम्न ल खत परंतुक अंतःस्था पत कए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह क राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्त अपराधी से सामुदायिक सेवा की अव ध का वचनबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी ।"।

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्न ल खत परंतुक अंतःस्था पत कए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु इस धारा के अधीन समन के होते हुए ऐसा अपराध यह अवधारण करने के प्रयोजन के लए उसी अपराध के पूर्व में कया जाना समझा जाएगा क क्या पश्चातवर्ती अपराध कया गया है:

परंतु यह और क कसी अपराध का समन अपराधी को धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों से या चालक पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की बाध्यता या यदि लागू हो, संपूर्ण सामुदायिक सेवा की बाध्यता से उन्मुक्त नहीं करेगा ।"।

84. मूल अ धनियम की धारा 201 में,-- धारा 201 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,--

(क) "निःशक्त" शब्द का लोप कया जाएगा ;

(ख) "पचास रुपए प्रति घंटा" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए " शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा **(1)** के परंतुक में "सरकार, अ भकरण, अनुकर्षण अनुकर्षण प्रभार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रा धकृत कोई अ भकरण, हटाए जाने का प्रभार" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंतःस्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी जहां मोटर यान ने अनवे क्षत खराबी हो गई है और हटाए जाने की प्र क्रया में है ।

(iv) उपधारा (3) के पश्चात् निम्न ल खत स्पष्टीकरण अंतःस्था पत कया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लए "हटाए जाने के प्रभारों" के अंतर्गत "अनुकर्षण के माध्यम सहित और ऐसे मोटर यान के भंडारण से संबद्ध कन्हीं लागतों सहित भी एक अवस्थिति से दूसरी अवस्थिति तक एक मोटर यान

के हटाए जाने में अंतव लॅत कोई लागत मंजूर होगी ।"।

धारा 206 का संशोधन ।

85. मूल अ धनियम की धारा 206 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"**(4)** राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत कोई पु लस अ धकारी या अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह वश्वास करने का कारण है क मोटर यान के चालक ने धारा 183, धारा 184, धारा 185, धारा 189, धारा 190, धारा 194ग और धारा 194घ, धारा 194ङ. में से कसी धारा के अधीन कोई अपराध कया है तो ऐसे चालक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को जब्त करेगा और उसे धारा 19 के अधीन निर्हरत संबंधी कार्रवाहियों के लए अनुज्ञापन प्रा धकारी का अग्रे षत करेगा:

पंरतु अनुज्ञप्ति को जब्त करने वाला व्यक्ति उसके लए अस्थायी अ भस्वीकृति अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति को देगा कंतु ऐसी अ भस्वीकृति धारक को तब तक चालन करने के लए प्रा धकृत नहीं करेगी जब तक क अनुज्ञप्ति उसको न लौटा दी गई हो ।"।

नई धारा 210क, 210ख का अंत:स्थापन ।

86. मूल अ धनियम की धारा 210 के पश्चात् निम्न ल खत धाराएं अंत:स्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

शास्तियों में वृ द्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

"**210**क. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अ धसूचना द्वारा इस अ धनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू कए जाने वाले, एक से अन्यून और दस से अन धक गुणक को वनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे राज्य में प्रवृत्त होगा और व भन्न गुणक ऐसे मोटर यानों के व भन्न वर्गों को लागू कया जाएगा जो इस धारा के प्रयोजन के लए राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत कए जाएं ।"।

प्रवर्तनकारी प्रा धकरण द्वारा कए गए अपराध के लए शास्ति ।

210ख. कोई प्रा धकारी जो इस अ धनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लए सशक्त है, यदि ऐसा प्रा धकारी इस अ धनियम के अधीन कोई अपराध करता है तो वह इस अ धनियम के अधीन इस अपराध के तत्समानिक शास्ति के दुगना के लए दायी होगा ।

नई धारा 211क का अंत:स्थापन ।

87. मूल अ धनियम की धारा 211 के पश्चात् निम्न ल खत धारा अंत:स्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

दस्तावेजों और प्ररूपों का इलैक्ट्रानिक उपयोग ।

"**211**क. (1) जहां इस अ धनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों और वनियमों का कोई उपबंध निम्न ल खत के लए उपबंध करता है,--

(क) वहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वा मत्व या नियंत्रण में कसी कार्यालय , प्रा धकारी निकाय या अ धकरण के पास कसी भी रूप में आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज ऐसी रीति में फाइल कया जाना ;

(ख) कसी अनुज्ञप्ति, पर मट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन चाहे वह कसी भी नाम से व शष्ट रीति में ज्ञात हो ;

(ग) कसी व शष्ट रीति में धन का संदाय,

तब ऐसे परंतुक में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए ऐसी अपेक्षा को तब पूरा कया गया

समझा जाएगा जब यथास्थिति ऐसा फाइल कया जाना, जारी कया जाना, अनुदत्त करना,प्राप्ति या संदाय ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वहित कया जाए के माध्यम से कया जाता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के प्रयोजन के लए,--

(क) ऐसी रीति या रूप वधान जिसमें ऐसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप या दस्तावेज फाइल कए जाएंगे, सृजित कए जाएंगे या जारी कए जाएंगे; और

(ख) खंड (क) के अधीन कसी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज के फाइल करने, सृजित करने या जारी करने के लए कसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या पद्धति ।"।

धारा 212 का संशोधन ।

88. मूल अ धनियम की धारा 212 में,--

(i) उपधारा (4) में,--

(क) "धारा 112 की उपधारा (1) के परंतुक" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "धारा 118" शब्द और अंक अंतःस्था पत कए जाएंगे ;

(ख) "धारा 163क की उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 177क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्न ल खत उपधारा अंतःस्था पत की जाएगी, अर्थात् :--

"(5) धारा 210क के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अ धसूचना राज्य वधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र रखी जाएगी जहां यह राज्य वधानमंडल दो सदनों से मलकर बना है या जहां ऐसा वधानमंडल एक सदन से मलकर बना है वहां उस सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो तीस दिन की कुल अव ध के लए, रखा जाएगा । यह अव ध एक सत्र में अथवा एक सत्र या दो या अ धक आनुक्र मक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्र मक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व यथास्थिति सदन या दोनों सदन उस अ धसूचना में कोई परिवर्तन करने के लए सहमत हो जाएं तो वह अ धसूचना का तत्पश्चात् यथास्थिति ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभाव होगा या प्रभावहीन हो जाएगी, यथास्थिति ऐसा उपांतरण या बातलीकरण इस अ धसूचना के अधीन पूर्व में की गई कसी बात की व धमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।"।

नई धारा 215क, धारा 215ख, धारा 215ग, और धारा 215घ का अंतःस्थापन ।

89. मूल अ धनियम की धारा 215 के पश्चात् निम्न ल खत धाराएं अंतःस्था पत की जाएंगी, अर्थात् :--

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के

215क (1) इस अ धनियम में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार को ऐसी कसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो कसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त कए गए हैं और इस अ धनियम के अधीन

प्रत्यायोजित कए जाने की शक्ति ।

अपनी कन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रा धकृत करने की शक्ति होगी ।

(2) इस अ धनियम में अंत र्वष्ट कसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को ऐसी कसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो कसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त कए गए हैं और इस अ धनियम के अधीन अपनी कन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रा धकृत करने की शक्ति होगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

215ख (1) केन्द्रीय सरकार को इस अ धनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लए नियम बनाने की शक्ति होगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्न ल खत के लए उपबंध हो सकेगा--

(क) धारा 211क में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुमोदन, पृष्ठांकन और धन की प्राप्ति का संदाय के लए इलेक्ट्रोनिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग ; और

(ख) न्यूनतम अर्हताएं जिन्हें मोटर यान वभाग के अ धकारी या उनका कोई वर्ग धारा 213 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट उस रूप में नियुक्ति के लए रखने की अपेक्षा करेंगे ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

215ग. (1) राज्य सरकार धारा 215 च में वनिर्दिष्ट वषयों से भन्न इस अध्याय में उपबंधों को क्रयान्वित करने के प्रयोजनों के लए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्न ल खत के लए उपबंध हो सकेगा--

(क) धारा 211क में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुमोदन, पृष्ठांकन और धन की प्राप्ति का संदाय के लए इलेक्ट्रोनिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग ;

(ख) धारा 213 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट मोटर यान वभाग के अ धकारियों के कर्तव्यों और कृत्य और उनका निवर्हन, ऐसे अ धकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां (इस अ धनियम के अधीन पु लस अ धकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां भी हैं) और ऐसी शक्तियों के प्रयोग को शा सत करने वाली शर्तें, उनके द्वारा पहने जाने वाली वर्दी, वे प्रा धकारी जिनके प्रति वे अधीनस्थ ; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां जो धारा 213 की उपधारा (5) में खंड (च) में यथा वनिर्दिष्ट मोटर यान वभाग के अ धकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटर यान अ धनियम, 1988, मोटर यानों से संबं धत व धयों को समे कत और संशो धत करने की दृष्टि से अ धनिय मत कया गया था । अ धनियम को उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.के. कन्हिमोहम्मद बनाम पी.ए. अहमदकु ी, (1987) 4एससीसी 284 में कए गए सुझावों को लागू करने के लए अ धनिय मत कया गया था ।

2. उक्त अ धनियम को सड़क परिवहन, यात्री और ढुलाई संचलन तथा मोटर यान प्रबंधन में होने वाले प्रौद्यो गकीय उन्नयन को अंगीकार करने के लए अनेक बार संशो धत कया गया था । तेजी से बढ़ते हुए मोटरीकरण के साथ, भारत सड़क यातायात क्षतियों और अपमृत्यु के बढ़ते हुए भार का सामना कर रहा है । कुटुंब, जो अपने जी वका अर्जित करने वाले व्यक्ति को खोता है, को कारित भावनात्मक और सामाजिक संघात को मापा नहीं जा सकता है । भारत ब्राजी लया घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है और वह वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं से अपमृत्यु को पचास प्रतिशत तक कम करने के लए प्रतिबद्ध है । सड़क परिवहन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में भी मुख्य भू मका का निर्वाह करता है ।

3. सड़क दुर्घटनाओं में वृ द्ध, चालन अनुज्ञप्तियों को जारी करने में वलंब, ट्रै फक नियमों और वनियमों आदि की अवहेलना के कारणों को प्रोद्धरित करते हुए मंत्रालय में व भन्न पणधारियों से शकायतों और सुझावों के रूप में अनेक अभ्यावेदन और सफारिशें प्राप्त हुई हैं । इस लए, सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लए मोटर यान अ धनियम, 1988 में तुरंत संशोधन करने की आवश्यकता है ता क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा और दक्षता के मुद्दों का समाधान कया जा सके ।

4. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त अ धनियम के कतिपय उपबंधों को संशो धत करना आवश्यक हो गया है । प्रस्ता वत मोटर यान (संशोधन) वधेयक, 2016 सड़क सुरक्षा, नागरिक सुकरीकरण, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने, स्वचालन और कंप्यूटरीकरण से संबं धत मुद्दों का समाधान करने के लए है ।

5. मोटर यान (संशोधन) वधेयक, 2016, अन्य बातों के साथ, निम्न ल खत का उपबंध करने के लए है, अर्थात् :----

(क) ऑनलाइन शक्षार्थी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने को सुकर बनाने के लए ;

(ख) दुर्घटना पी ड़तों और उनके कुटुंबों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लए सरल उपबंधों के साथ बीमा के वद्यमान उपबंधों को प्रतिस्था पत करने के लए ;

(ग) चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए समय--सीमा को समाप्ति की तारीख से पूर्व और उसके पश्चात् एक मास से बढ़ाकर छह मास करने के लए ;

(घ) परिवहन अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की अव ध को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने के लए ;

(ङ) अनुज्ञापन प्रा धकारी को भन्न रूप से योग्य व्यक्तियों को भी अनुज्ञप्ति

प्रदान करने के लए समर्थ बनाने के लए ;

(च) राज्यों को सार्वजनिक परिवहन, ग्रामीण परिवहन और अंतिम स्थान को सम्पर्क का संवर्धन करने के लए पर मटों से संबं धत अ धनियम के उपबंधों को श थल करके समर्थ बनाने के लए ;

(छ) अ धनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लए जुर्माने और शास्तियों में वृ द्ध करने के लए ; और

(ज) सड़क के नेक उपयोगकर्ताओं के संरक्षण के लए उपबंध करने के लए ।

6. खंडों पर टिप्पण वधेयक में अंत र्वष्ट व भन्न उपबंधों को वस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

7. वधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लए है ।

नई दिल्ली ;
5 अगस्त, 2016

नितिन गडकरी

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--"मोटर यान (संशोधन) अ धनियम, 2016" के रूप में वधेयक के सं क्षप्त नाम का उपबंध करता है और ऐसी तारीख, जो केंद्रीय सरकार द्वार अ धसू चत की जाए और व भन्न तारीखें, जो वधेयक के व भन्न उपबंधों के लए व भन्न राज्यों के लए नियत की जाएं, से वधेयक के उपबंधों के प्रारंभ का उपबंध करने के लए है ।

खंड 2--अ धनियम में प्रयुक्त कतिपय पदों, जैसे 'मध्यवर्ती यात्री मोटर यान', 'मोटरकार' और 'भार', की परिभाषाओं से संबं धत मोटर यान अ धनियम, 1988 (अ धनियम) की धारा 2 का संशोधन करने के लए और धारा 2 में कुछ नई परिभाषाएं, 'रूपांतरित यान', 'समूहक', 'समुदाय सेवा', 'चालक पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम', 'स्व र्णम घंटा', 'स्कीम' और 'परीक्षण अ भकरण' अंत:स्था पत करने के लए है ।

खंड 3--मूल अ धनियम के उपबंधों से नई प्रौद्यो ग कयों, आ वष्कारों या नवपरिवर्तनों को छूट प्रदान करने के लए केंद्रीय सरकार के नम्यता का उपबंध करने हेतु अ धनियम में एक नई धारा 2ख अंत:स्था पत करने के लए है जिससे ऐसी प्रौद्यो गकी और नवपरिवर्तन प्रदान कया जा सके ।

खंड 4--अ धनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लए है जिससे शक्षार्थी अनुज्ञप्ति अ भप्राप्त करने के लए प्र क्रया को सरल बनाया जा सके । यह खंड आवेदक को राज्य में कसी अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन करने के लए आवेदक को आवेदन, फीस और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के आनलाइन साधनों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लए है और शक्षार्थी अनुज्ञप्ति अ भप्राप्त करने के लए पात्रता अवधारित करने में नम्यता अनुज्ञात करने के लए है । यह इलैक्ट्रानिक रूप में शक्षार्थी अनुज्ञप्ति के जारी कए जाने का उपबंध करने के लए भी है ।

खंड 5--अ धनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लए है जिससे चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्र क्रया को सरल बनाया जा सके । यह खंड आवेदक को राज्य में कसी अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन करने में समर्थ बनाने, जब तक आवेदक चालक प्र शक्षण स्कूल या स्थापन से प्रमाणपत्र धारण करता है तब तक न्यूनतम शै क्षक अर्हता को हटाने के लए है । खंड यह भी उपबंध करने के लए है क ऐसा आवेदक को, जो बार--बार सक्षमता के परीक्षण में अनुतीर्ण हो जाता है, ऐसे आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व, उपचारात्मक चालन प्र शक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना होगा ।

खंड 6--अ धनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लए है जिससे 'अशक्त यात्री गाड़ी' पद के स्थान पर, 'रूपांतरित यान' पद रखा जाएगा ।

खंड 7--अ धनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लए है जिससे अनुज्ञप्तिधारक को उसके या उसकी चालन अनुज्ञप्ति के लए मोटरयानों के अन्य वर्गों या वर्णनों के परिवर्धन के लए राज्य में कसी अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन करने के लए अनुज्ञात कया जा सके ।

खंड 8--अ धनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लए है जिससे उन आवेदकों को, जिन्होंने ऐसा वशेषीकृत प्र शक्षण प्राप्त कया है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अन्य अपेक्षाओं,

जैसे परिवहन यान चलाने के लए शक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान कए जाने से पूर्व कम से कम एक वर्ष तक हल्के मोटर यान के साथ चालन करता है, को पूरा करने की अपेक्षा कए बिना चालन के लए प्रत्यायित स्कूलों या स्थापनों से केंद्रीय सरकार द्वारा अ भकल्पित कया गया है, अनुज्ञात कया जा सके ।

खंड 9--अ धनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लए है जिससे चालन अनुज्ञप्ति व धमान्य रहने की समयाव ध को बढ़ाया जा सके ।

खंड 10--अ धनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लए है जिससे अनुज्ञप्तिधारक को, अनुज्ञप्ति समाप्ति से पूर्व छह मास और उसके पश्चात् छह मास की सीमा में कसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए आवेदन करने हेतु अनुज्ञात कया जा सके । खंड यह भी उपबंध करने के लए है क ऐसा कोई आवेदक, जो समाप्ति के पश्चात् छह मास से अ धक अपनी चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने का प्रयास करता है, सक्षमता प्र शक्षण उत्तीर्ण करना होगा ।

खंड 11--अ धनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लए है जिससे कतिपय अपराध, जैसे लाल बती को पार करने, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के प्रभाव के अधीन चालन करना, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए चालन, गलत रास्ते में चालन करना आदि, करते पाए जाने वाले चालकों की चालन अनुज्ञप्ति को धारण करने से निरर्हता, चालन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहृण के लए उपबंध कया जा सके । खंड यह भी उपबंध करने के लए है क ऐसे अनुज्ञप्तिधारकों से केंद्रीय सरकार द्वारा यथा वहित चालक पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

खंड 12--अ धनियम में एक नई धारा 25क अंत:स्था पत करने के लए है जिससे चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर की स्थापना की जा सके जिसमें संपूर्ण भारत में जारी की गई सभी चालन अनुज्ञप्तियों संबंधी आंकड़े अंत र्वष्ट हों और पारदर्शी तथा दक्ष रीति में अनुज्ञप्तियों का प्रदान कया जाना सुकर बनाया जा सके । खंड केंद्रीय सरकार के चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर में अंत र्वष्ट सभी सूचनाओं का पारे षत करने के लए और केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाने वाली रीति में राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लए राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के लए भी है । खंड सभी राज्य रजिस्टरों को केंद्रीय अ धसू चत की जाने वाली तारीख तक राष्ट्रीय रजिस्टर में सम्मि लत करने के लए भी है ।

खंड 13--अ धनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लए है जिससे चालन अनुज्ञप्तियों का राज्य रजिस्टर की प्रति के साथ केंद्रीय सरकार को प्रदाय करने के लए राज्य सरकार की ओर से अपेक्षा का लोप कया जा सके ।

खंड 14--अ धनियम के अध्याय 2 में प्रस्ता वत संशोधन के परिणामस्वरूप अ धनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 15--अ धनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लए है जिससे स्वामी को राज्य में कसी रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को आवेदन करके अपने मोटरयान को रजिस्टर कराने के लए अनुज्ञात कया जा सके ।

खंड 16--अ धनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लए है जिससे व्यौहारी द्वारा नए मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध कया जा सके और ऐसे व्यौहारियों के लए शास्ति का

उपबंध कया जा सके जो नए मोटर यान को रजिस्टर कराने में असफल रहते हैं । खंड यह उपबंध करने के लए भी है क नए मोटर यान रजिस्ट्रीकरण चह्न के चपकाए जाने के पश्चात् ही ग्राहकों को परिदत्त कए जाएंगे । खंड मोटर यानों के व भन्न वर्गों के लए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की व धमान्यता को वहित करने के लए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाने के संबंध में है ।

खंड 17--अ धनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लए है जिससे केंद्रीय सरकार को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चह्न जारी कए जाने के लए नियम बनाने हेतु समर्थ बनाया जा सके और खंड रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को या कसी अन्य प्रा धकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा वहित कया जाए, कए जाने वाले अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन का उपबंध करने के लए है ।

खंड 18--अ धनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लए है जिससे रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी के समक्ष मोटर यान के प्रस्तुत कए जाने की अपेक्षा को हटाया जा सके ।

खंड 19--अ धनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लए है जिससे आन--लाइन आवेदन प्र क्रया के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर निवास के परिवर्तन को अ भ ल खत करने की प्र क्रया को सरल बनाया जा सके । खंड समयबद्ध रीति में नई जानकारी उपलब्ध कराने में असफलता के लए शास्ति में अ भवृ द्ध करने के लए भी है ।

खंड 20--मूल अ धनियम की धारा 52 का संशोधन करने के लए है जिससे स्वा मयों को अपने मोटर यान के उपस्करों में परिवर्तन या पुन: संयोजन करने के लए अनुज्ञात कया जा सके और यह उपबंध करता है क वनिर्माता द्वारा प्रदान की गई गारंटी तब तक शून्य घो षत नहीं की जाएगी जब तक ऐसा परिवर्तन या पुन: संयोजन केंद्रीय सरकार द्वारा अ धक थत वनिर्देशों के अनुसार नहीं कया जाता है । खंड केंद्रीय सरकार को मोटर यानों पर पुन: संयोजन सुरक्षा और उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर के लए वनिर्माता से अपेक्षा करने के लए भी सशक्त बनाता है । खंड मोटर यान को नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लए रूपांतरित यान में संपरिवर्तन को समर्थ बनाने के लए भी है ।

खंड 21--अ धनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लए है जिससे उस मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लए उपबंध कया जा सके, जिसका प्रयोग मूल अ धनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कशोर द्वारा कया गया है ।

खंड 22--अ धनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लए है जिससे मोटर यानों को उपयुक्तता प्रमाणपत्र के प्रदान कए जाने के लए प्रा धकृत परीक्षण केंद्रों पर स्वचा लत परीक्षण सु वधाओं के लए उपबंध कया जा सके और यह सुनिश्चित कया जा सके क कोई उपयुक्तता प्रमाणपत्र 1 अक्तूबर, 2018 के पश्चात् तब तक प्रदान नहीं कया जाएगा जब तक मोटर यान का परीक्षण ऐसे स्वचा लत परीक्षण सु वधाओं में न कर दिया गया हो । खंड केंद्रीय सरकार को उपयुक्तता प्रमाणपत्र वहन करने के लए परिवहन यानों के अतिरिक्त अन्य मोटर यानों को निर्देश देने के लए भी सशक्त करता है । खंड यह उपबंध करने के लए भी है क व धमान्य उपयुक्तता प्रमाणपत्रों वाले परिवहन यानों में उनकी बाडी पर स्पष्ट दृश्यमान सु भन्न चह्न लगे होंगे ।

खंड 23--अ धनियम की धारा 59 का संशोधन करने के लए है जिससे केंद्रीय सरकार को मोटर यानों और उनकी अव ध के अंत में मोटर यान पुर्जों के पुन:चक्रण के लए नियम बनाने हेतु समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 24--अ धनियम में नए उपबंध, अर्थात् धारा 62क और धारा 62ख अंत:स्था पत करने के लए है । धारा 62क आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और ऐसे यानों के उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने को प्रति षद्ध करने के लए है । धारा 62ख मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर स्था पत करने के लए है जिसमें संपूर्ण भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी मोटर यानों के आंकड़े रखे जाएंगे । खंड यह भी उपबंध करता है क कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक जारी या नवीकृत नहीं कया जाएगा जब तक उसे राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक व शष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी न कर दी गई हो । यह राज्य सरकारों को, मोटर यानों के राज्य रजिस्टर में अंत र्वष्ट सभी सूचना और डाटा को राष्ट्रीय रजिस्टर में पारे षत करने और राष्ट्रीय रजिस्टर को ऐसे नियमों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए, अद्यतन करने के लए समर्थ बनाने के लए भी है ।

खंड 25--अ धनियम की धारा 63 का संशोधन करने के लए है जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसा प्ररूप वहित करने के लए समर्थ बनाया जा सके, जिसमें राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार को मोटर यानों के राज्य रजिस्टर के अद्यतन ब्यौरे भेजेगी ।

खंड 26--अ धनियम के अध्याय 4 में प्रस्ता वत संशोधनों के परिणामस्वरूप अ धनियम की धारा 64 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 27--अ धनियम की धारा 66 का संशोधन करने के लए है जिससे पर मट अर्जन करने से अ धनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन कए गए माल और यात्रियों के परिवहन के लए स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के साथ प्रचालन करने वाले परिवहन यानों को छूट दी जा सके । खंड ऐसे परिवहन यान को भी अनुज्ञात करता है, जिसे परिवहन यान के स्वामी के ववेकानुसार ऐसे पर मट या ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन चलाने के लए अ धनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन कए गए माल और यात्रियों के परिवहन के लए स्कीम के अधीन पर मट या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

खंड 28--अ धनियम में नए उपबंध, अर्थात् धारा 66क और धारा 66ख अंत:स्था पत करने के लए है । धारा 66क केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय परिवहन नीति को वक सत करने और कार्यान्वित करने को सशक्त बनाने के लए है । धारा 66ख यह उपबंध करने के लए है क पर मट धारक अ धनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन कए गए माल और यात्रियों के परिवहन के लए स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लए आवेदन करने से न तो निरर्हित होंगे और न ही ऐसे पर मट धारक से ऐसी अनुज्ञप्ति जारी कए जाने पर पर मट लौटाने की अपेक्षा की जाएगी ।

खंड 29--अ धनियम की धारा 67 का संशोधन करने के लए है जिससे राज्य सरकार को यात्रियों की सु वधा की सुरक्षा करने, भीड़भाड़ को कम करने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और आ र्थक रूप से सस्ते प्रतिस्पर्धात्मक करायों का उपबंध करने के लए राज्य परिवहन प्रा धकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्रा धकरणों को निदेश जारी करने के लए सशक्त कया जा सके । यह खंड अध्याय 5 के अधीन कए गए कसी उपबंध को श थल करने, पर मटों को

उपांतरित करने और अंतिम स्थान को संपर्क को बढ़ाने के लए माल और यात्रियों के परिवहन के लए, ग्रामीण परिवहन, ट्रै फक की भीड़भाड़ को कम करने, सड़क के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का संवर्धन करने, परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग, क्षेत्र की आ र्थक ओजस्विता का वर्धन, लोगों की पहुंच और सचलता में वृ द्ध, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन, जीवन की क्वा लटी में सुधार, अन्य प्रयोजनों में बहुमॉडल एकीकरण के वर्धन के लए स्कीम बनाने के लए राज्य सरकार को भी सशक्त करता है ।

खंड 30--अ धनियम की धारा 72 का संशोधन करने के लए है जिससे प्रादे शक परिवहन प्रा धकारी को ग्रामीण क्षेत्र में स्टेज कैरिज चलाने के लए कसी पर मट शर्त का अ धत्यजन करने के लए सशक्त कया जा सके ।

खंड 31--कम लागत, अंतिम स्थान संपर्क समाधानों का संवर्धन करने के लए कंटैक्ट कैरिज के लए कसी पर मट की शर्त का अ धत्यजन करने के लए प्रादे शक परिवहन प्रा धकारी को सशक्त करने हेतु अ धनियम की धारा 74 का संशोधन करने के लए है । खंड पर मटों के जारी करने में अ धमानों के माध्यम से गरीब और भेध्य समूहों के सशक्तीकरण को सुकर बनाने के लए भी है ।

खंड 32--अ धनियम में एक नई धारा 88क अंत:स्था पत करने के लए है जिससे केंद्रीय सरकार को पर मटों को उपांतरित करने और माल या यात्रियों के अंतर्राज्य परिवहन के लए स्कीमें बनाने हेतु सशक्त कया जा सके ।

खंड 33--अ धनियम की धारा 92 का संशोधन करने के लए है जिससे अध्याय 5, जो ऐसे परिवहन यान के उपयोग से उद्भूत होने वाले ऐसे यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति के लए दायित्व के प्रवर्तन के संबंध में अ धरो पत शर्त पर नकाराने या दायित्व को प्रतिबं धत के लए है, के अधीन बनाई गई स्कीम के अंतर्गत अनुज्ञप्त परिवहन यान में यात्री के परिवहन हेतु कसी सं वदा को शून्य कया जा सके ।

खंड 34--परिवहन समूहक को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लए अ धनियम की धारा 93 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 35--अ धनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लए है जिससे अध्याय 5 के अधीन बनाई गई स्कीम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने से संबं धत कोई प्रश्न ग्रहण करने या व्यादेश जारी करने के लए स वल न्यायालयों की अ धकारिता को बेदखल कया जा सके ।

खंड 36--अध्याय 5 में प्रस्ता वत संशोधन के परिणामस्वरूप अ धनियम की धारा 96 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 37--मोटर यानों के सन्निर्माण, उपस्कर और रखरखाव के मानकों के प्रवर्तन के लए अ धनियम की धारा 110 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 38--अ धनियम में नए उपबंधों अर्थात् धारा 110क और धारा 110ख के अंत:स्थापन के लए है, जो केंद्रीय सरकार को ऐसे यानों को वापस बुलाने के लए सशक्त करती है, जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं और साथ ही वह इस नि मत्त नियम बनाने के लए भी सशक्त करती है । धारा 110ख कस्म--अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी कए जाने और मोटर यानों के परीक्षण के लए परीक्षण अ भकरणों को स्था पत तथा उनका वनियमन करने के लए और

कस्म--अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने तथा केंद्रीय सरकार द्वारा इस नि मत्त नियम बनाए जाने के लए उपबंध करने के लए है ।

खंड 39--अ धनियम की धारा 114 का संशोधन करने के लए है जिससे राज्य सरकारों को इस धारा हेतु कसी अ भकरण को प्रवर्तन अ भकरण के रूप में पदा भहित करने के लए समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 40--अ धनियम की धारा 116 का संशोधन करने के लए है जिससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा धकरण को राजमार्गों और राजमार्गों तक ले जाने वाली सड़कों हेतु यातायात संबंधी चह्नों का सन्निर्माण करने में समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 41--अ धनियम की धारा 117 का संशोधन करने के लए है जिससे मोटर यानों हेतु पा र्कंग सु वधाओं को स्था पत कया जा सके ।

खंड 42--अ धनियम की धारा 129 को प्रतिस्था पत करने के लए है । नई धारा 129 चार वर्ष से कम आयु के बालकों को इस उपबंध की परि ध से छूट प्रदान करती है और केंद्रीय सरकार को चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त उपायों के लए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।

खंड 43--बेहतर समारियों की संरक्षा के लए अ धनियम में नई धारा 134क अंत:स्था पत करने के लए है ।

खंड 44--अ धनियम की धारा 135 का संशोधन करने के लए है जिससे राज्य सरकारों को ऐसी कन्हीं सु वधाओं के लए, जिन्हें वे जनता के हित में उ चत समझती हैं, स्कीमें बनाने के लए सशक्त करती है । यह केंद्रीय सरकार को भी सड़क दुर्घटनाओं के गहन अध्ययन और वश्लेषण के लए स्कीमें बनाने हेतु सशक्त करती हैं ।

खंड 45--अ धनियम में नई धारा 136क अंत:स्था पत करने के लए है जिससे इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन को अनुज्ञात कया जा सके ।

खंड 46--अध्याय 8 में प्रस्ता वत संशोधनों के परिणामस्वरूप अ धनियम की धारा 137 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 47--अ धनियम की धारा 137का संशोधन करने के लए है जिससे राज्यों को पैदल चलने वाले व्यक्तियों और गैर--मोटरीकृत परिवहन का वनियमन करने के लए सशक्त कया जा सके ।

खंड 48--अ धनियम के अध्याय 10 का लोप करने के लए है क्यों क बिना बिना कसूर दायित्व से संबं धत उपबंधों को नए अध्याय 11 की धारा 164 के अधीन उपबं धत कया गया है ।

खंड 49--मूल अ धनियम के अध्याय 11 के स्थान पर एक नया अध्याय 11 रखने के लए है । इस अध्याय का उद्देश्य मोटर यानों के लए पर--पक्षकार बीमा को सरल बनाना है । यह केंद्रीय सरकार को ऐसी कसी पा लसी के लए प्री मयम और बीमाकर्ता के तत्स्थानी दायित्व को वहित करने के लए सशक्त करता है । यह बिना कसूर दायित्व के आधार पर प्रतिकर, स्व र्णम समय के दौरान दुर्घटना पी ड़तों के लए उपचार हेतु स्कीम के लए उपबंध करता है और साथ ही दुर्घटना के पी ड़त व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्रतिकर की रा श में

मृत्यु की दशा में दस लाख रुपए और घोर उपहति की दशा में पांच लाख रुपए की सीमा तक वृ द्ध के लए उपबंध करता है । यह अध्याय दावाकर्ताओं को दिए जाने वाले अंतरिम अनुतोष के लए स्कीम हेतु भी उपबंध करता है ।

खंड 50--अध्याय 10 और अध्याय 11 में प्रस्ता वत संशोधनों के परिणामस्वरूप अ धनियम की धारा 165 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 51--अ धनियम की धारा 166 का संशोधन करने के लए है जिससे यह सुनिश्चित कया जा सके क दावाकर्ता की मृत्यु पर प्रतिकर के कसी दावे का उपशमन नहीं होगा और वह उसके व धक प्रतिनि धयों द्वारा जारी रखा जा सकेगा ।

खंड 52--अध्याय 10 और अध्याय 11 में प्रस्ता वत संशोधन के परिणामस्वरूप अ धनियम की धारा 168 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 53--अ धनियम की धारा 169 का संशोधन करने के लए है जिससे दावा अ धकरणों को, उसके द्वारा पारित कसी डक्री के निष्पादन के संबंध में कसी स वल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जा सकें ।

खंड 54--अध्याय 10 और अध्याय 11 में प्रस्ता वत संशोधन के परिणामस्वरूप अ धनियम की धारा 170 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 55--अ धनियम की धारा 173 का संशोधन करने के लए है जिससे दावा अ धकरण के वनिश्चय के वरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जाने वाली कसी अपील के लए अपे क्षत ववादित रकम में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 56--अ धनियम की धारा 177 का संशोधन करने के लए है जिससे साधारण शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 57--अ धनियम में नई धारा 177क को अंतःस्था पत करने के लए है जिससे सड़क वनियमों और अ धनियम की धारा 118 के अधीन बनाए गए अन्य वनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लए शास्तियों हेतु उपबंध कया जा सके ।

खंड 58--अ धनियम की धारा 178 का संशोधन करने के लए है जिससे बिना पास या टिकट के यात्रा करने हेतु शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 59--अ धनियम की धारा 179 का संशोधन करने के लए है जिससे आदेशों की अवज्ञा, उसमें बाधा डालने आदि के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 60--अ धनियम की धारा 180 का संशोधन करने के लए है जिससे अप्रा धकृत व्यक्तियों को यानों का चालन करने के लए अनुज्ञा देने के लए शास्ति में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 61--मूल अ धनियम की धारा 181 का संशोधन करने के लए है । यह अ धनियम की धारा 3 और 4 के उल्लंघन में यानों का चालन करने के लए शास्ति में वृ द्ध करता है ।

खंड 62--अ धनियम की धारा 182 का संशोधन करने के लए है जिससे अनुज्ञप्तियों से संबं धत अपराधों के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 63--अ धनियम की धारा 182क का संशोधन करने के लए है जिससे मोटर यान के

विनिर्माताओं, आयातकर्ताओं, व्यौहारियों और स्वा मयों द्वारा अध्याय 7 के उपबंधों के उल्लंघन के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके । यह खंड अ धनियम में एक नई धारा 182ख को अंत:स्था पत करने का प्रस्ताव करता है जिससे बड़े आकार वाले यानों के रजिस्ट्रीकरण और उन्हें उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लए शास्ति का उपबंध कया जा सके ।

खंड 64--अ धनियम की धारा 183 का संशोधन करने के लए है जिससे अत्य धक गति से यान चलाने के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके और मोटर यानों के भन्न-- भन्न वर्गों के लए भन्न-- भन्न शास्तियों का उपबंध कया जा सके ।

खंड 65--अ धनियम की धारा 184 का संशोधन करने के लए है जिससे खतरनाक ढंग से यान चलाने के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके । यह खंड एक स्पष्टीकरण को अंत:स्था पत करने के लए भी है, जिससे ऐसे करणों के उदाहरण दिए गए हैं, जिनके बारे में यह समझा जाएगा क वे जनता के लए खतरनाक ढंग से यान का चलाया जाना है, जैसे क लाल बत्ती को तोड़ना, कसी रुकने के चह्न का उल्लंघन करना, चालन करते समय हाथ में धारण की जाने वाली संसूचना युक्तियों का उपयोग करना, व ध का उल्लंघन करते हुए कसी मोटर यान से आगे निकलना या उसे पीछे छोड़ना, आदि ।

खंड 66--अ धनियम की धारा 185 का संशोधन करने के लए है जिससे अल्कोहल या मादक द्रव्य के प्रभाव में चालन करने के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 67--अ धनियम की धारा 186 का संशोधन करने के लए है जिससे उस समय यान का चालन करने के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके, जब मान सक या शारीरिक रूप से चालन करने के लए उपयुक्त न हों ।

खंड 68--अ धनियम की धारा 187 का संशोधन करने के लए है जिससे दुर्घटना से संबं धत अपराधों के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 69--अ धनियम की धारा 189 का संशोधन करने के लए है जिससे यानों की दौड़ लगाने और गति की परीक्षा के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 70--अ धनियम की धारा 190 का संशोधन करने के लए है जिससे असुर क्षत परिस्थितियों में यान का उपयोग करने के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 71--अ धनियम की धारा 191 का लोप करने के लए है, जो अ धनियम के उल्लंघन में यान का वक्रय करने या यान की स्थिति में परिवर्तन करने से संबं धत है ।

खंड 72--अ धनियम की धारा 192 का संशोधन करने के लए है जिससे यह उपबंध कया जा सके क उपयुक्तता प्रमाणपत्र से संबं धत उपबंधों के उल्लंघन में कसी मोटर यान के उपयोग के बारे में यह समझा जाएगा क वह ऐसे यान का उपयोग है, जो अ धनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है और वह उसी रीति में दंडनीय होगा ।

खंड 73--अ धनियम की धारा 192क का संशोधन करने के लए है जिससे धारा 66 के उल्लंघन में कसी परिवहन यान के उपयोग के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके ।

खंड 74--अ धनियम में नई धारा 192ख का अंत:स्थापन करने के लए है जो, यथास्थिति, कसी स्वामी या व्यौहारी पर, रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन करने में असफल रहने और तथ्यों या दस्तावेजों के मथ्या व्यपदेशन के लए शास्ति अ धरो पत करने का उपबंध

करती है ।

खंड 75--अ धनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लए है जिससे अ भकर्ताओं और पक्ष प्रचारकों के लए शास्तियों में वृ द्ध की जा सके और इस अ धनियम के उपबंधों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लए समूहकों हेतु शास्तियों का उपबंध कया जा सके ।

खंड 76--अ धनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लए है ता क अनुज्ञेय भार से अ धक के यानों को चलाने के लए शास्तियों को बढ़ाया जा सके । यह ये भी उपबंध करने के लए है क कसी मोटर यान को अ धक भार को हटाए जाने से पूर्व चलाने के लए अनुज्ञात नहीं कया जाएगा ।

खंड 77--अ धनियम में नई धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ और धारा 194च अंत:स्था पत करने के लए है । धारा 194क रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रा धकृत यात्रियों से अ धक के वहन के लए शास्ति अ धरो पत करती है । धारा 194ख सुरक्षा बेल्ट को न पहनने वाले व्यक्तियों पर और बालकों को सुर क्षत रीति में न बढ़ाने पर शास्ति अ धरो पत करती है । धारा 194ग कसी मोटर साइ कल पर चालक सहित दो से अ धक व्यक्तियों के वहन पर शास्ति अ धरो पत करती है । खंड 194घ मोटर साइ कल चलाते समय या उसकी सवारी करते समय सर का सुरक्षा पहनावा नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर शास्ति अ धरो पत करती है । धारा 194ङ कसी आपात स्थिति यान को रास्ता प्रदान करने के लए सड़क के एक तरफ होने में असफलता के लए शास्ति अ धरो पत करती है । धारा 194च कसी मोटर यान को चलाते समय अनावश्यक रूप से हार्न बजाने के लए शास्ति अ धरो पत करती है ।

खंड 78-- कसी अपराधी द्वारा जुर्माना अ धरो पत करने के लए ववेका धकार का उन्मूलन करने के लए अ धनियम की धारा 195 का लोप करने के लए है ।

खंड 79-- कसी ऐसे मोटर यान को, जिसका बीमा नहीं है, चलाने के लए शास्तियों को बढ़ाने के लए अ धनियम की धारा 196 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 80--बिना प्रा धकार के कसी मोटर यान को लेने के लए शास्तियों को बढ़ाने के लए अ धनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 81-- कसी मोटर यान के साथ अप्रा धकृत छेड़छाड़ करने के लए शास्तियों को बढ़ाने के लए अ धनियम की धारा 198 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 82-- कसी कशोर द्वारा इस अ धनियम के अधीन कारित कसी अपराध के लए यथास्थिति, यान के अ भरक्षक या स्वामी के दायित्व के लए नई धारा 199क अंत:स्था पत करने के लए है ।

खंड 83--अ धनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लए है ता क अ धनियम के अधीन कतिपय अपराधों के शमन के लए, जिसके अंतर्गत कसी अपराध के शमन के लए सामुदायिक सेवा एक शर्त है, का उपबंध कया जा सके ।

खंड 84--यातायात के निर्बाध प्रवाह में बाधा कारित करने के लए शास्तियों को बढ़ाने के लए अ धनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लए है ।

खंड 85--अ धनियम की धारा 206 का संशोधन करने के लए है ता क पु लस

अ धकारियों को कतिपय अपराधों, जैसे खतरनाक तरीके से चलाना आदि (धारा 184) के अ भयुक्त व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति को परिरुद्ध करने के लए और उसे अ धनियम की धारा 19 के अधीन निरर्हता कार्यवाहियों के लए अग्रे षत करने के लए सशक्त करने के लए है ।

खंड 86--अ धनियम में नए उपबंध अर्थात् धारा 210क और धारा 210ख अंत:स्था पत करने के लए है । धारा 210क राज्य सरकारों को व भन्न जुर्मानों को व भन्न बहुगुणक लागू करने के लए सशक्त करती है और ऐसे बहुगुणक मोटर यानों के व भन्न वर्गों के लए व भन्न हो सकेंगे । धारा 210ख अ धनियम में अन्यथा उपबं धत जुर्माने के दुगने को अ धरो पत करने के लए है जहां कोई अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कया जाता है, जिसे अ धनियम को प्रवृत्त करना सौंपा गया है ।

खंड 87--अ धनियम में नई धारा 211क अंत:स्था पत करने के लए है ता क इस अ धनियम के अधीन सभी दस्तावेजों, प्ररूपों और आवेदनों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वहित कए जाने वाले इलैक्ट्रानिक प्ररूप में, जो लागू हो, भरा जा सके ।

खंड 88--अ धनियम की धारा 212 का धारा 210क के अधीन की जाने वाली अ धसूचनाओं को वधायी अनुमोदन के लए राज्य वधान मंडल के समक्ष रखने का उपबंध करने के लए है ।

खंड 89--अ धनियम में नए उपबंध, अर्थात् धारा 215क, धारा 215ख और धारा 215ग अंत:स्था पत करने के लए है । धारा 215क केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को कसी शक्ति या कृत्य को कसी व्यक्ति या समूह को प्रत्यायोजित करने और ऐसे व्यक्ति या समूह को अ धनियम के अधीन प्रदत्त कसी शक्ति, कृत्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लए समर्थ बनाती है । धारा 215ख इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को अनुदत्त नियम बनाने की शक्तियों को प्रग णत करती है । धारा 215ग इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार को अनुदत्त नियम बनाने की शक्तियों को प्रग णत करती है ।

वत्तीय ज्ञापन

मोटर यान (संशोधन) वधेयक, 2016 का खंड 49 अ धनियम में नई धारा 164(ख) अंत:स्था पत करने के लए है, जो सड़क दुर्घटनाओं के पी ड़तों के लए आपातकालीन च कत्सा उपचार के प्रयोजनों के लए सभी सड़क उपयोक्ताओं के अनिवार्य बीमा से संबं धत मोटर यान दुर्घटना नि ध को स्था पत करने हेतु उपबंध करती है । इस नि ध का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं के पी ड़त व्यक्तियों और उनके कुटुंबों को प्रतिकर उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लए भी कया जा सकेगा ।

2. इस नि ध से होने वाले व्यय की पूर्ति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन बजट संबंधी उपबंधों के माध्यम से भारत की सं चत नि ध और अन्य स्रोतों से, जैसे क कर या उपकर या अन्यथा, जैसा क केंद्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए, की जा सकेगी ।

3. अपे क्षत नि धयों की मात्रा, मोटर यान दुर्घटना नि ध के माध्यम से कए जाने वाले क्रयाकलापों और उसकी ब्यौरेवार संरचना पर निर्भर करेगी और प्रतिकर की सीमाएं वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वहित की जाएं । अत:, वत्तीय ववक्षाओं की मात्रा को अभी तय नहीं कया जा सकता ।

4. वधेयक में भारत की सं चत नि ध से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्व लत नहीं है ।

प्रत्यायोजित वधान के बारे में ज्ञापन

वधेयक का खंड 14 अ धनियम की धारा 27 को संशो धत करने के लए है, जो केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 2 के अधीन नियम बनाने के लए सशक्त करता है । वे वषय, जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे, में (क) वह प्ररूप और रीति, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन निर्गम है, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्रा धकारी शक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा ; (ख) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के मालों के वहन के लए यातायात यानों को चलाने के लए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए शर्तें ; (ग) चालन पुनश्चर्या प्र शक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति और पाठ्यचर्या ; और (घ) चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर शा मल है ।

2. वधेयक का खंड 26 अ धनियम की धारा 64 को संशो धत करने के लए है, ता क केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 4 के अधीन नियम बनाने के लए सशक्त करता है । वे वषय, जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे, में (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की व धमान्यता की अव ध ; (ख) यानों के व भन्न वर्गों के प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की अव ध ; (ग) रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी प्रमाणपत्र का निर्गम और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चह्न का प्ररूप ; और (घ) परिवर्तनों और पुन:सज्जीकरण के अनुमोदन के लए शर्तें शा मल हैं ।

3. वधेयक का खंड 36 अ धनियम की धारा 96 को संशो धत करने के लए है, जो केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 5 के अधीन नियम बनाने के लए सशक्त करता है । वे वषय, जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे, में (क) राज्य सरकारों द्वारा मालों और यात्रियों के परिवहन के लए स्कीमें बनाना ; और (ख) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सु वधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी कराया और भीड़भाड़ का निवारण शा मल हैं ।

4. वधेयक का खंड 38 अ धनियम की धारा 110 को संशो धत करने के लए है, जो केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 7 के अधीन नियम बनाने के लए सशक्त करता है । वे वषय, जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे, में (क) संघटकों की वरचना, जिसके अंतर्गत साफ्वेयर संघटक ; और (ख) धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों की अननुपालना की जांच शा मल हैं ।

5. वधेयक का खंड 39 अ धनियम में नई धारा 110क अंत:स्था पत करने के लए है, जो केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 7 के अधीन कस्म अनुमोदन प्रमाणपत्र और उक्त अध्याय के अधीन जांच अ भकरणों को वनिय मत करने के लए सशक्त करता है ।

6. वधेयक का खंड 43 अ धनियम में नई धारा 134क अंत:स्था पत करने के लए है, जो केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 8 के अधीन नेक व्यक्तियों के संरक्षण के लए नियम बनाने के लए सशक्त करता है ।

7. वधेयक का खंड 46 अ धनियम की धारा 137 को संशो धत करने के लए है, जो केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 8 के अधीन नियम बनाने के लए सशक्त करता

है । वे वषय, जिनके संबंध में, अन्य बातों के साथ, नियम बनाए जा सकेंगे, में (क) मोटरसाइ कलों की सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु के बालकों के लए सुरक्षा उपायों के मानकों का उपबंध करना ; (ख) उन शहरों के लए मानदंड, जहां इलैक्ट्रानिकी मानीटरी और प्रवर्तन का कार्यान्वयन कया जाना है ; (ग) इलैक्ट्रानिकी मानीटरी और प्रवर्तन का उपबंध करना शा मल हैं ।

8. वधेयक का खंड 47 अ धनियम की धारा 138 को संशो धत करने के लए है, जो केंद्रीय सरकार को अ धनियम के अध्याय 8 के अधीन गैर मोटरीकृत यातायात, अर्थात् मानव या प्रा णयों की शारीरिक शक्ति द्वारा नोदित यानों और सार्वजनिक स्थानों पर पैदल यात्रियों के वनिय मत करने के लए नियम बनाने के लए सशक्त करता है ।

9. वधेयक का खंड 49 केंद्रीय सरकार को पर पक्षकार के वरुद्ध मोटर यानों के बीमें से संबं धत प्रतिस्था पत अध्याय 11 के अधीन नियम बनाने के लए सशक्त करने का प्रस्ताव करने के लए है ।

10. वधेयक का खंड 89 केंद्रीय सरकार को प्रस्ता वत वधान के उपबंधों को पूरा करने के लए नियम बनाने के लए सशक्त करने का प्रस्ताव करने के लए है । वे वषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, को अ धनियम की प्रस्ता वत नई धाराओं अर्थात् धारा 215ख और धारा 215ग में प्रग णत कया गया है ।

उपाबंध

मोटर यान अ धनियम, **1988** (**1988** का अ धनियम संख्यांक **59**) से उद्धरण

*　　　*　　　*　　　*　　　*

परिभाषाएं ।

2. इस अ धनियम में, जब तक क संदर्भ से अन्यथा अपे क्षत न हो,—

(1) इस अ धनियम के कसी उपबंध के संबंध में "क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अ भप्रेत है जिसे राज्य सरकार, उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा, वनिर्दिष्ट करे ;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

(18) "अशक्त यात्री गाड़ी" से ऐसा मोटर यान अ भप्रेत है जो कसी शारीरिक खराबी या निःशक्तता पी ड़त कसी व्यक्ति के उपयोग के लए वशेष रूप से परिकल्पित तथा नि र्मत है, केवल अनुकू लत नही है, और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लए ही कया जाता है ;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

(24) "मध्यम यात्री मोटर यान" से ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शक्षा संस्था बस अ भप्रेत है जो मोटर साइ कल, अशक्त यात्री गाड़ी, हल्का मोटर यान या भारी यात्री मोटर यान से भन्न है ;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

(26) "मोटर कार" से परिवहन यान, बस, रोड-रोलर, ट्रैक्टर, मोटर साइ कल या अशक्त यात्री गाड़ी से भन्न कोई मोटर यान अ भप्रेत है ;

*　　　*　　　*　　　*　　　*

शक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना ।

8. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन मोटर यान चलाने के लए निरर्हित नहीं है और जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अ भप्राप्त करने के लए निर्हित नहीं है, धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने के लए उस अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अ धकारिता ऐसे क्षेत्र पर है—

*　　　*　　　*　　　*　　　*

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे तथा ऐसी फीस होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ च कत्सा प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में संलग्न होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए और उस पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत च कत्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर कए जाएंगे, जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत कोई व्यक्ति, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लए नियुक्त करे :

परन्तु कसी परिवहन यान से भन्न कसी यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लए ऐसा च कत्सा-प्रमाणपत्र अपे क्षत नहीं है ।

(4) यदि आवेदन से या उपधारा (3) में निर्दिष्ट च कत्सा-प्रमाणपत्र से यह प्रतीत होता है क आवेदक कसी ऐसे रोग या ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे उसके द्वारा उस वर्ग के मोटर यान का चलाया जाना जिसे चलाने के लए वह उस शक्षार्थी चालन अनुज्ञप्ति द्वारा, जिसके लए आवेदन कया गया है, प्रा धकृत हो जाएगा, जनता या यात्रियों के लए खतरनाक हो सकता है तो अनुज्ञापन प्रा धकारी शक्षार्थी चालन अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर देगा :

परन्तु यदि अनुज्ञापन प्रा धकारी का समाधान हो जाता है क आवेदक अशक्त यात्री गाड़ी चलाने के लए ठीक हालत में है तो आवेदक को अशक्त यात्री गाड़ी चलाने तक सी मत शक्षार्थी अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी ।

(5) कसी भी आवेदक को कोई शक्षार्थी अनुज्ञप्ति तक तक नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुज्ञापन प्रा धकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए ।

* * * * *

चालन-अनुज्ञप्ति का दिया जाना ।

9. (1) कोई व्यक्ति, जो उस समय चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अ भप्राप्त करने के लए निरर्हित नहीं है, उसको चालन-अनुज्ञप्ति दिए जाने के लए उस अनुज्ञापन प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अ धकारिता ऐसे क्षेत्र पर है—

* * * * *

(3) यदि आवेदक ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए तो उसे चालन अनुज्ञप्ति दी जाएगी :

परन्तु ऐसा परीक्षण वहां आवश्यक नहीं होगा जहां आवेदक यह द र्शत करने के लए सबूत प्रस्तुत कर देता है क—

(क) (i) आवेदक के पास ऐसे वर्ग के यान को चलाने के लए पहले भी अनुज्ञप्ति थी और उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख तथा ऐसे आवेदन की तारीख के बीच की अव ध पांच वर्ष से अ धक नहीं है, या

(ii) आवेदक के पास ऐसे वर्ग के यान को चलाने के लए धारा 18 के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति है या पहले भी थी, या

(iii) आवेदक के पास भारत के बाहर कसी देश के सक्षम प्रा धकारी द्वारा ऐसे वर्ग के यान को चलाने के लए इस शर्त के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति है क आवेदक धारा 8 की उपधारा (3) के उपबंधों का पालन करता है,

(ख) आवेदक ऐसी कसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं है जिससे उसके द्वारा यान का चलाया जाना चनता के लए खतरनाक हो सकता है ; और अनुज्ञापन प्रा धकारी उस प्रयोजन के लए आवेदक से उसी प्ररूप और उसी रीति से, जो धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, एक च कत्सा-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यह और क जहां आवेदन मोटर यान को (जो परिवहन यान नहीं है) चलाने के लए चालन अनुज्ञप्ति के लए है वहां अनुज्ञापन प्रा धकारी आवेदक को इस उपधारा के अधीन वहित यान को चलाने के लए सक्षमता परीक्षण से छूट दे सकेगा, यदि आवेदक के पास राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त मान्यताप्राप्त कसी संस्था द्वारा दिया गया चालन प्रमाणपत्र है ।

(4) जहां आवेदन कसी परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लए है, वहां कसी आवेदक को तब तक प्रा धकृत नहीं कया जाएगा जब तक क उसके पास ऐसी न्यूनतम शै क्षक अर्हताएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए, और धारा 12 में निर्दिष्ट कसी वद्यालय या स्थापन द्वारा दिया गया कोई चालन-प्रमाणपत्र न हो ।

* * * * *

चालन-अनुज्ञप्ति का प्ररूप और अंतर्वस्तु ।

10. (1) * * * *

(2) यथास्थिति, शक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति में यह भी अ भव्यक्त कया गया होगा क धारक निम्न ल खत वर्गों में से एक या अ धक वर्ग का मोटर यान चलाने का हकदार है, अर्थात् :—

* * * * *

(ग) अशक्त यात्री गाड़ी ;

* * * * *

चालन-अनुज्ञप्ति में परिवर्धन ।

11. (1) कसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो कसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लए चालन-अनुज्ञप्ति को धारण या अ भप्राप्त करने के लए तत्समय निरर्हित नहीं है, उस अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को जोड़ देने के लए उस अनुज्ञापन प्रा धकारी को जिसकी उस क्षेत्र पर अ धकारिता है जिसमें वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।

* * * * *

मोटर यानों का चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना ।

14. (1) * * * *

(2) इस अ धनियम के अधीन दी गई नवीकृत चालन-अनुज्ञप्ति,—

(क) परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में, तीन वर्ष की अव ध तक प्रभावी रहेगी :

परन्तु खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल को ले जाने वाले परिवहन यान को चलाने की अनुज्ञप्ति की दशा में, वह एक वर्ष की अव ध के लए प्रभावी रहेगी और उसका नवीकरण इस शर्त के अधीन होगा क चालक वहित पाठ्य ववरण का एक दिन का पुनश्चर्या पाठ पूरा करेगा ; और

(ख) कसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में,—

(i) यदि उस व्यक्ति ने, जिसने या तो मूल रूप से अनुज्ञप्ति अ भप्राप्त की है या उसका नवीकरण कराया है, यथास्थिति, उसके दिए जाने या नवीकरण की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो—

(अ) अनुज्ञप्ति के दिए जाने या नवीकरण की तारीख से बीस वर्ष की अव ध तक, या

(आ) उस तारीख तक, जिसको ऐसा व्यक्ति पचास वर्ष की आयु प्राप्त करता है,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी रहेगी ।

(ii) यदि उपखंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति ने, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति के दिए जाने या उसका नवीकरण कए जाने की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो ऐसी फीस के संदाय पर, जो वहित की जाए, ऐसी अनुज्ञप्ति उसके दिए जाने या उसका नवीकरण कए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अव ध तक प्रभावी रहेगी :

परन्तु प्रत्येक चालन-अनुज्ञप्ति, इस उपधारा के अधीन उसके समाप्त हो जाने पर भी, ऐसी समाप्ति से तीस दिन की अव ध तक प्रभावी बनी रहेगी ।

15. (1) कोई भी अनुज्ञापन प्रा धकारी उसे आवेदन कए जाने पर कसी चालन अनुज्ञप्ति की, जो इस अ धनियम के उपबंधों के अधीन दी गई हो, उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा : चालन-अनुज्ञप्तियों का नवीकरण ।

परन्तु ऐसी दशा में, जिसमें क चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से तीस दिन के पश्चात् कया गया है, चालन-अनुज्ञप्ति उसके नवीकरण की तारीख से नवीकृत की जाएगी :

परन्तु यह और क जहां आवेदन, परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए है या जहां कसी अन्य दशा में आवेदक ने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वहां उसके साथ धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्ररूप और रीति में च कत्सा प्रमाणपत्र होगा और धारा 8 की उपधारा (4) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी प्रत्येक दशा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे शक्षार्थी अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होते हैं ।

*   *   *   *   *

(3) जहां चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् अ धक से अ धक तीस दिन के भीतर कया गया है वहां ऐसे नवीकरण के लए देय फीस ऐसी होगी जो इस नि मत्त केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए ।

(4) जहां चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीस दिन के पश्चात् कया गया है वहां ऐसे नवीकरण के लए देय फीस वह रकम होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए :

परंतु उपधारा (3) में निर्दिष्ट फीस, इस उपधारा के अधीन चालन-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लए कए गए आवेदन की बाबत अनुज्ञापन प्रा धकारी द्वारा तभी स्वीकार की

जा सकेगी जब उसका यह समाधान हो जाता है क आवेदक उपधारा (3) में वनिर्दिष्ट समय के भीतर उ चत और पर्याप्त कारण से आवेदन नहीं कर पाया था :

परन्तु यह और क यदि चालन-अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से पांच वर्ष से अ धक के पश्चात् आवेदन कया गया है तो अनुज्ञापन प्रा धकारी चालन-अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा, जब तक क आवेदक उस प्रा धकारी के समाधानप्रद रूप में धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण नहीं दे देता और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो जाता ।

* * * * *

अनुज्ञापन प्रा धकारी की, चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने से निरर्हित करने या उसे प्रतिसंहृत करने की शक्ति ।

19. (1) * * * *

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश कया जाता है वहां चालन-अनुज्ञप्ति का धारक, यदि चालन-अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है तो अपनी चालन-अनुज्ञप्ति उस अनुज्ञापन प्रा धकारी को तुरन्त अभ्य र्पत कर देगा जिसने वह आदेश दिया है तथा अनुज्ञापन प्रा धकारी—

* * * * *

परन्तु जहां चालन-अनुज्ञप्ति कसी व्यक्ति को एक से अ धक वर्ग या वर्णन के मोटर यान चलाने के लए प्रा धकृत करती है और उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश उसे कसी वनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान चलाने से निरर्ह करता है वहां अनुज्ञापन प्रा धकारी चालन-अनुज्ञप्ति पर निरर्हता पृष्ठां कत करेगा और उसे धारक को लौटा देगा ।

* * * * *

राज्य चालान-अनुज्ञप्ति रजिस्टरों को रखा जाना ।

26. (1) प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कया जाए, राज्य सरकार के अकुलायन प्रा धकारियों द्वारा दी गई और नवीकृत चालन-अनुज्ञप्तियों की बाबत एक रजिस्टर रखेगी जो राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर के रूप में ज्ञात होगा और उसमें निम्न ल खत व शष्टियां अन्त र्वष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) चालन-अनुज्ञप्तियों के धारकों के नाम और पते ;

(ख) अनुज्ञप्ति संख्यांक ;

(ग) अनुज्ञप्तियों के दिए जाने या नवीकरण की तारीख ।

(घ) अनुज्ञप्तियों की समाप्ति की तारीख ;

(ङ) यानों के वर्ग और प्रकार जो चलाए जाने के लए प्रा धकृत कए गए हैं ; और

(च) ऐसी अन्य व शष्टियां, जो केन्द्रीय सरकार वहित करे ।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टर की मुद्रित प्रति या ऐसे अन्य प्ररूप में प्रति, जिसकी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे] केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त करेगी और ऐसे रजिस्टर में समय-समय पर कए गए सभी परिवर्तनों और अन्य संशोधनों के बारे में अ वलंब केंद्रीय सरकार को सू चत करेगी ।

*   *   *   *   *

रजिस्ट्रीकरण कहां कया जाना है ।

40. धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अ धकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां क यान आमतौर पर रखा जाता है ।

रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है ।

41. (1)   *   *   *   *

(3) रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर कया हो, स्वामी को, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में देगा और उसमें ऐसी व शष्टियां और जानकारी दी हुई होगी और वह ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए ।

*   *   *   *   *

(7) इस अ धनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् परिवहन यान से भन्न मोटर यान के बारे में उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, इस अ धनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से केवल पंद्रह वर्ष की अव ध तक व धमान्य रहेगा और उसका नवीकरण कया जा सकेगा ।

(8) परिवहन यान से भन्न मोटर यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लए आवेदन ऐसी अव ध के भीतर और ऐसे प्ररूप में कया जाएगा और उसमें ऐसी व शष्टियां और जानकारी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाए ।

*   *   *   *   *

(10) धारा 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी उपधारा (8) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण पांच वर्ष की अव ध के लए कर सकेगा और उस तथ्य की सूचना, यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी नहीं है तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को देगा ।

(11) यदि स्वामी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन आवेदन वहित कालाव ध के भीतर करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वामी से, उस कार्रवाई के बदले जो धारा 177 के अधीन उसके वरुद्ध की जाए, एक सौ रुपए से अन धक उतनी रकम का जो उपधारा (13) के अधीन वहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु धारा 177 के अधीन कार्रवाई स्वामी के वरुद्ध तब की जाएगी जब स्वामी उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहा हो ।

(12) जहां स्वामी ने उपधारा (11) के अधीन रकम का संदाय कर दिया हो, वहां धारा 177 के अधीन कोई कार्रवाई उसके वरुद्ध नहीं की जाएगी ।

(13) उपधारा (11) के प्रयोजनों के लए, राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन करने में स्वामी की ओर से हुए वलंब की अव ध को ध्यान में रखते हुए भन्न-भन्न रकमें वहित कर सकेगी ।

* * * * *

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण ।

43. (1) धारा 40 में कसी बात के होते हुए भी, कसी मोटर यान का स्वामी वहित रीति से यान को अस्थायी रूप में रजिस्टर कराने के लए और वहित रीति से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चह्न दिए जाने के लए कसी रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी अथवा अन्य वहित प्रा धकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन कया गया रजिस्ट्रीकरण, अ धक से अ धक एक मास की अव ध के लए व धमान्य होगा, और नवीकरणीय नहीं होगा :

परन्तु जहां इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर यान चे सस है जिसमें कोई बाडी नहीं लगाई गई है और जिसमें बाडी लगाने के लए या स्वामी के नियंत्रण के बाहर अकल्पित परिस्थितियों में उसे कर्मशाला में एक मास की उक्त अव ध से आगे रखा जाता है वहां ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो वहित की जाए देने पर उस अव ध को इतनी अतिरिक्त अव ध या अव धयों तक बढ़ाया जा सकेगा जो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी या अन्य वहित प्रा धकारी अनुज्ञात करे ।

(3) उस दशा में जिसमें मोटर यान अवक्रय करार, प ` या आडमान के अधीन धारित है रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी या अन्य वहित प्रा धकारी ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र देगा जिसमें उस व्यक्ति का, जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार कया है, पूरा नाम और पता सुपाठ्य और प्रमुख रूप में दिया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण के समय यान का पेश कया जाना ।

44. रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी कसी मोटर यान को रजिस्टर करने के संबंध में या परिवहन यान से भन्न मोटर यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पूर्व उस व्यक्ति से जिसने, यथास्थिति, उस यान के रजिस्ट्रीकरण के लए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लए आवेदन कया है, यह अपेक्षा करेगा क वह उस यान को या तो स्वयं उसके समक्ष अथवा ऐसे प्रा धकारी के समक्ष पेश करे जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नियुक्त करे जिससे रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी अपना यह समाधान कर सके क आवेदन में दी हुई व शष्टियां सही हैं और वह यान इस अ धनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है ।

* * * * *

निवास स्थान या कारबार के स्थान का परिवर्तन ।

49. (1) यदि कसी मोटर यान का स्वामी उस स्थान पर, जिसका पता यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अ भ ल खत है, निवास करना छोड़ देता है या अपने कारबार का स्थान बंद कर देता है तो वह अपने पते के ऐसे कसी परिवर्तन के तीस दिन के अंदर अपने पते की सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित कए जाएं उस रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणप्रत्र दिया था या यदि नया पता कसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी की अ धकारिता के भीतर है तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को देगा तथा उसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को भी, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी या अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को भेज देगा जिससे नया पता उसमें प्र वष्ट कया जा सके ।

(2) यदि मोटर यान का स्वामी संबंद्ध रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को अपने नए पते की सूचना उपधारा (1) में वनिर्दिष्ट अव ध के भीतर देने में असफल रहते है तो रजिस्ट्रीकर्ता

प्रा धकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वामी से उस कार्रवाई के बदले में, जो धारा 177 के अधीन उसके वरुद्ध की जाए, एक सौ रुपए से अन धक उतनी रकम का, जो उपधारा (4) के अधीन वहित की जाए, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु धारा 177 के अधीन स्वामी के वरुद्ध कार्रवाई तभी की जाएगी जब वह उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है ।

* * * * *

मोटर यान में परिवर्तन ।

52. (1) मोटर यान का कोई स्वामी, यान में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अंत र्वष्ट व शष्टियां उन व शष्टियों से भन्न हों, जो वनिर्माता द्वारा मूल रूप से वनिर्दिष्ट की गई हों :

परन्तु जहां मोटर यान का स्वामी, भन्न प्रकार के ईंधन या ऊर्जा के स्त्रोत से, जिसके अंतर्गत बैटरी, संपी ड़त प्राकृतिक गैस, सौर शक्ति, द्रवीकृत पेट्रो लयम गैस या कोई अन्य ईंधन या ऊर्जा का कोई स्रोत भी है, प्रचालन को सुकर बनाने के लए मोटर यान के इंजन या उसके कसी भाग में उपान्तरण, संपरिवर्तन कट लगाकर करता है वहां ऐसा उपान्तरण ऐसी शर्तों के अधीन कया जाएगा, जो वहित की जाएं :

परन्तु यह और क केन्द्रीय सरकार ऐसे संपरिवर्तन कटों के लए वनिर्देश, अनुमोदनार्थ शर्तें, पश्चरूपांतरण या अन्य संब धत वषय वहित कर सकेगी :

परन्तु यह भी क केन्द्रीय सरकार कसी वनिर्दिष्ट प्रयोजन के लए ऊपर वनिर्दिष्ट रीति से भन्न रीति में यानों में परिवर्तन के लए छूट प्रदान कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में कसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जो कम-से-कम दस परिवहन यानों का स्वामी है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अ धसूचना में वनिर्दिष्ट की जाएं, अपने स्वा मत्वाधीन कसी यान में ऐसा परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे सकेगी जिससे क वह रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी के अनुमोदन के बिना उसके इंजन को उसी मेक और उसी प्रकार के इंजन से बदल सके ।

(3) जहां कसी मोटर यान में कोई परिवर्तन रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी के अनुमोदन के बिना या उपधारा (2) के अधीन कसी ऐसे अनुमोदन के बिना उसका इंजन बदलने के कारण कया गया है वहां यान का स्वामी ऐसा परिवर्तन कए जाने के चौदह दिन के भीतर परिवर्तन की रिपोर्ट उस रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को करेगा जिसकी अ धकारिता के भीतर वह निवास करता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को वहित फीस के साथ उस प्रा धकारी को भेजेगा जिससे उसमें रजिस्ट्रीकरण की व शष्टियां प्र वष्ट की जा सकें ।

* * * * *

परिवहन यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र ।

56. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट “प्रा धकृत परीक्षण केन्द्र” से ऐसा यान स र्वस केन्द्र या पब्लिक या प्राइवेट गैरेज अ भप्रेत है जिसे राज्य सरकार, ऐसे केन्द्र या गैरेज के प्रचालक के अनुभव, प्र शक्षण और योग्यता को और उसके परीक्षण उपस्कर तथा परीक्षण का र्मकों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों या गैरेजों के वनियमन और नियंत्रण

के लए बनाए गए नियमों के अनुसार, वनिर्दिष्ट करे ।

*   *   *   *   *

(4) वहित प्रा धकारी ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध कए जाएंगे, कसी भी समय रद्द कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है क जिस यान के संबंध में वह प्रमाणपत्र है वह अब इस अ धनियम की और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, और ऐसे रद्द कए जाने पर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की और यान के बारे में अध्याय 5 के अधीन दिए गए पर मट की बाबत यह समझा जाएगा क वह तब तक के लए निलंबित कर दिया गया है जब तक ठीक हालत में होने का नया प्रमाणपत्र अ भप्राप्त नहीं कर लया जाता ।

परन्तु ऐसा रद्दकरण कसी वहित प्रा धकारी द्वारा तभी कया जाएगा जब ऐसा वहित प्रा धकारी ऐसी तकनीकी अर्हता धारित करता है, जो वहित की जाए, या जहां वहित प्रा धकारी ऐसी तकनीकी अर्हता धारित नहीं करता है वहां ऐसी अर्हताएं रखने वाले कसी अ धकारी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कया जा सकेगा ।

*   *   *   *   *

राज्य मोटर यान संबंधी रजिस्टरों का रखा जाना ।

63. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार वहित करे, राज्य मोटर यान रजिस्टर के रूप में ज्ञात एक रजिस्टर उस राज्य में के मोटर यानों की बाबत रखेगी जिसमें निम्न ल खत व शष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ;

(ख) वनिर्माण का वर्ष ;

(ग) वर्ग और प्रकार ;

(घ) रजिस्ट्रीकृत स्वा मयों के नाम और पते ; और

(ङ) ऐसी अन्य व शष्टियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वहित की जाएं ।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को यदि वह ऐसी वांछा करे राज्य मोटर यान रजिस्टर की एक मुद्रित प्रति देगी और केन्द्रीय सरकार को ऐसे रजिस्टर में समय-समय पर कए गए सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की जानकारी भी अ वलंब देगी ।

*   *   *   *   *

राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति ।

67. (1) राज्य सरकार—

(क) मोटर परिवहन के वकास से जनता, व्यापार और उद्योग को होने वाले फायदों ;

(ख) सड़क और रेल परिवहन में समन्वय करने की वांछनीयता ;

(ग) सड़क प्रणाली का क्षय होने से रोकने की वांछनीयता ; और

(घ) पर मट धारकों के बीच अलाभकर प्रतियो गता को रोकने की वांछनीयता,

को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन प्रा धकरण और प्रादे शक परिवहन प्रा धकरण, दोनों

को, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा, समय-समय पर निम्न ल खत की बाबत निदेश दे सकेगी—

(i) मंजिली-गाड़ी, ठेका-गाड़ी तथा माल-वाहन के लए कराए और माल भाड़े को नियत करना (जिनके अंतर्गत अ धकतम तथा न्यूनतम कराए और माल भाड़े, नियत करना भी है) ;

(ii) ऐसी शर्तों पर, जो ऐसे निदेशों में वनिर्दिष्ट की जाए, साधारणतः लंबी दूरी वाले माल-यातायात का अथवा वनिर्दिष्ट वर्गों के मालों का माल वाहनों द्वारा प्रवहण कए जाने का प्रतिषेध या निर्बन्धन ;

(iii) कोई अन्य वषय जिसकी बाबत राज्य सरकार को यह प्रतीत हो क वह साधारणतः मोटर परिवहन का वनियमन करने और व शष्टतः उसके परिवहन के अन्य साधनों में समन्वय करने तथा लंबी दूरी वाले माल-यातायात के प्रवहण संबंधी कसी करार को, जो केन्द्रीय सरकार या कसी अन्य राज्य सरकार या कसी अन्य देश की सरकार से कया गया हो, प्रभावी करने के लए आवश्यक या समीचीन है :

परंतु खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट वषयों की बाबत ऐसी कोई अ धसूचना तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक प्रस्था पत निदेशों का प्रारूप राजपत्र में वह तारीख वनिर्दिष्ट करते हुए प्रका शत नहीं कर दिया जाता जो ऐसे प्रकाशन के कम से कम एक मास पश्चात् की ऐसी तारीख होगी जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर वचार कया जाएगा और जब तक कसी आक्षेप या सुझाव पर, जो प्राप्त हो, उन व्यक्तियों के, जिनके हित प्रभा वत होते हैं, प्रतिनि धयों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् राज्य परिवहन प्रा धकरण के परामर्श से वचार नहीं कर लया जाता ।

*   *   *   *   *

92. मंजिली-गाड़ी या ठेका गाड़ी में, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन पर मट दिया गया है, यात्री वहन करने की कोई सं वदा वहां तक शून्य होगी जहां तक वह कसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निर्बं धत करने के लए तात्पर्यित है जो उस यात्री के यान में वहन कए जाने, चढ़ने या उससे उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के वरुद्ध दिए गए कसी दावे की बाबत है या कसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्तें अ धरो पत करने के लए तात्पर्यित है । दायित्व का निर्बंधन करने वाली सं वदाओं का शून्यकरण ।

93. कोई भी व्यक्ति— अ भकर्ता या प्रचारक द्वारा अनुज्ञप्ति अ भप्राप्त करना ।

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

114. (1) यदि राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत मोटर यान वभाग के कसी अ धकारी के पास यह वश्वास करने का कारण है क कसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग धारा 113 का उल्लंघन करके कया जा रहा है तो वह ड्राइवर से यह अपेक्षा करेगा क वह यान को तुलवान के वास्ते ऐसे कसी तोलनयंत्र पर, यदि कोई हो, ले जाए जो कसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस कलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गन्तव्य स्थान से बीस यान तुलवाने की शक्ति ।

कलोमीटर की दूरी के अन्दर हो, और यदि ऐसे तुलवाने पर यह पाया जाता है क उस यान ने भार से संबं धत धारा 113 के उपबंधों का कसी प्रकार उल्लंघन कया है तो वह ड्राइवर को ल खत आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा क वह अ धक वजन को अपनी जो खम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए जब तक लदान सहित भार कम नहीं कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्रवाई नहीं कर दी जाती जिससे वह धारा 113 का अनुपालन करे और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ड्राइवर ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

* * * * *

सुरक्षात्मक टोप का पहनना ।

129. कसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइ कल को (साइड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब कसी सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसे वर्णन का सुरक्षात्मक टोप पहनेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानको के अनुरूप हो :

परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो सक्ख है, कसी सार्वजनिक स्थान पर, मोटर साइ कल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है तो इस धारा के उपबन्ध उसे लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और क राज्य सरकार, ऐसे अपवादों के लए, जो वह ठीक समझे, ऐसे नियमों द्वारा, उपबंध कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—"सुरक्षात्मक टोप" से हेलमेट अ भप्रेत है,—

(क) जिसके बारे में उसकी आकृति, सामग्री और बनावट के आधार पर उ चत रूप से यह आशा की जा सकती है क वह कसी मोटर साइ कल के चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति की, कसी दुर्घटना की दशा में, क्षति से कसी सीमा तक सुरक्षा करेगा ; और

(ख) जो पहनने वाले के सर में, टोप में लगे हुए फीतों या अन्य बंधनों से सुर क्षत रूप से बंधा होगा ।

* * * * *

दुर्घटना के मामलों का अन्वेषण करने और मार्गस्थ सुख-सु वधाओं आदि के लए स्कीमें बनाना ।

135. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा, निम्न ल खत के लए उपबंध करने के लए एक या अ धक स्कीमें बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) मोटर यान दुर्घटनाओं के कारणों की बाबत गहन अध्ययन और वश्लेषण ;

(ख) राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख-सु वधाएं ;

(ग) राजमार्गों पर यातायात सहायता चौ कयां ; और

(घ) राजमार्गों पर ट्रकों के खड़ा करने के लए प्रक्षेत्र ।

* * * * *

अध्याय **10**

कुछ मामलों में त्रुटि के बिना दायित्व

त्रुटि न होने के सद्धांत पर कतिपय मामलों में प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व ।

140. (1) जहां मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप कसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता हुई है वहां, यथास्थिति, यान का स्वामी या यानों के स्वामी ऐसी मृत्यु या नि:शक्तता के बारे में प्रतिकर का संदाय इस धारा के उपबंधों के अनुसार संयुक्तत: और पृथक्त: करने के लए दायी होंगे ।

(2) ऐसे प्रतिकर की रकम, जो कसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारा (1) के अधीन संदेय होगी, पचास हजार रुपयों की नियत रा श होगी और कसी व्यक्ति की स्थायी नि:शक्तता के बारे में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम, पच्चीस हजार रुपए की नियत रा श होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लए कसी दावे में दावेदार से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी क वह अ भवाक् दे और यह सद्ध करे क वह मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता जिसके बारे में प्रतिकर का दावा कया है संबं धत यान या यानों के स्वामी या स्वा मयों के या कसी अन्य व्यक्ति के कसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लए दावा, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति के जिसकी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में दावा कया गया है, कसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण वफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जाएगी ।

(5) कसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उपधारा (2) में कसी बात के होते हुए भी, जिसके लए यान का स्वामी अनुतोष के रूप में प्रतिकर देने का दायी है, वह तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का भी दायी होगा :

परन्तु कसी अन्य व ध के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की ऐसी रकम को इस धारा या धारा 163क के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम में से घटा दिया जाएगा ।

मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के लए प्रतिकर का दावा करने के अन्य अ धकार के बारे में उपबंध ।

141. (1) कसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अ धकार इस अ धनियम के कसी अन्य उपबंध के अधीन या तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध के उपबंध के अधीन उसके बारे में प्रतिकर का दावा करने के लए धारा 163क में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दावा करने के अ धकार के सवाय कसी अन्य अ धकार (ऐसे अन्य अ धकार को, इस धारा में इसके पश्चात् त्रुटि के सद्धांत पर अ धकार कहा गया है), के अतिरिक्त होगा ।

(2) कसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लए कोई दावा यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा और जहां ऐसी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में कसी प्रतिकर का दावा धारा 140 के अधीन और त्रुटि के सद्धान्त पर कसी अ धकार के अनुसरण में भी कया गया है वहां धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लए दावा उपरोक्त रूप में पहले निपटाया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में कसी बात के होते हुए भी, जहां कसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लए दायी व्यक्ति त्रुटि के सद्धान्त पर अ धकार के अनुसरण में प्रतिकर का संदाय करने के लए भी दायी है,

वहां इस प्रकार दायी व्यक्ति प्रथम व र्णत प्रतिकर का संदाय करेगा और,—

(क) जहां प्रथम व र्णत प्रतिकर की रकम द् वतीय व र्णत प्रतिकर की रकम से कम है वहां वह (प्रथम व र्णत प्रतिकर के अतिरिक्त) द् वतीय व र्णत प्रतिकर का केवल उतना संदाय करने के लए दायी होगा जो उस रकम के बराबर है जो प्रथम व र्णत प्रतिकर से अ धक हो ;

(ख) जहां प्रथम व र्णत प्रतिकर की रकम द् वतीय व र्णत प्रतिकर की रकम के बराबर या उससे अ धक है वहां वह द् वतीय व र्णत प्रतिकर का संदाय करने के लए दायी नहीं होगा ।

स्थायी नि:शक्तता ।

142. इस अध्याय के प्रयोजनों के लए कसी व्यक्ति की स्थायी नि:शक्तता धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियां हुई हैं जिससे :—

(क) कसी भी नेत्र की दृष्टि का या कसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी वच्छेद या कसी अंग या जोड़ का वच्छेद हुआ है ; या

(ख) कसी अंग या जोड़ की शक्ति का वनाश या उसमें स्थायी कमी आई है, या

(ग) सर या चेहरे का स्थयी वद्रूपण हुआ है ।

1923 के अ धनियम 8 के अ धन कतिपय दावों को इस अध्याय का लागू होना ।

143. इस अध्याय के उपबंध धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की कसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई, कर्मकार प्रतिकर अ धनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन कसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में प्रतिकर के लए कसी दावे के संबंध में भी लागू होंगे और इस प्रयोजन के लए उक्त उपबंध आवश्यक उपांतरणों के साथ उस अ धनियम के भाग माने जाएंगे ।

अध्यारोही प्रभाव ।

144. इस अध्याय के उपबंध इस अ धनियम के या तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध के कसी अन्य उपबंध में कसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

अध्याय **11**

मोटर यानों का पर-व्यक्ति जो खम बीमा

परिभाषाएं ।

145. इस अध्याय में,—

(क) "प्रा धकृत बीमाकर्ता" से वह बीमाकर्ता अ भप्रेत है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अ धनियम, 1972 और उस अ धनियम के अधीन साधारण बीमा कारबार करने के लए प्रा धकृत कसी सरकारी बीमा नि ध के अधीन भारत में तत्समय साधारण बीमा कारबार कर रहा है ; 1972 का 57

(ख) "बीमा प्रमाणपत्र" से वह प्रमाणपत्र अ भप्रेत है जो प्रा धकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा (3) के अनुसरण में दिया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा कवर नोट भी है जो ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, जो वहित की जाए, और जब कसी पा लसी के संबंध में एक से अ धक प्रमाणपत्र दिए गए हैं या प्रमाणपत्र की कोई

प्रति लप दी गई है तब, यथास्थिति, वे सब प्रमाणत्र या वह प्रति लप भी इसके अंतर्गत है ;

(ग) कसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में जहां कहीं भी "दायित्व" का प्रयोग कया गया है, वहां उसके अंतर्गत धारा 140 के अधीन उसके बारे में दायित्व भी हैं ;

(घ) "बीमा पा लसी" के अंतर्गत "बीमा प्रमाणपत्र" भी है ;

(ङ) "संपत्ति" के अंतर्गत मोटर यान में ले जाया जा रहा माल सड़के, पुल, पु लया, काजवे, वृक्ष, स्तंभ तथा मील के पत्थर भी हैं ।

(च) "व्यतिकारी देश" से ऐसा कोई देश अ भप्रेत है ज िसे केंद्रीय सरकार पारस्परिकता के आधार पर इस अध्याय के प्रयोजनों के लए राजपत्र में व्यतिकारी देश के रूप में अ धसू चत करे ;

(छ) "पर-व्यक्ति" के अंतर्गत सरकार भी है ।

146. (1) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटर यान का उपयोग यात्री से भन्न रूप में तभी करेगा या कसी अन्य व्यक्ति से तभी कराएगा या उसे करने देगा जब, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा उस यान के उपयोग के संबंध में ऐसी बीमा पा लसी प्रवृत्त है जो इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, अन्यथा नहीं : पर-व्यक्ति जो खम बीमा के लए आवश्यकता ।

परन्तु कसी खतरनाक या परिसंकटमय माल को वहन करने वाले या वहन करने के लए आशयित यान की दशा में, लोक दायित्व बीमा अ धनियम, 1991 के अधीन बीमा पा लसी होगी ।

स्पष्टीकरण—केवल वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में मोटर यान चलाने वाले व्यक्ति को उस समय जब उस यान के उपयोग के संबंध में ऐसी पा लसी प्रवृत्त नहीं है जैसी इस उपधारा द्वारा अपे क्षत है, इस उपधारा का उल्लंघन करने वाला तभी समझा जएगा जब वह जानता हो या उसके पास यह वश्वास करने का कारण हो क ऐसी कोई पा लसी प्रवृत्त नहीं है, अन्यथा नहीं ।

(2) उपधारा (1) ऐसे कसी यान को लागू न होगी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वा मत्वाधीन है और जिसका उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लए कया जाता है जो कसी वा णज्यिक उद्यम से संबं धत नहीं है ।

(3) समु चत सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे कसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो निम्न ल खत प्रा धकरणों में से कसी के स्वा मत्वाधीन है, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उस दशा में जब उस यान का उपयोग ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लए कया जाता है जो कसी वा णज्यिक उद्यम से संबं धत हो ;

(ख) कोई स्थानीय प्रा धकरण ;

(ग) कोई राज्य परिवहन उपक्रम ;

परंतु कसी ऐसे प्रा धकरण के संबंध में कोई ऐसा आदेश तभी कया जाएगा जब उस

प्रा धकरण के कसी यान के उपयोग से पर-व्यक्ति के प्रति उस प्रा धकरण या उसके नियोजनाधीन कसी व्यक्ति द्वारा उपगत कसी दायित्व की पूर्ति के लए उस प्रा धकरण द्वारा कोई नि ध इस अ धनियम के अधीन उस नि मत्त बनाए गए नियमों के अनुसार स्था पत की गई है और बनाई रखी जाती है ; अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लए "समु चत सरकार" से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अ भप्रेत है, और—

(i) ऐसे कसी निगम या कंपनी के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार या कसी राज्य सरकार के स्वा मत्वाधीन है, केंद्रीय सरकार या वह राज्य सरकार अ भप्रेत है ;

(ii) ऐसे कसी निगम या कंपनी के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार तथा एक या अ धक राज्य सरकारों के स्वा मत्वाधीन है, केंद्रीय सरकार अ भप्रेत है ;

(iii) कसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या कसी स्थानीय प्रा धकरण के संबंध में वह सरकार अ भप्रेत है जिसका उस उपक्रम या प्रा धकरण पर नियंत्रण है ।

पा ल सयों की अपेक्षाएं तथा दायित्व की सीमाएं ।

147. (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लए बीमा पा लसी ऐसी होनी चाहिए, जो—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्रा धकृत बीमाकर्ता है दी गई है ; और

(ख) पा लसी में वनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों का उपधारा (2) में वनिर्दिष्ट वस्तार तक निम्न ल खत के लए बीमा करती है, अर्थात् :—

(i) उस यान का कसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से कसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत यान में ले जाए जाने वाले माल का स्वामी या उसका प्रा धकृत प्रतिनि ध है, मृत्यु या शारीरिक क्षति होने अथवा कसी पर-व्यक्ति की कसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बाबत उसके द्वारा उपगत दायित्व ;

(ii) उस यान का कसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से कसी सार्वजनिक सेवा यान के कसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति :

परंतु कोई पा लसी—

(i) उस पा लसी द्वारा बीमाकृत कसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के संबंध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के लए अपे क्षत नहीं होगी, जो कसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अ धनियम, 1923 के अधीन होने वाले दायित्व से भन्न है जो,— 1923 का 8

(क) यान चलाने में नियोजित है, या

(ख) सार्वजनिक सेवा यान की दशा में, उस यान के कंडक्टर के रूप में, अथवा उस यान पर टिकटों की जांच करने में नियोजित है, या

(ग) माल वहन की दशा में, उस यान में वहन कया जा रहा है, या

(ii) कसी सं वदात्मक दायित्व को पूरा करने के लए अपे क्षत नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लए, यह घो षत कया जाता है क कसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा पर-व्यक्ति की कसी संपत्ति के नुकसान को इस बात के होते हुए भी क जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिसे क्षति पहुंची है या जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान में नहीं था या थी, उस दशा में सार्वजनिक स्थान में यान के उपयोग से हुआ समझा जाएगा जब क वह कार्य या लोप, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान में हुआ था ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पा लसी के अन्तर्गत कसी दुर्घटना की बाबत उपगत कोई दायित्व निम्न ल खत सीमाओं तक होगा, अर्थात् :—

(क) खंड (ख) में यथाउपबं धत के सवाय, उपगत दायित्व की रकम ;

(ख) पर-व्यक्ति की कसी संपत्ति को हुए नुकसान की बाबत, छह हजार रुपए की सीमा :

परंतु इस अ धनियम के प्रारंभ के ठीक पहले सी मत दायित्व वाली बीमा पा लसी जो प्रवृत्त है, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् चार मास की अव ध के लए अथवा ऐसी पा लसी की समाप्ति की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी बनी रहेगी ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लए पा लसी तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पा लसी कराई है बीमा-प्रमाणपत्र वहित प्ररूप में और कन्हीं शर्त की, जिन पर वह पा लसी दी गई है, तथा कन्हीं, अन्य वहित बातों की, वहित व शष्टियों सहित नहीं दे दिया जाता ; और भन्न- भन्न मामलों के लए भन्न- भन्न प्ररूप, व शष्टियां और बातें वहित की जा सकेंगी ।

(4) जहां इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन बीमाकर्ता द्वारा दिए गए कवर नोट के पश्चात् बीमा पा लसी वहित समय के अंदर नहीं भेज दी जाती वहां बीमाकर्ता कवर नोट की व धमान्यता की अव ध की समाप्ति के सात दिन के अंदर यह बात उस रजिस्ट्रीकर्ता प्रा धकारी को, जिसके अ भलेख में कवर नोट से संबं धत यान रजिस्ट्रीकृत है अथवा ऐसे अन्य प्रा धकारी को, जो राज्य सरकार वहित करे ; अ धसू चत करेगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त कसी व ध में कसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता जो इस धारा के अधीन बीमा पा लसी देता है, उस व्यक्ति की या उन वर्गों के व्यक्तियों की जो पा लसी में वनिर्दिष्ट हैं, कसी ऐसे दायित्व की बाबत क्षतिपूर्ति करने के लए जिम्मेदार होगा जिसकी उस व्यक्ति या उन वर्गों के व्यक्तियों के मामले में पूर्ति के लए वह पा लसी तात्पर्यित है ।

व्यतिकारी देशों में दी गई बीमा पा लसयों की व धमान्यता ।

148. जहां भारत और कसी व्यतिकारी देश के बीच हुए ठहराव के अनुसरण में ऐसा कोई मोटर यान, जो व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत है ; ऐसे कसी मार्ग पर या कसी क्षेत्र के भीतर चलता है ; जो दोनो देशों में पड़ता है, और यान का उपयोग कए जाने के संबंध में व्यतिकारी देश में ऐसी बीमा पा लसी प्रवृत्त हैं, जो उस देश में प्रवृत्त बीमा व ध की

अपेक्षाओं का अनुपालन करती है वहां धारा 147 में कसी बात के होते हुए भी, कंतु ऐसे कन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 164 के अधीन बनाए जाएं ऐसी बीमा पा लसी उस पूरे मार्ग या क्षेत्र में, जिसकी बाबत वह ठहराव कया गया है, ऐसे प्रभावी होगी मानो वह बीमा पा लसी इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हो ।

पर-व्यक्ति जो खमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के वरुद्ध हुए निर्णयों और अ धनिर्णयों की तुष्टि करने का बीमाकर्ताओं का कर्तव्य ।

149. (1) यदि कसी व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पा लसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा-प्रमाण-पत्र दे दिए जाने के पश्चात्, धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 163क के उपबंधों के अधीन पा लसी द्वारा पूरा करने के लए अपे क्षत दायित्व के संबंध में (जो दायित्व पा लसी के निबंधनों के अंतर्गत है) ऐसे कसी व्यक्ति के वरुद्ध निर्णय या अ धनिर्णय अ भप्राप्त कर लया जाता है जिसका पा लसी द्वारा बीमा कया हुआ है तो इस बात के होते हुए भी क बीमाकर्ता पा लसी को शून्य करने या रद्द करने का हकदार है अथवा उसने पा लसी शुन्य या रद्द कर दी है, बीमा-कर्ता इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए डक्री का फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति को, उस दायित्व के संबंध में उसके अधीन देय रा श, जो बीमाकृत रा श में अ धक न होगी, खर्चों की बाबत देय कसी रकम तथा निर्णयों पर ब्याज संबंधी कसी अ धनिय मति के आधार पर उस रा श पर ब्याज की बाबत देय कसी धनरा श सहित इस प्रकार देगा मानो वह निर्णीतऋणी हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कसी बीमाकर्ता द्वारा कोई रा श, कसी निर्णय या अ धनिर्णय के संबंध में तभी देय होगी जब उन कार्यवाहियों के प्रारंभ के पूर्व जिनमें निर्णय या अ धनिर्णय दिया गया है, बीमाकृती को उन कार्यवाहियों के लाए जाने की अथवा कसी निर्णय या अ धनिर्णय के संबंध में जब तक उसका निष्पादन अपील के लंबित रहने पर रोक दिया गया है सूचना, यथास्थिति, न्यायालय या दावा अ धकरण के माध्यम से मल चुकी थी अन्यथा नहीं, और कोई बीमाकर्ता जिसे ऐसी कन्हीं कार्यवाहियों के लाए जाने की सूचना इस प्रकार दी गई हैं, उसका पक्षकार बनाए जाने और निम्न ल खत आधारों में से कसी आधार पर प्रतिवाद करने का हकदार होगा, अर्थात् :—

(क) पा लसी की कसी वनिर्दिष्ट शर्त का भंग कया गया है, जो निम्न ल खत शर्तों में से एक हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसी शर्त, जो यान का निम्न ल खत दशाओं में उपयोग कया जाना अपवर्जित करती है, अर्थात् :—

(क) भाड़े या पारिश्र मक के लए, जब वह यान बीमा सं वदा की तारीख को ऐसा यान है जो भाड़े या पारिश्र मक पर चलाने के पर मट के अंतर्गत नहीं है, या

(ख) आयोजित दौड़ और गति परीक्षा के लए, या

(ग) जिस पर मट के अधीन यान का उपयोग कया जाता है उसके द्वारा अनुज्ञात न कए गए प्रयोजन के लए, जब वह यान परिवहन यान है, या

(घ) साइड कार संलग्न कए बिना, जब यान मोटर साइ कल है, या

(ii) ऐसी शर्त जो ना मत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या ऐसे कसी

व्यक्ति द्वारा जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त नहीं है या ऐसे कसी व्यक्ति द्वारा, जिसे चालन अनुज्ञप्ति धारण या अ भप्राप्त करने से निरर्हित कर दिया गया है, निरर्हता की अव ध के दौरान, यान का चलाया जाना अपवर्जित करती है ; या

(iii) ऐसी शर्त जो युद्ध, गृहयुद्ध, बल्वे या स वल अंशाति की स्थिति के कारण या उसके योगदान से हुई क्षति के लए दायित्व अपवर्जित करती है ; या

(ख) वह पा लसी इस आधार पर शून्य है क वह कसी तात्त्विक तथ्य के प्रकट न कए जाने से, अथवा ऐसे तथ्य के व्यपदेशन से, जिसकी कोई तात्त्विक व शष्टि मथ्या है, अ भप्राप्त की गई थी ।

(3) जहां कोई ऐसा निर्णय, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, कसी व्यतिकारी देश के न्यायालय से अ भप्राप्त कया गया है तथा वदेशी निर्णय की दशा में वह उस वषय की
1908 का 5 बाबत, जिसका न्यायनि र्णयन उसके द्वारा कया गया है, स वल प्र क्रया संहिता, 1908 की
1938 का 4 धारा 13 के उपबन्धों के आधार पर निश्चायक है वहां बीमाकर्ता जो बीमा अ धनियम, 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता है, भले ही वह व्यतिकारी देश की तत्समान व ध के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो डक्री के फायदा उठाने के हकदार व्यक्ति के प्रति उस रीति से और उस वस्तार तक जो उपधारा (1) में वनिर्दिष्ट है, ऐसे दायी होग मानो वह निर्णय भारत के सभी न्यायालय द्वारा दिया गया हो :

परंतु बीमाकर्ता द्वारा कोई रा श कसी ऐसे निर्णय के संबंध में तभी संदेय होगी जब उन कार्यवाहियों के, जिनमें निर्णय दिया गया है, प्रारंभ के पूर्व बीमाकर्ता को उन कार्यवाहियों के लाए जाने की सूचना संबं धत न्यायालय के माध्यम से मल चुकी थी, अन्यथा नहीं तथा कोई बीमाकर्ता, जिसे सूचना ऐसे दी गई है व्यतिकारी देश की तत्समान व ध के अधीन उन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने और उपधारा (2) में वनिर्दिष्ट आधारों के समान आधारों पर प्रतिवाद करने का हकदार है ।

(4) जहां उस व्यक्ति को, जिसने पा लसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र दे दिया गया है वहां पा लसी का उतना भाग, जितना उस पा लसी द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों का बीमा उपधारा (2) के खंड (ख) में दी गई शर्तों से भन्न कन्हीं शर्तों के निर्देश से निर्बन्धित करने के लए तात्पर्यित है, धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पा लसी के द्वारा पूरा करने के लए अपे क्षत दायित्वों के संबंध में प्रभावहीन होगा :

परंतु बीमाकर्ता द्वारा कसी व्यक्ति के कसी दायित्व के निर्वहन में या मद्दे दी गई कोई धनरा श, जो केवल इस उपधारा के आधार पर पा लसी के अन्तर्गत है, बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति से वसूलीय होगी ।

(5) यदि वह रकम, जिसे बीमाकर्ता पा लसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत दायित्व की बाबत देने के लए इस धारा के अधीन जिम्मेदार हो जाता है, उस रकम से अ धक है जिसके लए बीमाकर्ता, इस धारा के उपबंधों के अलावा, उस दायित्व की बाबत पा लसी के अधीन दायी होगा, तो बीमाकर्ता उस अ धक रकम को उस व्यक्ति से वूसल करने का हकदार होगा ।

(6) इस धारा में "तात्त्विक तथ्य" और "तात्त्विक व शष्ट" पदों से क्रमशः इस प्रकार का तथ्य या इस प्रकार की व शष्टि अ भप्रेत है जिससे कसी भी व्यवहारकुशल बीमाकर्ता

के ववेक पर यह अवधारित करने में प्रभाव पड़े क क्या वह जो खम उठाए और यदि वह ऐसा करे तो कतने प्री मयम पर तथा कन शर्तों पर करे और "जो दायित्व पा लसी निबंधनों के अंतर्गत है" पद से ऐसा दायित्व अ भप्रेज है जो पा लसी के अंतर्गत है या जो इस तथ्य के न होने पर पा लसी के अंतर्गत होता क बीमाकर्ता, पा लसी को शून्य या रद्द करने का हकदार है या उसे शून्य या रद्द कर चुका है ।

(7) कोई भी बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दी गई है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कसी ऐसे निर्णय या अ धनिर्णय का या उपधारा (3) में निर्दिष्ट निर्णय में फायदा उठाने के हकदार कसी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व को उस रीति से भन्न रीति से शून्य करने का हकदार होग, जो, यथास्थिति, उपधारा (2) में या व्यतिकारी देश की तत्समान व ध में उपबं धत है, अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लए "दावा अ धकरण" से धारा 165 के अधीन गठित दावा अ धकरण और "अ धनिर्णय" से धारा 168 के अधीन उस अ धकरण द्वारा कया गया अ धनियम अ भप्रेत है ।

बीमाकृत व्यक्ति के दिवा लया होने पर बीमाकर्ताओं के वरुद्ध पर-व्यक्तियों के अ धकार ।

150. (1) जहां इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई बीमा सं वदा के अधीन कसी व्यक्ति का बीमा उन दायित्वों के लए कया गया है जो वह पर-व्यक्तियों के प्रति उपगत करे, वहां—

(क) उस व्यक्ति के दिवा लया हो जाने अथवा अपने लेनदारों से प्रशमन या ठहराव कर लेने पर, या

(ख) यदि बीमाकृत व्यक्ति कंपनी है तो उस कंपनी के परिसमापन के लए आदेश दे दिए जाने पर अथवा स्वेच्छया परिसमापन के लए संकल्प पारित कर दिए जाने पर अथवा उस कंपनी के कारबार या उपक्रम का रिसीवर या प्रबंधक सम्यक् रूप से नियुक्त कर दिए जाने पर अथवा कसी संपत्ति के प्लवमान भार द्वारा प्रतिभूत डबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से उस संपत्ति का, जो भार में समा वष्ट या उसके अधीन है, कब्जा ले लए जाने पर,

उस दशा में जब, ऐसा होने से पूर्व या पश्चात्, कोई ऐसा दायित्व बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत कर लया जाता है, सं वदा के अधीन उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के वरुद्ध उसके अ धकार, व ध के कसी उपबंध में कसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उस पर-व्यक्ति को अंतरित तथा उसमें निहित कए जाएंगे जिसके प्रति वह दायित्व उपगत कया गा था ।

(2) जहां दिवाला व ध के अनुसार मृत-ऋणी की संपदा के प्रशासन के लए आदेश दिया गया है वहां यदि दिवाला कार्यवाही में साबित कए जाने योग्य कोई ऋण मृतक द्वारा कसी दायित्व की बाबत पर-व्यक्ति को देय है जिसके लए उसका बीमा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा सं वदा के अधीन कया गया था तो उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के वरुद्ध मृत-ऋणी के अ धकार, व ध के कसी उपबंध में कसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे जिसको वह ऋण देय हो ;

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लए दी गई पा लसी में ऐसी कोई शर्त प्रभावहीन होगी जिससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः यह तात्पर्यित है क उन घटनाओं में से, जो उपधारा (1) के

खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, कोई भी घटना बीमाकृत व्यक्ति के बारे में हो जाने पर अथवा दिवाला विधि के अनुसार मृत-ऋणी की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दिए जाने पर पालिसी शून्य हो जाएगी अथवा उसके अधीन पक्षकारों के अधिकार परिवर्तित हो जाएंगे ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अंतरण पर, बीमाकर्ता का पर-व्यक्ति के प्रति वैसा ही दायीत्व होगा जैसा उसका बीमाकृत व्यक्ति के प्रति होता, किंतु—

(क) यदि बीमाकर्ता या बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व पर-व्यक्ति के प्रति बीमाकर्ता व्यक्ति के दायित्व से अधिक है तो इस अध्याय की कोई बात ऐसे आधिक्य के बारे में बीमाकर्ता के विरुद्ध बीमाकृत व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव न डालेगी, और

(ख) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व पर-व्यक्ति के प्रति बीमाकृत व्यक्ति के दायित्व से कम है तो इस अध्याय की कोई बात अतिशेष के बारे में बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध पर-व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव न डालेगी ।

बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य ।

151. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी दायित्व की बाबत कोई दावा किया जाता है, दावा करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से मांग की जाने पर यह बताने से इंकार नहीं करेगा कि उस दायित्व की बाबत किसी ऐसी पालिसी द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दी गई हैं, उसका बीमा किया हुआ है या नहीं अथवा यदि बीमाकर्ता ने पालिसी शून्य या रद्द न कर दी होती तो वह ऐसे बीमाकृत रहता या नहीं और वह उस दशा में, जिसमें वह ऐसे बीमाकृत है या होता, उस पालिसी से संबंधित ऐसी विशिष्टियां देने से इंकार नहीं करेगा जो उसकी बाबत दिए गए बीमा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट थीं ।

(2) किसी व्यक्ति के दिवालिया हो जाने पर अथवा अपने लेनदारों से प्रशमन या ठहराव कर लेने पर अथवा दिवाला विधि के अनुसार मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दे दिए जाने पर अथवा किसी कंपनी के परिसमापन के लिए आदेश दे दिए जाने पर अथवा उस कंपनी के स्वेच्छया परिसमान के लिए संकल्प पारित कर दिए जाने पर अथवा किसी कंपनी के कारबार या उपक्रम का रिसीवर या प्रबंधक सम्यक् रूप से नियुक्त कर दिए जाने पर अथवा किसी संपत्ति के प्लवमान भार द्वारा प्रतिभूत किन्हीं डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से उस संपत्ति का, जो भारत में समाविष्ट या उसके अधीन हैं, कब्जा ले लिए जाने पर, यथास्थिति, दिवालिया ऋणी का, मृत-ऋणी के वैयक्तिक प्रतिनिधि का या कंपनी का, अथवा दिवाले की दशा में शासकीय समनुदेशिती या रिसीवर का न्यासी, समापक, रिसीवर या प्रबंधक या संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, जो यह दावा करता है कि दिवालिया-ऋणी, मृत-ऋणी या कंपनी उसके प्रति ऐसे दायित्व के अधीन है, जो इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत है, ऐसी जानकारी दे जिसकी उसके द्वारा यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या कोई अधिकार धारा 150 के अधीन उसे अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं तथा ऐसे अधिकारों को, यदि कोई हो, प्रवर्तित कराने के प्रयोजन से उचित रूप से अपेक्षा की जाए, तथा ऐसी कोई बीमा संविदा प्रभावहीन होगी जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त दशाओं में ऐसी जानकारी दी जाने पर संविदा का शून्य हो जाना उसके अथवा उसके अधीन पक्षकारों के अधिकारों का परिवर्तित हो जाना अथवा उक्त दशाओं में उसका दिया जाना

अन्यथा प्रति षद्ध या निवारित हो जाना तात्पर्यित हो ।

(3) यदि उपधारा (2) के अनुसरण में या अन्यथा कसी व्यक्ति को दी गई जानकारी से उसके पास यह अनुमान लगा लेने का उ चत आधार है क इस अध्याय के अधीन उस कसी व शष्ट बीमाकर्ता के वरुद्ध अ धकार अंतरित हो गए हैं या हो गए होंगे तो उस बीमाकर्ता का वही कर्तव्य होगा जो उक्त उपधारा के अनुसार उन व्यक्तियों का है, जो उसमें व र्णत हैं ।

(4) इस धारा द्वारा अ धरो पत जानकारी देने के कर्तव्य के अंतर्गत यह कर्तव्य भी होगा क जो बीमा सं वदाएं, प्री मयम रसीदें और अन्य सुसंगत दस्तावेजें उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हैं, जिस पर ऐसा कर्तव्य अ धरो पत कया गया है, उनका निरीक्षण कया जाने दिया जाए और उनकी प्रतियां ली जाने दी जाएं ।

बीमाकर्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौते ।

152. (1) कसी ऐसे दावे के बारे में, जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार के कसी दायित्व की बाबत पर-व्यक्ति द्वारा कया जा सकता है, कसी बीमाकर्ता द्वारा कया गया कोई समझौता तभी व धमान्य होगा जब ऐसा पर-व्यक्ति उस समझौते का पक्षकार है, अन्यथा नही ।

(2) जहां वह व्यक्ति, जिसका बीमा इस अध्याय के प्रयोजनों के लए दी गई पा लसी के अधीन कया गया है, दिवा लया हो गया है अथवा जहां उस दशा में, जिसमें ऐसा व्यक्ति कंपनी है, उस कंपनी के परिसमापन के लए आदेश दे दिया गया है अथवा उसके स्वेच्छया परिसमान के लए संकल्प पारित कर दिया गया है वहां, यथास्थिति, पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व उपगत हो जाने के पश्चात् अथवा दिवाले या परिसमापन के प्रारंभ के पश्चात् न तो बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच कया गया कोई करार और न पूर्वोक्त प्रारंभ के पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोई अ धत्यजन, समनुदेशन या अन्य व्ययन, अथवा बीमाकृत व्यक्ति को की गई कोई अदायगी, उन अ धकारों को वफल करने के लए प्रभावी होगी जो पर-व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन अंतरित है ब्ल क वे अ धकार वैसे ही रहेंगे मानो ऐसा कोई करार, अ धत्यजन, समुनदेशन या व्ययन या अदायगी नहीं की गई है ।

धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के बारे में व्यावृत्ति ।

153. (1) धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के प्रयोजनों के लए कसी बीमा पा लसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में "पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व" के प्रति निर्देश के अंतर्गत कसी अन्य बीमा पा लसी के अधीन बीमाकर्ता की है सयत में उस व्यक्ति के दायित्व के प्रति निर्देश न होगा ।

(2) धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के उपखंड वहां लागू न होंगे जहां कंपनी का स्वेच्छया परिसमापन उसके पुनर्गठन के लए अथवा दूसरी कंपनी से उसके समामेलन के प्रयोजन के लए ही कया जाता है ।

बीमाकृत व्यक्तियों के दिवाले से बीमाकृत व्यक्ति के दायित्व या पर-व्यक्तियों के दावों पर प्रभाव न पड़ना ।

154. जहां उस व्यक्ति को, जिसने पा लसी कराई है, बीमा-प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है वहां जिस व्यक्ति का उस पा लसी द्वारा बीमा कया गया है उसके संबंध में धारा 150 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में व र्णत प्रकार की कसी घटना के होने से उस व्यक्ति के इस प्रकार के कसी दायित्व पर, जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, इस अध्याय में कसी बात के होते हुए भी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ; कंतु इस धारा की कोई बात बीमाकर्ता के वरुद्ध ऐसे कन्हीं अ धकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उस व्यक्ति को, जिसके प्रति वह दायित्व उपगत कया गया था, धारा 150, धारा 151 और धारा

152 के उपबंधों के अधीन प्रदान कए गए हैं ।

1925 का 39 **155.** भारतीय उत्तरा धकार अ धनियम, 1925 की धारा 306 में कसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति की मृत्यु, जिसके पक्ष में बीमा-प्रमाणपत्र दिया गया है, उस दशा में जिसमें वह ऐसी घटना होने के पश्चात् होती है जिससे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दावा पैदा हो गया है, ऐसे कसी वाद-हेतुक के जारी रहने को वर्जित न करेगी जो उसकी संपदा या बीमाकर्ता के वरुद्ध उक्त घटना से पैदा होता है । कुछ वाद-हेतुकों पर मृत्यु का प्रभाव ।

156. जब बीमाकर्ता ने ऐसी बीमा सं वदा के बारे में, जो बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच है, बीमा-प्रमाणपत्र जारी कर दिया है तब— बीमा-प्रमाणपत्र का प्रभाव ।

(क) यदि और जब तक प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी, बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को नहीं दी गई है तो और तब तक बीमाकर्ता की बाबत, जहां तक बीमाकर्ता और बीमाकृत से भन्न कसी अन्य व्यक्ति के बीच की बात है, यह समझा जाएगा क उसने बीमाकृत व्यक्ति को बीमा पा लसी दे दी है जो सभी प्रकार से ऐसे-प्रमाणपत्र में दिए हुए वर्णन और व शष्टियों के अनुरूप है ; और

(ख) यदि बीमाकर्ता ने प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी बीमाकृत को दे दी है कंतु पा लसी के वास्त वक निबंधन पा लसी की उन व शष्टियों से, जो प्रमाणपत्र में उल्लि खत हैं, उन व्यक्तियों के लए कम अनुकूल हैं जो पा लसी के अधीन या आधार पर बीमाकर्ता के वरुद्ध दावा या तो प्रत्यक्ष रूप से या बीमाकृत व्यक्ति के माध्यम से करते हैं, जो जहां तक बीमाकर्ता बीमाकृत से भन्न कसी अन्य व्यक्ि ति के बीच की बात है, पा लसी की बाबत यह समझा जाएगा क वह सभी प्रकार से उन व शष्टियों के अनुरूप है, जो उक्त प्रमाणपत्र में उल्लि खत हैं ।

157. (1) जहां कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र दिया गया है, उस मोटर यान का स्वा मत्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा लया गया था, उससे संबं धत बीमा पा लसी सहित, कसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है वहां बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे मोटर यान अंतरित कया गया है, उसके अंतरण की तारीख से प्रभावशील रूप से अंतरित समझी जाएगी । बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लए यह घो षत कया जाता है क ऐसे समझे गए अंतरण में उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पा लसी के अ धकारों और दायित्वों का अंतरण सम्म्लित होगा ।

(2) अंतरिती, वहित प्ररूप में, अंतरण की तारीख से चौदह दिन के भीतर, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में व र्णत पा लसी में, उसके पक्ष में अंतरण के तथ्य की बाबत आवश्यक परिवर्तन करने के लए बीमाकर्ता को आवेदन करेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र में तथा बीमा की पा लसी में बीमा के अंतरण की बाबत आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

158. (1) कसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति वर्दी पहने हुए कसी पु लस अ धकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस नि मत्त प्रा धकृत कया है, अपेक्षा कए जाने पर निम्न ल खत दस्तावेज पेश करेगा जो उस यान के उपयोग से संबं धत हैं, अर्थात् :— कतिपय दशाओं में कुछ प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और पर मट का पेश कया जाना ।

(क) बीमा प्रमाणपत्र ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ग) चालन अनुज्ञप्ति ; और

(घ) परिवहन यान की दशा में, धारा 56 में निर्दिष्ट, ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र और पर मट ।

(2) जहां मोटर यान के कसी सार्वजनिक स्थान में होने के कारण ऐसी दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप कसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक क्षति होती है वहां, यदि यान का ड्राइवर उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों, चालन अनुज्ञप्ति और पर मट को उस समय पु लस अ धकारी को पेश नहीं करता है तो वह उक्त प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और पर मट को उस पु लस थाने में पेश करेगा जहां वह धारा 134 द्वारा अपे क्षत रिपोर्ट करता है ।

(3) कसी व्यक्ति को बीमा प्रमाणपत्र पेश करने में असफलता के ही कारण उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उस दशा में दोष सद्ध नहीं कया जाएगा जब, यथास्थिति, उस तारीख से, जिसको उसका पेश कया जाना उपधारा (1) के अधीन अपे क्षत कया गया था अथवा, दुर्घटना होने की तारीख से, सात दिन के अंदर वह ऐसे प्रमाणपत्र को उस पु लस थाने में पेश कर देता है जिसे उसने उस पु लस अ धकारी को जिसने उसे पेश कए जाने की मांग की थी, या यथास्थिति, दुर्घटना स्थल के पु लस अ धकारी को अथवा उस पु लस थाने के भारसाधक पु लस अ धकारी को, जिसमें उसने दुर्घटना की रिपोर्ट लखाई है, वनिर्दिष्ट कया हो :

परन्तु इस उपधारा के उपबंध कसी परिवहन यान के ड्राइवर को उसी वस्तार तक और ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो वहित कए जाएं, अन्यथा नहीं ।

(4) मोटर यान का स्वामी ऐसी जानकारी देगा जिसे देने की अपेक्षा उससे राज्य सरकार द्वारा इस नि मत्त सशक्त पु लस अ धकारी द्वारा या उसकी ओर से यह अवधारित करने के प्रयोजन से की जाए क क्या वह यान धारा 146 का उल्लंघन करके और ऐसे कसी अवसर पर चलाया जा रहा था या नहीं जब ड्राइवर से इस धारा के अधीन यह अपेक्षा की गए थी क वह अपना बीमा प्रमाणपत्र पेश करे ।

(5) इस धारा में, "अपना बीमा-प्रमाणपत्र पेश करे" पद से सुसंगत बीमा प्रमाणपत्र पेश करना या इस बाबत ऐसे अन्य साक्ष्य, जैसा वहित कया जाए, पेश करना अ भप्रेत है क वह यान धारा 146 का उल्लंघन करके नहीं चलाया जा रहा था ।

(6) जैसे ही कसी ऐसी दुर्घटना की बाबत जिसमें कसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अंतर्ग्रस्त है, कोई इत्तिला पु लस अ धकारी द्वारा अ भ ल खत की जाती है या कोई रिपोर्ट इस धारा के अधीन पु लस अ धकारी द्वारा पूरी की जाती है, वैसे ही पु लस थाने का भारसाधक अ धकारी, उसकी एक प्रति, यथास्थिति, इत्तिला अ भ ल खत करने की तारीख से तीन दिन के भीतर या ऐसी रिपोर्ट पूरी होने पर, अ धकारिता, रखने वाले दावा अ धकरण को और उसकी एक प्रति संब धत बीमाकर्ता को भेजेगा और जहां एक प्रति स्वामी को उपलब्ध कराई जाती है, वहां वह भी ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उसे दावा

अ धकरण और बीमाकर्ता को भेजेगा ।

यान का उपयोग करने के प्रा धकार के लए आवेदन करने पर बीमा पमाणपत्र पेश कया जाना ।

159. राज्य सरकार मोटर यान के स्वामी से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी क जब वह सार्वजनिक स्थान पर यान का उपयोग करने का प्रा धकार के लए कर देकर या अन्यथा, आवेदन करे तब वह इस आशय का ऐसा साक्ष्य, जो उन नियमों द्वारा वहित कया जाए, पेश करे क या तो—

(क) उस तारीख को जब यान का उपयोग करने का प्रा धकार प्रवृत्त होता है, आवेदक द्वारा या उसके आदेशों पर या उसकी अनुज्ञा से अन्य व्यक्तियों द्वारा उस यान का उपयोग कए जाने के संबंध में आवश्यक सीमा पा लसी प्रवृत्त होगी, या

(ख) वह यान ऐसा यान है जिसे धारा 146 लागू नहीं होती है ।

दुर्घटनाग्रस्त यानों की व शष्टियां देने का कर्तव्य ।

160. रजिस्ट्रकर्ता प्रा धकारी या पु लस थाने का भारसाधक अ धकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा कए जाने पर जो यह अ भकथन करता है क वह मोटर यान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है, या ऐसे सीमाकर्ता द्वारा अपेक्षा कए जाने पर जिसके खलाफ कसी मोटर यान की बाबत दावा कया गया है, यथास्थिति, उस व्यक्ति को या उस बीमाकर्ता को उसके द्वारा वहित फीस दिए जाने पर, ऐसे प्ररूप में और उतने समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार वहित करे, ऐसा कोई जानकारी देगा जो उक्त प्रा धकारी या उक्त पु लस अ धकारी के पास यान के पहचान चह्नों और अन्य व शष्टियों के संबंध में और उस व्यक्ति के नाम और पते के संबंध में हो जो दुर्घटना के समय यान का उपयोग कर रहा था या जिसे उस यान से क्षति हुई थी और संपत्ति का, यदि कोई है, नुकसान हुआ था ।

टक्कर मार कर भागने के संबंध में मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में वशेष उपबंध ।

161. (1) इस धारा, धारा 162 और धारा 163 के प्रयोजनों के लए,—

1860 का 45 (क) "घोर उपहति" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता में उसका हैं ;

(ख) "टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना" से ऐसे मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से उद्भूत दुर्घटना अ भप्रेत है, जिनकी पहचान इस प्रयोजन के लए युक्तियुक्त प्रयत्न करने के बाद भी अ भनिश्चित नहीं की जा सकती है ;

(ग) "स्कीम" से धारा 163 के अधीन बनाई गई स्कीम अ भप्रेत है ।

1972 का 57

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अ धनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त कसी अन्य व ध या व ध का बल रखने वाली कसी लखत में कसी बात के होते हुए भी, उक्त अ धनियम की धारा 9 के अधीन बनाया गया भारतीय साधारण बीमा निगम और तत्समय भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाली बीमा कंपनियां टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना से उद्भूत कसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के बारे में प्रतिकर का, इस अ धनियम और स्कीम के उपबंधों के अनुसार, संदाय करने के लए उपबंध करेगी ।

(3) इस अ धनियम और स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप कसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में पच्चीस हजार रुपए की नियत रा श का ;

(ख) टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप कसी व्यक्ति की घोर उपहति के बारे में बारह हजार पांच सौ रुपए की नियत रा श का,

प्रतिकर के रूप में संदाय कया जाएगा ।

(4) धारा 166 की उपधारा (1) के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिकर के लए आवेदन करने के प्रयोजन के लए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिकर के लए आवेदन करने के प्रयोजन के लए लागू होते हैं ।

धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर का कतिपय मामलों में प्रतिदाय ।

162. (1) धारा 161 के अधीन कसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय इस शर्त के अधीन होगा क यदि प्रतिकर के कसी दावे के बदले या उसकी पुष्टि के रूप में कोई प्रतिकर (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् अन्य प्रतिकर कहा गया है) या अन्य रकम ऐसी मृत्यु या घोर उपहित के बारे में इस अ धनियम के कसी अन्य उपबंध या कसी अन्य व ध के अधीन या अन्यथा अ धनिर्णीत की जाती है या संदत्त की जाती है तो पूर्वोक्त अन्य प्रतिकर या अन्य रकम का उतना भाग जितना धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के बराबर ही, बीमाकर्ता को प्रतिदत्त कया जाएगा ।

(2) कसी मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से उद्भूत कसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति को अंतर्व लत करने वाली कसी दुर्घटना के बारे में इस अ धनियम (धारा 161 से भन्न) या कसी अन्य व ध के कसी उपबंध के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के पूर्व ऐसा प्रतिकर अ धनिर्णीत करने वाला अ धकरण, न्यायालय या अन्य प्रा धकारी यह सत्या पत करेगा क क्या ऐसी मृत्यु या शारीरिक क्षति के बारे में प्रतिकर धारा 161 के अधीन पहले ही संदत्त कर दिया गया है या उस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय के लए कोई आवेदन लंबित है और ऐसा अ धकरण, न्यायालय या अन्य प्रा धकारी—

(क) यदि धारा 161 के अधीन प्रतिकर का पहले ही संदाय कया जा चुका है तो उसके द्वारा अ धनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने के लए दायी व्यक्ति को यह निदेश देगा क वह उसके उतने भाग का जितना उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय करने के लए अपे क्षत है, बीमाकर्ता को प्रतिदाय करे ;

(ख) यदि धारा 161 के अधीन प्रतिकर का संदाय करने के लए कोई आवेदन लंबित है, तो उसके द्वारा अ धनिर्णीत प्रतिकर से संबं धत व शष्टियां बीमकर्ता को भेजेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लए, धारा 161 के अधीन प्रतिकर के लए कोई आवेदन—

(i) यदि ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, तो आवेदन के नामंजूर कर दिए जाने की तारीख तक, और

(ii) कसी अन्य मालमे में, आवेदन के अनुसरण में प्रतिकर का संदाय कए जाने की तारीख तक,

लंबित समझा जाएगा ।

टक्कर मार कर भागने संबंधी मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में प्रतिकर के संदाय के लए स्कीम ।

163. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा, एक स्कीम बनाएगी, जिसमें वह रीति जिससे स्कीम का साधारण बीमा निगम द्वारा प्रशासन कया जाएगा, वह प्ररूप, रीति और समय जिसके भीतर प्रतिकर के लए आवेदन कए जाएंगे, वे अ धकारी या प्रा धकारी जिन्हें ऐसे आवेदन कए जाएंगे, वह प्र क्रया जो ऐसे आवेदनों पर वचार करने के लए और उन पर आदेश पारित करने के लए ऐसे अ धकारियों या प्रा धकारियों द्वारा

अनुसरित की जाएगी और स्कीम के प्रशासन तथा प्रतिकर के संदाय से संसक्त या आनुषंगिक सभी अन्य विषय निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि—

(क) उसके किसी उपबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से जो विनिर्दिष्ट की जाएगी किंतु किसी भी दशा में तीन मास से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, जो उतनी रकम तक का हो सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाएगी किंतु जो किसी भी दशा में पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा, या दोनों से दंडनीय होगा ;

(ख) ऐसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां, या उस पर अधिरोपित कृत्य या कर्तव्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे ;

(ग) ऐसी स्कीम का कोई उपबंध ऐसी तारीख से जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा विद्यमान मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन तोषण निधि के स्थापित किए जाने की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित हो सकेगा :

1939 का 4

परन्तु ऐसा भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के हितों पर, जो ऐसे उपबंध द्वारा शासित हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

संरचना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध ।

163क. (1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकृर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में है ।

1923 का 8

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यानों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

कतिपय दशाओं में दावा फाइल करने का विकल्प ।

163ख. जहां कोई व्यक्ति धारा 140 और धारा 163क के अधीन प्रतिकर का दावा करने का हकदार है वहां वह केवल उक्त धाराओं में से किसी एक धारा के अधीन दावा फाइल करेगा न कि दोनों धाराओं के अधीन ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

164. (1) केंद्रीय सरकार इस अध्याय के, धारा 159 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, उपबंधों की कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में

निम्न ल खत उपबंध कया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लए काम में लाए जाने वाले प्ररूप ;

(ख) बीमा-प्रमाणपत्रों के लए आवेदन करना और उनका दिया जाना ;

(ग) खोए, नष्ट हुए या कटे फटे, बीमा-प्रमाणपत्रों के बदले में उनकी दूसरी प्रतियों का दिया जाना ;

(घ) बीमा-प्रमाणपत्रों की अ भरक्षा, उन्हें पेश करना, रद्द करना और अभ्य र्पत करना ;

(ङ) इस अध्याय के अधीन दी गई बीमा पा ल सयों के बीमाकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अ भलेख ;

(च) इस अध्याय के उपबंधों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों द्वारा या अन्यथा पहचान ;

(छ) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा पा ल सयों वषयक जानकारी का दिया जाना ;

(ज) इस अध्याय के उपबंधों को उन यानों के लए, जो भारत में अस्थायी वास के लए आने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए गए हैं, या उन यानों के लए, जो कसी व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा भारत में कसी मार्ग या क्षेत्र में चल रहे हैं, वहित उपांतरणों सहित लागू करके अनुकूल बनाना ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय-परिसीमा जिसके भीतर धारा 160 में निर्दिष्ट व शष्टियां दी जा सकेंगी ; और

(ञ) कोई अन्य वषय जो वहित कया जाना है या कया जाए ।

अध्याय **12**

दावा अ धकरण

दावा अ धकरण । **165.** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा, एक या अ धक दुर्घटना दावा अ धकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अ धकरण कहा गया है) ऐसे क्षेत्र के लए, जो अ धसूचना में वनिर्दिष्ट कया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की कसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लए यह घो षत कया जाता है क "उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के प्रयोजन के लए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुठ है" पद के अंतर्गत धारा 140 और धारा 163क के अधीन प्रतिकर के लए दावे भी हैं ।

*   *   *   *   *

प्रतिकर के लए आवेदन ।

166. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, दावाकर्ता के वकल्प पर, उस दावा अ धकरण को जिसकी उस क्षेत्र पर अ धकारिता थी जिसमें दुर्घटना हुई है, अथवा उस दावा अ धकरण को जिसकी अ धकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावाकर्ता निवास करता है या कारबार करता है अथवा जिसकी अ धकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी निवास करता है, कया जाएगा और वह ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसी व शष्टियां होंगी जो वहित की जाएं :

परंतु जहां धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लए कोई दावा ऐसे आवेदन में नहीं कया जाता है वहां उस आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर के ठीक पूर्व उस आशय का एक पृथक् कथन होगा ।

* * * * *

(4) दावा अ धकरण, धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटनाओं की कसी रिपोर्ट को इस अ धनियम के अधीन प्रतिकर के लए आवेदन के रूप में मानेगा ।

* * * * *

दावा अ धकरणों का अ धनिर्णय ।

168. (1) धारा 166 के अधीन कए गए प्रतिकर के लए आवेदन की प्राप्ति पर, दावा अ धकरण बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् (जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता भी है), यथास्थिति, दावे की या दावों में से प्रत्येक की जांच करेगा तथा, धारा 162 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अ धनिर्णय देगा जिसमें प्रतिकर की उतनी रकम अवधारित होगी, जितनी उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है तथा वह व्यक्ति या वे व्यक्ति वनिर्दिष्ट होंगे जिन्हें प्रतिकर दिया जाएगा, और अ धनिर्णय देते समय दावा अ धकरण वह रकम वनिर्दिष्ट करेगा जो, यथास्थिति, बीमाकर्ता द्वारा या उस यान के जो दुर्घटना में अंतग्रस्त था, स्वामी या ड्राइवर द्वारा, अथवा उन सब या उनमें से कसी के द्वारा दी जाएगी :

परंतु जहां ऐसे आवेदन में कसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में धारा 140 के अधीन प्रतिकर के लए कोई दावा कया गया है, वहां ऐसा दावा और ऐसी मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता के बारे में प्रतिकर के लए कोई अन्य दावा (चाहे वह ऐसे आवेदन में या अन्यथा कया गया है) अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा ।

* * * * *

170. कतिपय मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाना—जहां जांच के अनुक्रम में दावा अ धकरण का यह समाधान हो जाता है क—

(क) दावा करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के बीच, जिसके वरुद्ध दावा कया गया है, दुर भसं ध है ; या

(ख) वह व्यक्ति, जिसके वरुद्ध दावा कया गया है, उस दावे का वरोध करने में असफल रहा है,

वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध कए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा क वह बीमाकर्ता, जिस पर ऐसे दावे की बाबत दायित्व है, उस कार्यवाही का पक्षकार बनाया जाए और ऐसे पक्षकार बनाए गए बीमाकर्ता को तब धारा 149 की उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अ धकार होगा क वह उस दावे का वरोध उन सब या कन्हीं आधारों पर करे, जो उस व्यक्ति को प्राप्त है, जिसके वरुद्ध दावा कया गया है ।

*   *   *   *   *

अपीलें ।

173. (1)   *   *   *   *

(2) दावा अ धकरण के अ धनिर्णय के वरुद्ध कोई अपील उस दशा में न होगी जिसमें अपील में ववादाग्रस्त रकम दस हजार रुपए से कम है ।

*   *   *   *   *

अध्याय **13**

अपराध, शास्तियां और प्र क्रया

अपराधों के दण्ड के लए साधारण उपबंध ।

177. जो कोई इस अ धनियम या इसके अधीन बनाए गए कसी नियम, वनियम या अ धसूचना के कसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लए कोई शास्ति उपबं धत नहीं है, प्रथम अपराध के लए जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा ; और कसी द् वतीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लए, जुर्माने से, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्‍य की अवहेलना के लए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने के लए शास्ति आदि ।

178. (1)   *   *   *   *

(3) यदि ठेका गाड़ी का पर मट धारक या ड्राइवर इस अ धनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करेगा तो वह,—

(क) दो पहिए या तीन पहिए वाले मोटर यानों की दशा में, जुर्मान से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ; और

(ख) कसी अन्य दशा में, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना ।

179. (1) जो कोई जानबूझकर ऐसे कसी निर्देश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने के लए इस अ धनियम के अधीन सशक्त कसी व्यक्ति या प्रा धकारी द्वारा व धपूर्वक दिया गया है या ऐसे कन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में कसी व्यक्ति या प्रा धकारी को बाधा पहुंचाएगा जो व्यक्ति या प्रा धकारी उसका निर्वहन करने के लए इस अ धनियम के अधीन अपे क्षत या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई इस अ धनियम द्वारा या के अधीन कोई जानकारी देने के लए अपे क्षत होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे वश्वास नहीं है, वह उस दशा में जब उस

अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

180. जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए ऐसे अन्य किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों की पूर्ति नहीं करता है, यान चलवाएगा या चलाने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा । अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना ।

181. जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा । धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना ।

182. (1) जो कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटर यान चलाएगा या चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रहित चालन-अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सो रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई चालन-अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी । अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध ।

(2) जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान में कार्य करेगा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, अथवा पृष्ठांकन रहित कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, तथा उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी ।

182क. कोई व्यक्ति जो धारा 109 की उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने से और किन्हीं पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा । यान के सन्निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित अपराधों के लिए दंड ।

183. (1) जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा वह जुर्माने से, जो चार सौ रुपए तक का हो सकेगा, या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध होने की दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हा सकेगा, दण्डनीय होगा । अत्यधिक गति आदि से चलाना ।

(2) जो कोई ऐसे व्यक्ति से, जो मोटर यान चलाने के लिए उसके द्वारा नियोजित या

उसके नियंत्रणाधीन है, धारा 112 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे चलवाएगा, वह जुर्माने से, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा या इस उपधारा के अधीन अपराध के लए पहले ही दोष सद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लए पुनः दोष सद्ध होने की दशा में, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय के साक्ष्य पर ही क उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो व ध वरुद्ध है, तब तक दोष सद्ध नहीं कया जाएगा जब तक उस राय की बाबत यह द र्शत नहीं कर दिया जाता है क वह कसी यांत्रिक युक्ति के उपयोग से अ भप्राप्त प्राक्कलन पर आधारित है ।

(4) ऐसी समय सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन उसे कसी निदेश का दिया जाना जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग वनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लया जाना है, उस दशा में, जिसमें न्यायालय की यह राय है क मामले की परिस्थितियों में यह साक्ष्य नहीं है क वह यात्रा या यात्रा का भाग धारा 122 में निर्दिष्ट गति-सीमा का उल्लंघन कए बिना वनिर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा कर लया लया जाए, इस बात का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा क जिस व्यक्त‍ि ने वह समय सारणी प्रका शत की है या वह निदेश दिया है उसने उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध कया है ।

खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना ।

184. जो कोई मोटर यान को ऐसी गति से ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को, जिनके अन्तर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है, जहां वह यान चलाया जा रहा है तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लए खतरनाक है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से, जिसकी अव ध छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और द् वतीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लए उस दशा में, जिसमें क वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के कए जाने के तीन वर्ष के अन्दर कया गया है, कारावास से, जिसकी अव ध दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

कसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए कसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाया जाना ।

185. मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय—

(क) जिस कसी के रक्त में कसी श्वास वश्लेषक द्वारा परीक्षण कए जाने पर रक्त के प्रति 100 मली लटर में 30 मली ग्राम से अ धक ऐल्कोहाल पाया जाता है, या]

(ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है क वह मोटर यान पर समु चत नियंत्रण रखने में असमर्थ है,

वह प्रथम अपराध के लए कारावास से, जिसकी अव ध छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लए उस दशा में, जिसमें क वह वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के कए जाने के तीन वर्ष के भीतर कया गया है, कारावास से, जिसकी अव ध दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लए, केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में

अ धसूचना द्वारा, इस नि मत्त वनिर्दिष्ट कया गया मादक द्रव्य ऐसा समझा जाएगा जिससे व्यक्ति मोटर यान पर उ चत नियंत्रण रखने योग्य नहीं रहता ।

186. जो कोई कसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटर यान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है क वह कसी ऐसे रोग या नि:शक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लए खतरे का कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लए जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा तथा द् वतीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । मोटर यान चलाने के लए मान सक या शारीरक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना ।

187. जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करते में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अव ध तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लए पहले ही दोष सद्ध हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लए पुन: दोष सद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अव ध छह मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा । दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लए दण्ड ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

189. जो कोई राज्य सरकार की ल खत सहमति के बिना कसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की कसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अव ध एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा । दौड़ और गति का मुकाबला ।

190. (1) जो कोई व्यक्ति कसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटर यान या ट्रेलर को, उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और खराबी ऐसी है क उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लए खतरे का कारण हो सकता है, वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा अथवा उस दशा में जिसमें क ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिससे शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, कारावास से, जिसकी अव ध तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा । असुर क्षत दशा वाले यान का उपयोग कया जाना ।

(2) जो कोई व्यक्ति कसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में वहित मानकों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लए एक हजार रुपए तक जुर्माने से, तथा कसी द् वतीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लए दो हजार रुपए तक जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई व्यक्ति कसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे ऐसे माल के वहन से संबं धत जो मानव जीवन के लए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का है, इस अ धनियम के या इसके अधीन बनाए गए

नियमों के उपबंधों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लए जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अव ध एक वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, और कसी द् वतीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लए, जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अव ध तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

यान का ऐसी हालत में वक्रय या यान का ऐसी हालत में परिवतर्नन जिससे इस अ धनियम का उल्लंघन हो ।

191. जो कोई मोटर यानों का आयातकर्ता या व्यापारी होते हुए मोटर यान या ट्रेलर का ऐसी हालत में वक्रय या परिदान करेगा अथवा वक्रय या परिदान की प्रस्थापना करेगा जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाए गए कसी नियम का उल्लंघन होगा अथवा मोटर यान या ट्रेलर को ऐसे परिवर्तित करेगा क उसकी ऐसी हालत हो जाए जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से अध्याय 7 का या उसके अधीन बनाए गए कसी नियम का उल्लंघन होगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोष सद्ध न कया जाएगा जिसमें वह साबित कर देता है क उसके पास यह वश्वास करने का उ चत कारण था क वह यान सार्वजनिक स्थान में तब तक उपयोग में न लाया जाएगा जब तक क वह ऐसी हालत में नहीं कर दिया जाता जिसमें उसका ऐसा उपयोग व धपूर्णतया कया जा सकता है ।

* * * * *

पर मट के बिना यान का उपयोग ।

192क. (1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में अथवा ऐसे पर मट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लए उस यान का उपयोग कया जा सकेगा, कसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या कए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, कन्तु दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, तथा कसी पश्चात्वर्ती अपराध के लए कारावास से, जिसकी अव ध एक वर्ष तक की हो सकेगी, कन्तु तीन मास से कम की नहीं होंगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, कन्तु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध कए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अ धरो पत कर सकेगा ।

* * * * *

बिना समु चत प्रा धकार वाले अ भकर्ताओं और प्रचारकों के लए दण्ड ।

193. जो कोई धारा 93 के अथवा उसके अधीन बनाए गए कन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अ भकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा वह प्रथम अपराध के लए जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा द् वतीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लए कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अनुज्ञेय भार से अ धक भार वाले यान को चलाना ।

194. (1) जो कोई धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के उपबन्धों के उल्लंघन में कसी मोटर यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या कए जाने देगा, वह दो हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से, और लदान सीमा से अ धक भार को उतरवाने के लए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अ धक भार के लए एक हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से, दण्डनीय होगा ।

(2) यान का कोई ड्राइवर जो रुकने से और धारा 114 के अधीन इस नि मत्त प्रा धकृत अ धकारी द्वारा ऐसा करने के निदेश दिए जाने के पश्चात् यान का भार कराने से इंकार करता है अथवा भार कराने से पूव माल को हटाता है या हटवाता है, वह जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

*   *   *   *   *

बीमा न कए गए यान को चलाना ।

196. जो कोई धारा 146 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा, या चलाने देगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

प्रा धकार के बिना यान ले जाना ।

197. (1) जो कोई कसी मोटर यान को या तो उसके स्वामी की सहमति प्राप्त कए बिना या अन्य व धपूर्ण प्रा धकार के बिना ले जाएगा और चलाएगा, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन उस दशा में दोष सद्ध न कया जाएगा जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है क ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समु चत वश्वास से कार्य कया है क उसे व धपूर्ण प्रा धकार प्राप्त है अथवा ऐसे समु चत वश्वास से कार्य कया है क यदि उसने स्वामी की सहमति मांगी होती तो मामले की परिस्थितियों में स्वामी ने अपनी सहमति दे दी होती ।

(2) जो कोई, व ध वरुद्ध रूप से, बलपूर्वक या बल की धमकी द्वारा या अन्य प्रकार के अ भत्रास के द्वारा, कसी मोटर यान को छीन लेता है या उस पर नियंत्रण करता है, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांस सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

*   *   *   *   *

कतिपय अपराधों का शमन ।

200. (1) धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196, धारा 198 के अधीन दण्डनीय कसी अपराध का, चाहे वह इस अ धनियम के प्रारम्भ के पूर्व कया गया हो या पश्चात् कया गया हो, ऐसे अ धकारियों या प्रा धकारियों द्वारा और ऐसी रा श के लए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अ धसूचना द्वारा, इस नि मत्त वनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अ भयोजन संस्थित कए जाने के पूर्व या पश्चात् कया जा सकेगा ।

(2) जहां कसी अपराध का शमन उपधारा (1) के अधीन कया गया है वहां अपराधी

को, यदि वह अ भरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके वरुद्ध आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

*　　*　　*　　*　　*

यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लए शास्ति ।

201. (1) जो कोई कसी निर्योग्य यान को कसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रीति से रखेगा जिससे क यातायात के मुक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है तो वह, जब तक यान उस स्थिति में रहता है, प्रति घंटा पांच सौ रुपए तक की शास्ति के लए दायी होगा :

परन्तु दुर्घटनाग्रस्त यान केवल उस समय से शास्ति का दायी होगा जिस समय व ध के अधीन निरीक्षण की औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं :

परन्तु यह और क जहां यान कसी सरकारी अ भकरण द्वारा हटाया जाता है वहां अनुकर्षण प्रभार यान के स्वामी या ऐसे यान के भारसाधक व्यक्ति से वसूल कए जाएंगे ।

*　　*　　*　　*　　*

मोटर यान (संशोधन) वधेयक, 2016 का शुद्धपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
9	11	उपधारा के	उपधारा (2) के
10	19	उपधारा (1)	उपधारा (2)
13	35	उपधारा (1)	उपधारा (1क)
19	10	(i) "संघटकों के मानक"	(i) उपधारा (1) के खंड (ट) में "संघटकों के मानक"
23	10 पार्श्वशीर्ष	नई धार 134क क	नई धारा 134क का
23	12 पार्श्वशीर्ष	बेहतर समारिय	नेक व्यक्ति
27	15	रा श,	रा श होगी,
28	20	द्वारा ऐसा	द्वारा समझौते का ऐसा
28	36	था, करेगा	था, संदाय करेगा
29	9 और 10	शर्त का, जो निम्न ल खत में से कसी शर्त का उल्लंघन कया गया हो, अर्थात् :--	शर्त का उल्लंघन हुआ हो, जो निम्न ल खत शर्तों में से एक हो, अर्थात् :--
29	20	गया है ;	गया है ; या
29	22	यान है ;	यान है ; या
29	33	धारा 64फब	धारा 64फख
32	12	प्रभावी	प्रभाव
36	18	परिषद्नि	परिषद्
36	29	दोनों से अ धक दंडनीय	दोनों से दंडनीय
37	5	धारा (2)	उपधारा (2)
37	17	(धारा 161	धारा 161
37	18	भन्न)	भन्न
39	28	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
39	30	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
39	32	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
40	4	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
40	27	प्रस्तुतिकरण और	प्रस्तुतिकरण निरस्तीकरण और
42	29	में निम्न ल खत	के पश्चात् निम्न ल खत
42	31	अ धनिर्णय के प्रावर्तन प्रयोजन	पंचाट के प्रवर्तन के प्रयोजन
43	7	"पांच सौ रुपए"	"तीन सौ रुपए"
43	8	"तीन सौ रुपए"	"पांच सौ रुपए"
43	13 पार्श्वशीर्ष	वनिनियमों	वनियमों
44	5 और 6	हो सकेगी दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा :	हो सकेगा, या दोनो से या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक मोटर यान के लए एक लाख रुपए तक का हो सकेगा :
44	19	हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से ऐसे	हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे
45	33	चालाना	चलाना
46	3	चलान	चालन
49	2	रुपए तक का	रुपए का
50	33 पार्श्वशीर्श	पहनवे	पहनावे
50	33	उललंघन	उल्लंघन
51	4 पार्श्वशीर्श	आबाध रूप	आबाध रूप से
51	5	अछह	छह
51	19	“दंडनीय होगा”	“वह कारावास से”